खण्ड-13, अंक-6
शुक्रवार, चैत्र 11, शक संवत् 1927
(01 अप्रैल, 2005 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र 2005)

(खण्ड 13 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2007

मूल्य-

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति ...	'क'
नियम 311 के अन्तर्गत कतिपय सूचनाओं के उठाये जाने का प्रयास ...	1
प्रश्नोत्तर ...	1–68
हरियाणा राज्य के ऊर्जा मंत्री एवं उद्योगपति श्री ओ०पी० जिन्दल तथा कृषि मंत्री चौ० सुरेन्द्र सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना ...	68–69
प्रश्न के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री का स्पष्टीकरण ...	69–70
दि० 20 मार्च, 2005 को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान मैठाणा, चमोली में बस दुर्घटना में मरे/घायल हुए लोगों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
जनपद नैनीताल के वि०ख० भीमताल के अन्तर्गत ग्राम बेलबाखान के प्रा०पा० के निकट बरसाती नाले व अमुवारवाल नाले से स्कूल, आवासीय भवन के हो रहे कटाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि०ख० जहरीखाल के अन्तर्गत पीड़ा कन्दोली नहर के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
वि०ख० द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा के बग्वाली पोखर ग्राम समूह पम्पिंग योजना के निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
गदरपुर–दिनेशपुर मार्ग के त्रुटिपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के मड़कनाली गानुरा चुगड़ी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका ...	72
जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ ग्राम सभाओं को यातायात सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में याचिका ...	73
जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में चंदियाल स्थान बालगंगा नदी पर सम्पर्क गार्डर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका ...	73

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी मुख्यालय से हरिशंकर चौण्डी रौता तथा कनकचौरी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका ...	73
जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के जूनियर हाईस्कूल विरसण रौता के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका	73
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	73–84
बजट साहित्य के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	84–85
वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान– अनुदान सं0–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग, अनुदान सं0–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण से सम्बद्ध विभाग, अनुदान सं0–31 अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध विभाग (स्वीकृत)	85–106
दि0 29–3–2005 की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	106
वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान– अनुदान सं0–25, खाद्य विभाग (स्वीकृत)	107–117
वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान– अनुदान सं0–27, वन विभाग (स्वीकृत)	117–136
वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान– अनुदान सं0–6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	136–148
वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान– अनुदान सं0–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग (स्वीकृत)...	148–156
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	156
देहरादून में स्थित विभिन्न मलिन बस्तियों में मकानों के ऊपर से ढीली तारों के गुजरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	156–157
उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	157–158
नत्थियाँ	159–165

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. " इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह माजिला
9. " काशी सिंह ऐरी
10. " किशोर उपाध्याय
11. " कैलाश शर्मा
12. " खजान दास
13. " गगन सिंह
14. " गणेश प्रसाद गोदियाल
15. " गोपाल सिंह
16. " गोविन्द लाल
17. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
18. " जोत सिंह
19. " तसलीम अहमद
20. " तिलक राज बेहड़
21. " तेजपाल सिंह रावत
22. " दिनेश अग्रवाल
23. " नव प्रभात
24. " नारायण पाल
25. " नारायण राम आर्य
26. " नारायण सिंह जंतवाल
27. काजी निजामुद्दीन
28. श्री प्रकाश पंत
29. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
30. डा0 प्रताप बिष्ट
31. श्री प्रदीप टम्टा
32. श्री प्रीतम सिंह
33. " प्रीतम सिंह पंवार
34. " प्रेमानन्द महाजन
35. " पुष्पेश त्रिपाठी
36. " फूल सिंह बिष्ट
37. " बलवीर सिंह नेगी
38. " बिशन सिंह चुफाल
39. " भगत सिंह कोश्यारी
40. " मदन कौशिक
41. " मंत्री प्रसाद नैथानी
42. " महेन्द्र भट्ट
43. " महेन्द्र सिंह माहरा (महरू भाई)
44. " मातबर सिंह
45. " माल चन्द
46. डॉ0 यशवीर सिंह
47. श्री रणजीत सिंह
48. " रस्कैल वैलेन्टाइन गार्डनर
49. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50. श्री शहजाद
51. " सुबोध उनियाल
52. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
53. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
54. " हरबंस कपूर
55. " हरभजन सिंह चीमा
56. " हरीदास
57. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
58. " हीरा सिंह बिष्ट
59. " हेमेश खर्कवाल

शुक्रवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2005

(विधानसभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम–311 के अन्तर्गत कतिपय सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना है। मान्यवर, प्रदेश में नये सिरे से परिसीमन प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष–

कल असरकारी दिवस है, इसका संकल्प लगा हुआ है। कृपया बैठ जायें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह गम्भीर मुद्दा है, आपका संरक्षण चाहिए। मान्यवर, मैं कल भी कहूँगा, लेकिन आज अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है, तो इस पर थोड़ी चर्चा हो जाये, दो मिनट सुन लें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, परिसीमन पर संकल्प तो गिर जायेगा। आज थोड़ा सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कल आप अपनी बात कहिएगा। मैं इसे आज नहीं सुन रहा हूँ और आज माननीय महाजन जी की भी सूचना है। इसे भी मैं नहीं ले रहा हूँ। आज राजस्व विभाग के बजट पर चर्चा व मतदान पेश होना है, आप उसमें अपनी बात कह सकते हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

एग्रोकोप कम्पनी के फरार मालिक की गिरफ्तारी एवं किसानों के धन की वसूली

**1. श्री अजय भट्ट–

क्या प्रधान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के किसानों के करोड़ों रुपये लेकर फरार होने वाले एग्रोकोप कम्पनी के मालिक बेनी उर्फ दिवाकरजी की गिरफ्तारी हो चुकी है?

यदि हाँ, तो उससे किसानों के धन की वसूली किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल एग्रोफूप के संचालक श्री बी0आर0 दिवाकरुनी उर्फ बेनी को गिरफ्तार करने हेतु प्रकरण सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंप दिया गया है। प्रकरण की विवेचना गतिमान है।

श्री अजय भट्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, बेनी जो करोड़ों रुपया यहाँ के किसानों का लूट कर ले गया, उसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं, प्रश्न का उत्तर बहुत साधारण तरीके से दिया है, सरकार गम्भीर प्रतीत नहीं होती। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तारीख को बेनी के खिलाफ एफ0आई0आर0 की गई और किन-किन धाराओं में एफ0आई0आर0 की गई? मान्यवर, मेरे संज्ञान में है कि बहुत लचर धारा लगाई गई है, जिससे वह बचकर निकल जाये और मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तारीख को सी0बी0सी0आई0डी0 को मामला सौंपा गया?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार की नीतियों के आधार पर ही बेनी को मटेला कोल्ड स्टोर लीज पर दिया गया था, पर बेनी वहाँ से फरार हो गया और उसके फरार होने के तुरन्त बाद जिला उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा ने अल्मोड़ा पुलिस में एफ0आई0आर0 लॉज दायर की। यह एफ0आई0आर0 24-12-2004 को हुई।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)-

मान्यवर, अगर तैयारी नहीं है तो प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, बिल्कुल तैयारी करके नहीं आये हैं।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल-

मान्यवर, दिनांक 2-2-2005 को अपराध अनुसंधान शाखा को केस ट्रांसफर किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, लिखित उत्तर आया है, अगर उत्तर पूर्ण नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, 24–12–2004 को जिला उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा ने पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज की। मान्यवर, 09–02–2005 को सी0बी0सी0आई0डी0 को जाँच के आदेश दिये गये और उसकी जाँच चल रही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एफ0आई0आर0 की तिथि बता दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, 24–12–2004 को धारा 420 (बी0) आई0पी0सी0 के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह मामला संज्ञान में कब आया और कितने दिनों में एफ0आई0आर0 दर्ज की गई? 420 (बी0) आई0पी0सी0 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मान्यवर, इसमें चर्चा होनी चाहिए। इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक करोड़ों रुपये ले जाने की बात है वह जाँच के बाद सामने आयेगा कि क्या स्थिति है। सरकार इसे गम्भीरता से ले रही है, सरकार ने उसकी जाँच के आदेश दिये हैं। जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 को दी है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह नीतिगत विषय है, माननीय मंत्री जी एक–एक प्रश्न का उत्तर देने में 10–10 मिनट लगा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, 17–11–2004 को यह मामला सरकार के संज्ञान में आया। इसमें उसी समय पुलिस कार्यवाही के आदेश दे दिये गये थे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कब एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, कब सरकार के संज्ञान में आया, यह तिथियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह

करना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार कटघरे में खड़ी है। अभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन में व्यवधान किया था तो हमने यहाँ पर वेल में सरकार के विरोध में सदन चलाया तो उसमें मैंने कहा था कि जैनी और बेनी दो किस्म के प्रकरण हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री ऐरी जी, कृपया मूल प्रश्न पर आयें।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, जैनी आपकी ही खोज है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आप अध्यक्ष जी के माध्यम से पूछें, मैं इसका उत्तर दे दूँगा। मान्यवर, यह जो प्रकरण है इसमें घोर लापरवाही सरकार की ओर से हुई है। बेनी को कर्जा मिला है, विभिन्न बैंकों से, यह मेरी निश्चित जानकारी है कि सरकार ने गारंटी दी है उसके बाद वह फरार हो जाता है। बेनी तो फरार हो गया उसकी पत्नी उस परिसर में रहती थी, इस बारे में सरकार को पता था। शासनादेश एक हुआ जिलाधिकारी अल्मोड़ा के नाम पर और उसमें यह स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये कि चूंकि बेनी, जिसने यह कर्जा लिया, वह फरार है और उनकी धर्मपत्नी उस परिसर में रह रही हैं। अतः इस बात को सुनिश्चित करें कि ....

मान्यवर, पहला– वह कोई ऐसा काम न करें कि उसकी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर सके।-दूसरा–और वह उस परिसर से न जा सके। मान्यवर, इसके बावजूद भी महीनों तक, लगभग एक महीने तक जिलाधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की और उसकी पत्नी भी आराम से वहां से चली गयी। इसके बाद सरकार ने एफ0आई0आर0 दर्ज की। माननीय मंत्री जी को पूरी बात की जानकारी नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और सरकार की छवि को सुधारने के लिए इस प्रश्न को स्थगित करवा दें और नये सिरे से अधिकारियों से पूरी जानकारी प्राप्त कर सदन में प्रस्तुत करें। इतना मैं कहना चाहता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री ऐरी जी को बताना चाहता हूँ कि वास्तव में पूर्व सरकार की भी और इस सरकार की भी नीति रही है वह नीति निजीकरण की रही है और आज भी है। मान्यवर, कल ही जड़ी–बूटी के सम्बन्ध में प्रश्न आया था तो कई विपक्ष के लोगों ने कहा था कि मंडियों को निजी क्षेत्र में दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने तो प्वाइंटेड प्रश्न पूछा है। जब आप उद्यान विभाग का बजट प्रस्तुत करें, भाषण तब दें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, जो शंका माननीय ऐरी जी ने व्यक्त की है लीज पर देने की नीति सरकार की थी। उसकी प्रक्रिया में अगर कोई गलती हुई है तो सरकार ने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। जांच के बाद यदि ऐसी कोई बात सामने आती है तो सरकार कठोर कार्यवाही करेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सी०बी०सी०आई०डी० को जांच देने का निर्णय किसके कहने पर हुआ है? हमने तो सी०बी०आई० की मांग की थी। माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था हैदराबाद में ... (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा था कि हैदराबाद का एड्रेस लिखा हुआ है और आपने आज के उत्तर में कह दिया कि प्रकरण सी०बी०सी०आई०डी० को सौंप दिया गया है, प्रकरण की विवेचना गतिमान है। क्या धारा 82, 83 के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही कर दी गयी है? सरकार ने अब तक क्या किया? यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। दूसरा– मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लीज में देने की बात आपने कही कि यह सरकारों की नीति रही है जब सरकार की नीति है तो इसकी फाईल न्याय विभाग भी गयी होगी तो न्याय विभाग ने इस पर क्या टिप्पणी की?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय भट्ट जी ने जानना चाहा कि क्या कुर्की की कार्यवाही कर दी गयी है। हमने जांच सी०बी०सी०आई०डी० को सौंपी है उसके आधार पर जो प्रक्रिया होगी वह अवश्य ही की जायेगी। दूसरा जो ......

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ...... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, आपने लीज पर देते समय न्याय विभाग की टिप्पणी की बात कही है इस सम्बन्ध में मैं सदन में कहना चाहूँगा कि 1994 में ये आपका कोल्ड स्टोरेज निर्मित हो गया था और इसके साथ ही 2 और कोल्ड स्टोरेज चम्पावत और नौगांव

में बन रहे हैं और 1994 से लेकर अब तक कई बार सरकार ने इस सम्बन्ध में कोशिश की है कि जो निगम हैं, जो संस्थायें हैं उसके माध्यम से इनका संचालन करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमें इसके इतिहास की जानकारी नहीं चाहिए। आप सीधे–सीधे प्रश्न का उत्तर दे दें, आप विषय को इतना लम्बा क्यों कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इसमें न्याय विभाग की संस्तुति नहीं ली गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि न्याय विभाग की संस्तुति नहीं ली गई है, तो यह कितना गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो तरह के उत्तर दिये हैं, पहला तो यह कहा कि इसकी जांच प्रदेश के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति कर रही है, और फिर कहा कि इसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा कराई जा रही है। तो इस तरह से एक ही प्रकरण की जाँच दो माध्यमों से कराई जा रही है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जांच किस तरह की होगी? जब इसकी जांच अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति भी कर रही है तो क्या सी0बी0सी0आई0डी0 भी निष्पक्ष रूप से जांच कर पायेगी? इस जांच की नीति क्या होगी?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लीज में देने के बाद जिस प्रकार से बेनी फरार हो गया उसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 कर रही है और लीज देने की प्रक्रिया में यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति कर रही है। इससे हमारे सामने सारे बिन्दु आ जायेंगे। जो भी इसमें दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाई होगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति जांच कर रही है क्या उसकी जांच में यह बिन्दु भी सम्मिलित होगा कि लीज में देने की प्रक्रिया में क्या

गल्तियां हुई हैं और दूसरा यह कि बेनी ने हमारी लीज पर दी गई जमीन को बैंक में रखकर उसने जो ऋण हासिल किया और शासन द्वारा भी उसे गारंटी दी गई थी तो क्या वह गारन्टी नियमानुकूल थी? क्या इन बिन्दुओं को भी जांच में सम्मिलित किया जायेगा?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, लीज पर देने की प्रक्रिया और बैंक को गारन्टी देने की प्रक्रिया में कहीं पर कुछ कमी रही या किसी से कोई गलती हुई है तो यह जांच अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी और यह सब कैसे हुआ, यह उस जांच के बाद स्पष्ट हो जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कब तक यह जांच हो जायेगी?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, बहुत जल्दी ही इसकी जांच कर लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा दूसरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसमें प्रश्न यह था कि यदि हाँ, तो उससे किसानों के धन की वसूली किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है तो इसमें उत्तर आया कि प्रश्न नहीं उठता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बेनी किसानों का कितना धन लेकर फरार हुआ है और क्या इस धन की वसूली की कार्यवाई सरकार करेगी? दूसरा यह कि दो तरह की जांच इसमें की जा रही हैं, 3 वर्षों से किसी भी जांच का निष्कर्ष यहां पर निकला नहीं है। तो मंत्री जी इस जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा दे दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, मैंने जो उत्तर दिया है वह पूरा स्पष्ट है। मान्यवर, इसमें कहा गया कि क्या बेनी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो हमने कहा कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब जब गिरफ्तारी ही नहीं हुई है तो फिर यह प्रश्न कि उससे किसानों के धन की वसूली किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है तो उसके उत्तर में कहा गया कि प्रश्न नहीं उठता है। जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो उससे वसूली कैसे की जा सकती है?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या धन की वसूली की जा रही है? इस धन का एमाउण्ट कितना है और क्या यह धन वसूल करके किसानों को दिया जाएगा?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के किसानों का 24 लाख 14 हजार रुपया बेनी ने देन है और सरकार किसानों के इस पैसे को वापस दिलाने के प्रति गम्भीर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेनी जल्दी से गिरफ्त में आ जाए और उससे धन की वसूली की जाय। इसके लिए हमने सी०बी०सी०आई०डी० के महानिदेशक से अनुरोध किया है कि यदि इसमें आवश्यक हो तो इण्टरपोल की मदद लेकर बेनी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाय। बेनी की गिरफ्तारी के बाद ही सारी बात सामने आ सकेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सी०बी०सी०आई०डी० इण्टरपोल की मदद लेने के लिए अधिकृत है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, सी०बी०आई० के माध्यम से सी०बी०सी०आई०डी० इण्टरपोल की मदद लेने की कोशिश कर सकती है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी से नोंक-झोंक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि इसको सी०बी०आई० को सौंप दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि सी०बी०सी०आई०डी०, सी०बी०आई० के माध्यम से इण्टरपोल की मदद लेगी। मान्यवर, इसको सीधे-सीधे सी०बी०आई० को ही क्यों नहीं सौंप देते? आप कह दीजिए कि हम इसको सी०बी०आई० को सौंप रहे हैं, मामला खत्म हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, हमने भी कोशिश की थी और सेन्ट्रल बैंक वालों ने भी कोशिश की थी, लेकिन इतने छोटे मामले को सी०बी०आई० लेने को तैयार नहीं है। मान्यवर सी०बी०सी०आई०डी०, सी०बी०आई० के माध्यम से कार्यवाई करके इण्टरपोल की मदद लेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, इण्टरपोल की बात आ गयी है। यह विषय बहुत गम्भीर है। यह ठीक है कि आपने दो कमेटियां बना दी हैं। आपने कहा कि अगर हमको इण्टरपोल की आवश्यकता होगी तो हम इसको सी०बी०आई० को सौंप देंगे। अगर आज आप ऐसा करेंगे तो यह कल को उदाहरण बन जाएगा, आज एक बेनी भागा है। मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, सम्मानित साथी श्री कोश्यारी जी की मंशा से ज्यादा गम्भीर सरकार इस मामले में है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। पुलिस को देने के बाद यह सी०बी०सी०आई०डी० को दिया गया है और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जांच इण्टरपोल के माध्यम से की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इण्टरपोल से जांच कराने की कोशिश की बात कही है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, हमने यह नहीं कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इण्टरपोल से मदद ली जा सकती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह बात कार्यवाही में आ गयी है आपने इण्टरपोल से मदद की कोशिश की बात कही है। मान्यवर, इसमें स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है। मान्यवर, सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं है। हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्य, श्रीमती आशा देवी और श्री महेन्द्र भट्ट जी को छोड़कर, सदन त्यागकर चले गये।)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में चल चिकित्सालयों की संख्या, सुविधाएँ एवं यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में उनका उपयोग

*1. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने चल चिकित्सालय (मोबाईल हास्पिटल) वर्तमान में कार्यरत हैं तथा इन चिकित्सालयों में क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध हैं?

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त का उपयोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ यात्रा के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

उत्तरांचल में कुल 3 चल चिकित्सालय (मोबाईल हास्पिटल) वर्तमान में कार्यरत हैं। इन चिकित्सालयों में सामान्य प्राथमिक उपचार की सुविधायें उपलब्ध हैं जिसमें आक्सीजन सिलेण्डर, ड्रेसिंग सामग्री तथा सामान्य उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, आज प्रातः काल जब मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर आया था तो उसमें संख्या अंकित नहीं थी, जब मैंने इस उत्तर को यहाँ पर टेबिल में देखा तो उसमें दो अंकित था और अब दो को तीन कर दिया गया है। मान्यवर, वास्तव में चल चिकित्सालय कितने हैं, और बेस कैम्प कहाँ–कहाँ हैं, इन चल चिकित्सालयों में कितने डाक्टर तथा अन्य चिकित्सा कर्मी कितने हैं?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, कुल तीन चल चिकित्सालय वर्तमान में काम कर रहे हैं। इस योजना के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक में क्रमशः एक चिकित्साधिकारी, एक फार्मासिस्ट और एक वाहन चालक के पद स्वीकृत किये गये हैं जो कि वर्तमान में कार्यरत हैं। मान्यवर, सचल चिकित्सालय योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ में एक–एक एम्बुलेन्स स्वीकृत की गई है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मार्च 2004 से 28 फरवरी 2005 के मध्य इन मार्गों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में कितने स्थानों पर चल चिकित्सालय सुविधा प्रदान की गई?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में 28–07–2004 को यमुनोत्री मंदिर में भूस्खलन में उपचार व सहायता का कार्य किया गया। इसी प्रकार 15–10–2004 को सयाना चट्टी में वाहन दुर्घटना में 04 घायलों का प्राथमिक उपचार कर दून चिकित्सालय, देहरादून को संदर्भित किया गया। जनपद चमोली में इस वर्ष सचल चिकित्सालय द्वारा यात्रा मार्ग लामबगड़ में 807 व्यक्तियों का उपचार किया गया। मान्यवर, 14–03–2004 को कर्णप्रयाग, 13–06–2004 को विष्णुप्रयाग, 7–8–2004 को पुरसाड़ी, 24–9–2004 को जोशीमठ, 16–10–2004 को कर्णप्रयाग और 20–03–2004 को लंगासू में घायलों का उपचार किया गया।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जनपद चमोली के अन्तर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री मार्ग पर चल चिकित्सालय को स्थाई रूप से बनाने की व्यवस्था की जायेगी?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आगामी योजना में यात्रा धामों पर एक बड़ी गाड़ी की व्यवस्था की है। हम एक और बड़ी गाड़ी मय उपकरणों के साथ वहाँ पर चलायेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में इन चल चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि प्रत्येक जिले में एक और ज्यादा बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जिलों में 2 तथा अधिक जनसंख्या वाले जिलों में दो चल चिकित्सालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य हरिद्वार में दो चल चिकित्सालयों की मांग कर रहे हैं। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ चल चिकित्सालय नहीं है वहाँ एक छोटी गाड़ी के रूप में चल चिकित्सालय की व्यवस्था करेंगे।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ गंगोत्री मंदिर के छः महीने में जब कपाट खोले जाते हैं तो वहां पर अस्थाई रूप से छः–छः माह के लिए डाक्टरों की नियुक्ति की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या इन डाक्टरों की नियुक्ति स्थाई रूप से की जायेगी?

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, बद्रीनाथ और केदारनाथ में डाक्टरों की व्यवस्था की जाती है, इससे आप भी भली-भांति अवगत हैं। इस बार भी हम वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था जिलाधिकारी के माध्यम से बनाने जा रहे हैं और उसके लिए धन आवंटन करने जा रहे हैं।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो वहां तहसील स्तर से, जहां आबादी होती है वहां से, डाक्टर भेजे जाते हैं। जिसके कारण स्थानीय जनता को बहुत परेशानी होती है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या इन जगहों पर स्थाई रूप से सरकार डाक्टरों की नियुक्ति करने जा रही है?

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जानती हैं वहां पर पहले से चिकित्सक भेजे जाते हैं और इस बार भी यात्रा सीजन में भेजे जायेंगे।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, स्थाई रूप से भेजे जायेंगे या छः माह के लिए?

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, वहां पर डाक्टर भेजे जाते हैं और आगे भी भेजे जायेंगे।

श्री माल चन्द्र–

मान्यवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के लिए तो डाक्टर भेजे जाते हैं, परन्तु मेरे क्षेत्र देवाही और खेताड़ी जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। जहां पर डाक्टर तो रहते हैं परन्तु ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं और जानबूझकर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं शिकायत होने पर उनका तबादला हो जायेगा और इससे अच्छी जगह होगा। मान्यवर, यह बात मैंने पहले भी यहां पर उठायी थी। मान्यवर, यहां पर ए0एन0एम0 भी नहीं जाना चाहती हैं मैं चाहता हूँ कि यहां पर एक डाक्टर की परमानेंट पोस्टिंग की जाय।

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, यद्यपि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है। फिर भी माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि जहां पर चिकित्सक नहीं हैं वहां प्रत्येक जनपद में संविदा के आधार पर सी0एम0ओ0 द्वारा डाक्टरों को तैनात किया जायेगा।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, नेशनल हाईवे–74 जो ऊधमसिंह नगर से जसपुर के बीच में निकला है, इस हाईवे पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं चाहता हूँ यहां पर भी मोबाइल सेवा हो। इसके लिए क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, तराई का क्षेत्र जहां पर 10 से 15 किलोमीटर पर अस्पताल की व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर यह सेवा करना उचित नहीं होगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मोबाइल हास्पिटल की व्यवस्था, दूरदराज के क्षेत्रों में भी इनकी व्यवस्था की जायेगी? क्योंकि माननीय मंत्री जी अवगत हैं कि इन क्षेत्रों में डाक्टर रूक नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, खासकर महिला डाक्टर इन क्षेत्रों में रूक नहीं पाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, जैसा कि मैंने यहां पर पहले भी कहा, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार ने 103 महिला डाक्टरों के पद संविदा के आधार पर भरने का निर्णय किया है। इनमें से 41 महिलाएं दूरगामी क्षेत्रों में तैनात की जायेंगी। इनकी विज्ञप्ति निकाली है इनको 18,500/- (अट्ठारह हजार पाँच सौ) प्रतिमाह वेतन दिया जायेगा। मान्यवर, किसी और प्रदेशों में भी महिला चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यह व्यवस्था पहली बार उत्तरांचल के अन्दर हुई।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पर माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद देहरादून व हरिद्वार में अवैध शराब का धन्धा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*2. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के जनपद देहरादून व हरिद्वार में वर्ष 2003–04 में कितनी अवैध शराब पकड़ी गयी है तथा सरकार द्वारा अवैध शराब का धन्धा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

वर्ष 2003–04 में जनपद देहरादून में 15901 लीटर तथा जनपद हरिद्वार में 5056 लीटर अवैध शराब पकड़ी गयी।

उपरोक्त अवधि में जनपद देहरादून में 106 तथा जनपद हरिद्वार में । अवैध शराब का धन्धा करने वाले व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल परिवहन की बस बॉडी बनवाने हेतु टेण्डर तथा प्रतिभागिय का तुलनात्मक विवरण

*3. श्री अजय भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में सभी बस चेसे व बस बॉडी (हाईटेक डीलक्स–बॉडी सहित) बनवाने में खुले टेण्डर आमंत्रित कि गये थे?

यदि हाँ, तो कुल कितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग लिया एवं इन तुलनात्मक विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

जी नहीं, जहाँ तक बस की चेसेस का प्रश्न है, देश के सभी परिवहन निग में भारी मोटरयान प्रकार की बसों हेतु केवल मैसर्स टाटा–मोटर्स एवं मैसर्स अशो लेलैण्ड के द्वारा निर्मित चैसिसों का ही प्रयोग किया जाता है। पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0रा0स0प0 निगम की क्रय नियमावली को अंगीकृत करते हुए उत्तरांचल परिव निगम द्वारा मैसर्स टाटा मोटर्स व मैसर्स अशोक लेलैण्ड लि0 से चेसिसों के क्रय है ऑफर प्राप्त किये गये तथा निगोशियेशन के पश्चात् दरों को कम करवाते ह क्रयादेश निर्गत किये गये।

उत्तरांचल परिवहन निगम की स्थापना के समय प्रारम्भ में उचित तकनी सुविधायें एवं अनुभव की कमी के कारण अन्य सरकारी परिवहन निगमों, य उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम एवं हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम से उनकी दरों । बस बॉडी का निर्माण कराया गया। 40 हाईटेक बसों की बॉडी निर्माण के सम्बन्ध राजस्थान परिवहन निगम की उच्च गुणवत्ता की बसों को आधार मानते हुए राजस्थ परिवहन निगम की दरों व शर्तों पर ही राजस्थान परिवहन निगम की बसों । निर्माण कर रहे निर्माता से हाईटेक बस की बॉडी का निर्माण कराया गया।

इस समय साधारण बस बॉडी के निर्माण हेतु टेण्डर प्राप्त करके चयनि निर्माताओं एवं हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम से बस–बॉडी का निर्माण कराया । रहा है।

साधारण बसों के बॉडी निर्माण हेतु टेण्डर में 19 फर्मों द्वारा भाग लिया ग जिनमें तकनीकी बिड के आधार पर 15 फर्में उपयुक्त पाई गई, जिसमें 11 फर्मों द्वा

फाईनेन्सियल बिड उपलब्ध कराई गई जिनमें से 1 फर्म द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि व अन्य प्रपत्र पूर्ण न करने के कारण 10 फर्मों द्वारा दी गई दरों पर विचार किया गया। उचित तकनीकी क्षमता एवं न्यूनतम दर की 03 फर्मों एवं हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम से साधारण बसों की बॉडी का निर्माण कराया जा रहा है। तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(तुलनात्मक विवरण देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 159 से 160 पर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसके उत्तर को पढ़ा हुआ भाग लिया जाए।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि मैसर्स टाटा–मोटर्स एवं मैसर्स अशोक लेलैण्ड के द्वारा निर्मित चेसिसों का ही प्रयोग किया जाता है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ क्या आप इन दोनों में कम्पटीशन करेंगे? किस आधार पर बॉडी बनाई जा रही है और क्या आपने भारत की निर्माणशालाओं में टेण्डर आमंत्रित किये?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में टाटा मोटर्स का प्रचलन था, हमने पहली बार सोचा कि इसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए तो इसके लिए अशोक लेलैण्ड ने पहल किया, नेगोशिएशन किया। मान्यवर, फिर हमने 25371, 31888, 21767 रुपया कम कराया, इस प्रकार अशोक लेलैण्ड को इन्वाइट किया, उसमें भी 33 हजार रुपया कम कराया गया। मान्यवर, परिवहन निगम में प्रतिस्पर्धा रहे इसलिए हमने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से कान्ट्रेक्ट किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में खराबी नजर आई तो तत्काल हमने बन्द करा दिया, हिमाचल प्रदेश की गाड़ियां सही थीं इसलिए हमने खरीदा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि हिमाचल प्रदेश से बस खरीदते समय क्या कोई टेण्डर आमंत्रित किया था या सीधे हिमाचल प्रदेश से लिया गया?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, क्योंकि परिवहन निगम हिमाचल का और उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम सरकारी संस्थान माने जाते हैं, इसलिए वह अपने प्रदेश को जिस आधार पर दे रहे हैं उसी आधार पर हम को भी दे रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी क्वालिटी मापने के लिए हमा सरकार ने क्या मापदण्ड अपनाये?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारे टेक्निशियनों ने उसका सर्वेक्षण किया, तो जाँच के बाद उत्त प्रदेश की गाड़ियों में कमी पाई गई, तो वहाँ का आर्डर तुरन्त खत्म कर दिया औ 50 गाड़ियों के बाद रोक दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बॉडी में कोई डिफेक नहीं मिला इसलिए लिया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 40 बसें राजस्था से मगाई हैं, और 10 फर्मों को दिया, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुल 19 फर्म ने साधारण बॉडी बनाने का टेण्डर डाला था?

मान्यवर, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम को कितनी बसों के निर्माण के लि आदेश दिये गये और 10 फर्मों को कितनी बसों की बॉडी बनाने के आदेश दि गये?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से पहले से तय था। मान्यवर, हिमाच प्रदेश से लगभग 70 बसें आई। दूसरा आपने वर्कशाप की बात कही। मान्यव उनका वर्कशाप बड़ा होने के कारण जंक विरोधी व्यवस्था भी थी। मान्यवर, हम इसके लिए एक मानक बनाया था उस मानक में 11 में से 3 ही खरे उतरे हैं। हम तीन फर्मों को आर्डर देने का निर्णय लिया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हिमाचल और राजस्थान को देने का पैरामीटर क्या था? उस मानक के क्या औचित्य पाये और दूसरा क्या कमियाँ पायी? टाटा और अशोक कितना अन्तर था? कालागढ़ और रुड़की में हमारी इतनी बड़ी कार्यशालायें हैं वह पर डेवलप क्यों नहीं किया? क्या भविष्य में अपनी कार्यशाला में बनाने पर सरका विचार करेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमने कार्यशालाओं की जाँच करायी, रुड़की वाले हमारे पास आए उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मान्यवर, ये वर्कशाप जर्जर हालत में हैं, भवि में इनको चुस्त–दुरुस्त करके हम अपना वर्कशाप बनायेंगे। दूसरा फिर हिमाच प्रदेश से फिर टेण्डर आये हैं वह पुराने रेट से कम हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, चेसेस रेट में क्या अन्तर है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, टाटा मोटर्स की दरों का विवरण है–चेसेस 166 इंच, निगोशिएशन से पहले दिनांक 5–1–04 तक 6,65,709 और निगोशिएशन के पश्चात् मार्च, 2004 को 6,40,336 था इसमें अन्तर 25,373 है। 205 इंच चेसेस, निगोशिएशन से पहले 6,72,636 था निगोशिएशन के पश्चात् 6,40,648 इसमें अन्तर 31,988 है। 218 इंच चेसेस, निगोशिएशन से पहले 6,75,192 है निगोशिएशन के पश्चात् 6,53,416 और इसमें अन्तर 21,776 था। इसी प्रकार अशोक लेलैण्ड दरों का विवरण है 210 इंच चेसेस निगोशिएशन से पहले 684720 था और निगोशिएशन के पश्चात् 651720 था और इसमें भी अन्तर 33,008 का है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल का स्थानान्तरण

*4. श्री प्रकाश पंत–

क्या श्रम मंत्री बताएंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी जिला नैनीताल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की योजना है?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में इस कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कोई योजना है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि सेवायोजन कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में विचार किया जा रहा है, इनको विकसित किया जा रहा है। फिलहाल हल्द्वानी के सेवायोजन निदेशालय को कहीं स्थानान्तरित करने की कोई योजना नहीं है। भविष्य में यदि आवश्यकता हुई तो इस पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में बाल श्रम निषेध सम्बन्धी योजना

*5. श्री मदन कौशिक–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते उद्योगों में बाल श्र के निषेध हेतु कोई योजना बनायी गयी है? उसे कब तक क्रियान्वित कर दि जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

प्रदेश सरकार बाल श्रम के प्रति सजग है, विधिक प्राविधानों के अन्तग निरन्तर रूप से बाल श्रम समस्या का अनुश्रवण किया जा रहा है, समय–समय विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत सर्वेक्षण/निरीक्षण किए जा रहे हैं, इसी क्रम भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के प्रयास से जनपद देहरादून में राष्ट्रीय बाल श्र परियोजना (एन0सी0एल0पी0) हेतु चिन्हित किया गया है, जिसके अन्तर्गत सोसाइ का गठन व उसका पंजीकरण भी करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बाल श्रम के नि हेतु जो योजना बनायी गयी है उसके अन्तर्गत जो सर्वेक्षण और निरीक्षण कराये ग उसमें कितने बाल श्रमिक पाये गये? दूसरा, उस सर्वेक्षण और निरीक्षण में किस र के अधिकारियों को लगाया गया था? तीसरा, चिन्हित बाल श्रमिकों का अब तक व हुआ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, प्रदेश में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमे बनी हुई है जो समय–समय पर सर्वेक्षण करती है। श्रम विभाग के अधिकारी सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। एन0जी0ओ0 के द्वारा भी सर्वेक्षण कराया जा रहा वर्ष 2001 से 2005 तक 4 हजार 527 सर्वेक्षण किये गये हैं उनमें 27 को उल्लं करते हुए पाया गया है। बाल श्रम के विरुद्ध जब कार्यवाही की जाती है उसका मेडिकल भी कराया जाता है। यदि श्रमिक की उम्र 14 वर्ष से ऊपर तो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। इस प्रकार केवल 4 मुकदमे ही अब स्थापित हो पाये हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक सर्वेक्षण में लगभग कितने बाल श्रमिक पकड़े गये हैं जो कम उम्र के थे? दूसरा–उनके पुनर्वास के लिए आपने क्या किया है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, तीन वर्ष में केवल 4 ही बाल श्रमिक की परिधि में पाये गये हैं उन पर मुकदमा चल रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वर्ष 2002–03 में 24 बाल श्रमिक पकड़े गये थे। आप ही ने बजट भाषण में यह बात कही थी।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, कुल 27 केस थे। जब उनका मेडिकल कराया गया तो केवल 4 ही बाल श्रमिक मिले थे। (व्यवधान) मान्यवर, मैं तो 27 खुद ही कह रहा हूँ लेकिन मेडिकल में केवल 4 ही बाल श्रमिक मिले थे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपकी सूचना सही नहीं है। इसे दुबारा दिखवा लें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, बाल श्रमिक जब पकड़े जाते हैं तो 10 हजार मिनिमम और 20 हजार मैक्सिमम का अर्थदण्ड लगाया जाता है और 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस प्रकार जो पैसा मिलता है उसे इन बच्चों के पुनर्वास में खर्च किया जाता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितनों को यह पैसा अब तक दिया गया है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, चार केस रजिस्टर्ड हुए हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है उसकी सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

गंगोत्री–यमुनोत्री के मुख्य मार्गों से विदेशी मदिरा की दुकानों को हटाने पर विचार

*6. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत व्यापक जनान्दोलन के दृष्टिगत गंगोत्री–यमुनोत्री तीर्थ धामों के मुख्य मार्गों से विदेशी मदिरा की दुकानों को हटाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत तीर्थ धामों के मुख्य मार्गों पर मदिरा की स- दुकानें आबकारी नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्व ही व्यवस्थापित हैं तथा न कोई दुकान नहीं खोली गयी है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यात्रा मार्गों । जो मुख्य सड़कें हैं उनसे कितनी दूरी पर शराब की दुकान खोलने के मानक हैं यात्रा मार्गों पर कहां-कहां पर दुकानें खोली गई हैं और यह यात्रा मार्ग से कित दूरी पर हैं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, 5 दुकानें उत्तरकाशी के क्षेत्र में जो गंगोत्री और यमुनोत्री या मार्ग में आती हैं, उसमें से जो उत्तरकाशी वाली दुकान है वह पिछले 12 वर्षों से च रही है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है कि यह दुकानें कहां-कहां पर खोली गई और इनकी यात्रा मार्ग से दूरी क्या है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें 5 दुकानें हैं जिनमें, उत्तरकाशी वाली दुकान गंगोत्री धाम 100 किलोमीटर है, भवाड़ी, गंगोत्री से 70 किलोमीटर, डुण्डा, गंगोत्री से 1 किलोमीटर, चिन्यालीसौड़, गंगोत्री से 135 किलोमीटर और बड़कोट जो कि यमुनो से 50 किलोमीटर दूरी पर है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैंने मुख्य सड़क से नहीं यात्रा मार्ग से दूरी पूछी है। इस अतिरिक्त मैंने जानना चाहा है कि ऐसी स्थितियों में दुकान खोलने के क्या मान होते हैं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें मानक कुछ खास नहीं होते हैं, जहां पर मन्दिर या स्कूल होते हैं उनसे कुछ दूरी पर इनको खोलने के मानक हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैंने चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में पूछा है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह सब आबकारी का जो मैनुअल है उसके नियम 328 के अनुसार यह है कि सभी दुकानों की अवस्थिति तथा स्थलों का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। अभिलिखित किये जाने वाले अत्यन्त अकाट्य कारणों के सिवाय किसी दुकान के स्थल में किसी परिवर्तन अनुज्ञा चालू व्यवस्थापन के दौरान नहीं दी जायेगी। स्थलों के किसी परिवर्तन को निवारित करने के लिए व्यवस्थापन के समय ही सभी दुकानों की अवस्थिति को स्पष्टतः निश्चित किया जायेगा। सभी दुकानों का चयन विशेषकर शहरों, नगरों तथा बड़े गांवों के मामले में पुलिस नियंत्रण तथा यातायात विनियमन की।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि यह दुकानें यात्रा मार्ग से कितनी दूरी पर खुली हैं और इसके मानक क्या हैं? मंत्री जी मैनुअल पढ़ रहे हैं।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने अवगत कराया कि उत्तरकाशी में 5 दुकानें हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैंने चारों धामों का पूछा है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, प्रश्न में गंगोत्री और यमुनोत्री का ही पूछा गया है उसमें मैंने बता दिया कि 5 दुकानें हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैंने चारों धामों के यात्रा मार्गों के बारे में पूछा था।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आपने जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में पूछा था उसका उत्तर आ गया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, चारगडोलिया गाँव में पिछले एक हफ्ते से, जो वहां पर विदेशी मदिरा की दुकान खोली गई है, उसे हटाने के लिए जनांदोलन चल रहा है। तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो दुकान वहां पर स्वीकृत की गई है उसे वहां से हटाने या निरस्त करने की प्रक्रिया की जायेगी?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, किसी भी दुकान के लिए यदि जनाक्रोश होता है तो डी०एम० के माध्यम से उसकी सूचना हमारे पास आती है और डी०एम०, जो हमारे नियम हैं, उनके अनुसार बताते हैं और यदि ये दुकानें नियमों के विरुद्ध हैं तो इनको या तो हटाया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी ने आपको इसकी सूचना दी है या नहीं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, हमें इसकी सूचना नहीं मिली है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक स्थानों के कम से कम कितनी दूरी पर मदिरा की दुकानें होनी चाहिए?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लिए कैट वर्ड है "क्लोज एपरॉक्सिमेटली" कई स्थानों पर मदिरा की दुकानें पिछले 15–20 साल से चल रही हैं लेकिन वहां पर स्कूल और कॉलेज तथा मन्दिर बाद में बने हैं।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो स्कूल कॉलेज पहले से चल रहे हैं और जहां पर पहले से मन्दिर बना हुआ है, उससे कितनी स्पेसिफिक दूरी पर मदिरा की दुकान हो सकती है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि क्लोज एप्रोक्सिमेटली है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, तो क्या आप स्कूल के कमरे में दुकान खोल देंगे? कुछ स्पेसिफिक दूरी तो होनी चाहिए?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लिए अलग से कोई नियमावली नहीं है।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय फूल सिंह बिष्ट जी ने प्रश्न उठाया था कि कितनी दूरी पर स्कूल और मन्दिर से मदिरा की दुकान हो सकती है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र ऊखीमठ में मन्दिर से 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान है, इससे 30–35 मीटर की दूरी पर विद्यालय भी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाद में विद्यालय खोले गए होंगे, तो मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि यह विद्यालय पिछले 30–35 सालों से चल रहा है। इस दुकान को हटाने के लिए वहां की महिलाएं आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि धार्मिक और शैक्षिक दृष्टि से क्या इस दुकान को यहां से हटाने का प्रयास करेंगे या क्या इसको निरस्त करेंगे?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यदि जनता में आक्रोश है तो इसके लिए जिलाधिकारी को सूचित कर सकते हैं। जिलाधिकारी इस पर कार्यवाही कर सकते हैं, इसका प्रोविजन है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, क्या जनता को आन्दोलन करते रहना चाहिए?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यदि आवश्यक होगा तो जिलाधिकारी इसको निरस्त करने या हटाने की कार्यवाही कर सकते हैं।

प्रदेश में पुरुष एवं महिला जन्म दर अनुपात एवं भ्रूण परीक्षण की रोकथाम

*7. श्री हरबंस कपूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिवर्ष जन्म दर अनुपात क्या है?

क्या मंत्री जी, अवगत हैं कि प्रदेश में स्थित भ्रूण परीक्षण की सुविधा के कारण कन्याओं का जन्म दर प्रभावित हो रहा है?

यदि हाँ, तो भ्रूण परीक्षण रोकने हेतु सरकार कोई उपाय करेगी? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

वर्तमान समय में उत्तरांचल में पुरूषों एवं महिलाओं का प्रतिवर्ष जन्म दर अनुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 964 महिलायें हैं।

जी नहीं। प्रदेश में भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार पी०एन०डी०टी० एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि वर्तमान में पुरूषों और महिलाओं की जन्म दर का अनुपात 1000 पुरूष पर 964 महिलायें हैं। मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि अनुपात का जो अन्तर बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसके अतिरिक्त मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि यहां पर कई चिकित्सालय और नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनमें अल्ट्रासाउण्ड के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या का व्यवसाय किया जा रहा है। यदि माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम बनाया गया है और उत्तरांचल में इसका पालन हो रहा है। जहाँ भी कोई शिकायत मिलती है, कार्यवाही की जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारियों और सलाहकारों का गठन किया गया है साथ ही प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। जहाँ तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की बात है तो जनपद टिहरी में शिकायत प्राप्त होने पर अल्ट्रासाउंड मशीन सीज की गई और देहरादून में सी०एम०ओ० द्वारा चित्रा क्लीनिक सीज की गई है और ऋषिकेश के अन्दर भी इसी तरह की कार्यवाही की गई है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि इसी तरह के क्लीनिक चल रहे हैं, जो इस कारोबार में लिप्त हैं और माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि सरकार इसकी रोकथाम के लिए सचेत है। मान्यवर, सरकार कितनी सचेत है, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जो समिति का गठन किया गया है, राज्य स्तर पर, पिछले तीन वर्षों में इसकी एक बैठक हुई है। इसके बाद इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई। वह बैठक भी मात्र एक औपचारिकता के रूप में ही हुई। उस बैठक में क्या निर्णय लिये गये इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। मान्यवर, इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि तीन केसेज में कार्यवाही हुई। मान्यवर, इसका श्रेय सरकार को नहीं लेना चाहिए। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इन प्रकरणों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था, तब यह कार्यवाही की गई। सरकार को इसकी रोकथाम के लिए गम्भीर होना चाहिए।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, राज्य स्तर पर एक बैठक हुई। जनपद स्तर पर सी0एम0ओज को इसका दायित्व सौंपा गया है। मण्डल स्तर पर और जनपद स्तर पर एवं 51 तहसील स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एन0एन0डी0टी0 एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसके क्या परिणाम रहे हैं? जो पकड़े गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उनको सील कर दिया गया है। उनके खिलाफ जो एक्ट निर्धारित है कार्यवाही की जा रही है। हमने सरकारी वकील के माध्यम से कोर्ट में उनके खिलाफ वाद दायर किये हैं। मान्यवर, पूरे भारत में 2001 के अनुसार लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में 933 है। उत्तर प्रदेश में 898 और उत्तरांचल में 964 है। इस प्रकार से अन्य राज्यों से यहाँ की स्थिति बेहतर है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि वर्ष 2005 में एक मामला भ्रूण हत्या का पकड़ा गया, और दूसरी ओर जो आज का एजेण्डा है उसके अतारांकित प्रश्न संख्या–38 के उत्तर में विभाग द्वारा कहा गया है कि भ्रूण हत्या का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, इसमें कौन सी बात सही है?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो जानकारी तारांकित प्रश्न में दी गयी वह सही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसका मतलब तो यह हुआ है कि जितने अतारांकित प्रश्न आ रहे हैं, वह सब गलत आ रहे हैं, यह तो एक गम्भीर मामला है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ऐसा नहीं है।

[X X X X]

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वार निर्देश दिये गये हैं और उन पर कार्यवाही भी हुई। मान्यवर, भ्रूण हत्याएं उत्तरांचल में नहीं हो रही हैं, इसके बावजूद ये लिंग अनुपात में इतना अन्तर क्यों आ रहा है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी कारणों का दुष्प्रभाव तो नहीं है, यदि नहीं तो क्या जनसंख्या की समीक्षा करेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसमें जनसंख्या नियंत्रण का सवाल नहीं है। यह नीति वर्ष 2002 में बनी है, इसके अन्तर्गत समय–समय पर हम कार्यवाही करते हैं।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे प्रभावी कारणों के कारण तो नहीं हो रहा, क्या आपने इसकी समीक्षा करने की कोशिश की है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसकी समीक्षा हम समय–समय पर करते हैं। उत्तरांचल में अन्य प्रदेशों की तुलना में अच्छी है। परन्तु मान्यवर, यह मूल प्रश्न से हटकर माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट:–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या (7) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तरकाशी के वि०ख० चिन्यालीसौड़ के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दिचली में चिकित्सकों की तैनाती

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दिचली में चिकित्सक की तैनाती कब तक कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दिचली में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन संविदा पर तैनात चिकित्सकों के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के पर्यटन स्थल के रूप में चयनित शीतलाखेत में विकास हेतु किये गये कार्य

2. श्री अजय भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री को ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत नामक स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? यदि हाँ, तो सरकार ने आज तक इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या–क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक उक्त स्थान को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया जायेगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद अल्मोड़ा में शीतलाखेत के पर्यटन की दृष्टि से महत्व को देखते हुए शीतलाखेत में 20 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त शीतलाखेत से स्याही देवी मन्दिर मार्ग का सुदृढ़ीकरण, शीतलाखेत में पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण, स्याही देवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं स्याही देवी मन्दिर स्थित धर्मशाला का जीर्णोद्धार कार्य भी कराया गया है।

राजकीय इण्टर कॉलेज मनेरी, उत्तरकाशी में खरादी (नौगांव) स्थित झरने का सौन्दर्यीकरण

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित राजकीय इण्टर कॉलेज मनेरी उत्तरकाशी में खरादी (नौगांव) स्थित झरने के सौन्दर्यीकरण योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद उत्तरकाशी में खरादी झरने के सौन्दर्यीकरण हेतु योजना आगणन गठित कराये गये हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। इसके उपरान्त ही नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति एवं योजना प्रारम्भ करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पथ परिवहन निगम में संविदा/पीस रैटेड कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुसार सुविधा

4. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य पथ परिवहन निगम में संविदा/पीस रैटेड कर्मचारियों के लिए श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी, ई0एस0आई0, पी0एफ0 इत्यादि की सुविधा लागू की जायेगी?

क्या संविदा कर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

दिनांक 24–01–06 को संविदा कार्मिकों के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के अनुसार संविदा कर्मियों को एक माह में कम से कम रुपये 2500/– (रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) एवं अधिकतम रुपये 2800/– (दो हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक चालक/परिचालक को माह में कम से कम 4200 कि0मी0 व अधिकतम 4700 कि0मी0 अर्जित किया जाना आवश्यक है।

उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 1410/36–7–03/5 (55), 2002 दिनांक 5–5–03 के द्वारा दिनांक 14–01–86 (पूर्ववर्ती प्रभाव) से ई0एस0आई0 उपबंधों के प्रवर्तन से

निगम को छूट प्रदत्त है। पूर्ववर्ती उ0प्र0 परिवहन निगम का उत्तराधिकारी निगम संक्लेशर कार्पोरेशन होने के कारण यह छूट उत्तरांचल परिवहन निगम में भी लागू है।

संविदा कार्मिकों को पी0एफ0 की सुविधा दिये जाने का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है।

जी नहीं। ग्रुप इन्श्योरेंस की सुविधा वर्तमान में निगम के नियमित कर्मचारियों को ही दी जा रही है। चूंकि संविदा कार्मिकों के साथ निगम का "मास्टर एण्ड सर्वेन्ट" का सम्बन्ध नहीं है। इसलिए इनको यह सुविधा अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव के ग्राम दांगुड़गांव में ज्वर से पीड़ित मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

5. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत ग्राम दांगुड़गांव में दिनांक 15–10–2004 से 20–10–2004 के मध्य तीव्र ज्वर फैलने से तीन लोगों (दो पुरुष व एक महिला) की असामयिक मौत हुई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

चिकित्सा विभाग द्वारा केवल निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता का प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव के अन्तर्गत स्यानाचट्टी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

6. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव अन्तर्गत बीफ, खरसाली, बनास, पिण्डकी, मदेश, निसणी, पाकिया, दांगुड़गांव, राना

कुठार, हनुमानचट्टी, स्यानाचट्टी, कुपड़ा, कुन्साला, त्रिखली, पालीगाड पुरारगांव, कुथनौर, कैसाला, खनेड़ा इत्यादि गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए लगभग 50 किमी0 दूर सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव आना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में केन्द्रीय स्थल स्यानाचट्टी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि स्थान स्यानाचट्टी से 4 किमी0 दूर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय राना व 13 किमी0 की दूरी पर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खरादी स्थापित व कार्यशील है। जहाँ से जनसाधारण को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त स्यानाचट्टी से 23 किमी0 दूरी पर बड़कोट चिकित्सालय स्थापित है, जो कि तहसील स्तरीय चिकित्सालय है। वर्ष 2004–05 में इसके उच्चीकरण हेतु शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही खरसाली में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित व कार्यशील है।

राजकीय पॉलीटैक्निकों में अतिथि शिक्षकों की संख्या एवं नियमित नियुक्ति हेतु वरीयता

7. श्री अजय भट्ट–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय पॉलीटैक्निकों में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं?

क्या शिक्षकों की नियमित नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों को वरीयता दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल के राजकीय पॉलीटैक्निकों में वर्तमान में 109 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

राजकीय पॉलीटैक्निकों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं। अतिथि शिक्षकों को पूर्णतः अस्थाई रूप से, किसी विशेष शैक्षणिक सत्र हेतु केवल कार्य अवधि में प्रशिक्षण कार्य हेतु लगाया जाता है।

राजकीय पॉलीटैक्निकों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रकरण का निस्तारण

8. श्री अजय भट्ट–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के पॉलीटैक्निकों में प्रधानाचार्य के कितने पद रिक्त हैं?

क्या यह सत्य है कि रिक्त पदों पर पदोन्नति का प्रकरण शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण कब तक निस्तारित कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल के विभिन्न राजकीय पॉलीटैक्निकों में प्रधानाचार्य के कुल 07 पद रिक्त हैं।

जी नहीं।

यथासमय।

ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिकायें विचाराधीन होने के कारण।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में व्याख्याता स्टेनोग्राफी के वेतनमान में विसंगति

9. श्री अजय भट्ट–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में व्याख्याता स्टेनोग्राफी के पद का वेतनमान क्या है?

क्या यह सत्य है कि शासनादेश संख्या–5013/28–7–20 (13) पर्वतीय विकास अनुभाग–7, दिनांक 18–12–90 द्वारा राजकीय ग्रामीण पॉलीटैक्निक बलनदी में व्याख्याता स्टेनोग्राफी का वेतनमान 1660–2660 स्वीकृत है, जबकि राजकीय

महिला पॉलीटेक्निक देहरादून में व्याख्याता स्टेनोग्राफी का पद 2200-4000 वेतनमान में स्वीकृत है? यदि हाँ, तो इस विसंगति का क्या कारण है तथा इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

व्याख्याता स्टेनोग्राफी का वेतनमान रु0 8000-13500 का है।

जी नहीं। राजकीय ग्रामीण पॉलीटैक्निक थलनदी एवं ताकुला में स्वीकृत व्याख्याता स्टेनोग्राफी कम सैकरेटेरियल प्रैक्टिस पद का वेतनमान रु0 1660-2660 है जबकि राजकीय महिला पॉलीटैक्निक देहरादून एवं अल्मोड़ा में व्याख्याता स्टेनोग्राफी/कामर्स का वेतनमान रु0 2200-4000 है।

राजकीय ग्रामीण पॉलीटैक्निक थलनदी एवं ताकुला के लिये व्याख्याता स्टेनोग्राफी कम सैकरेटेरियल प्रैक्टिस के नाम से सृजित पदों का वेतनमान रु0 1660-2660 है, जबकि राजकीय महिला पॉलीटैक्निक देहरादून एवं अल्मोड़ा में व्याख्याता स्टेनोग्राफी/कामर्स के नाम से सृजित पदों का वेतनमान रु0 2200-4000 है। राजकीय ग्रामीण पॉलीटैक्निक थलनदी एवं महिला पॉलीटैक्निक देहरादून के लिये सृजित पदों के नामों में भिन्नता है।

इस प्रकार की विसंगति को दूर करने हेतु पदों का रिस्ट्रक्चरिंग यथासमय किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल की राजकीय ग्रामीण तथा महिला पॉलीटैक्निकों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां

10. श्री अजय भट्ट–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की राजकीय पॉलीटैक्निकों, ग्रामीण पॉलीटैक्निकों तथा महिला पॉलीटैक्निकों में अनुदेशक ड्राइंग, कर्मशाला, कामर्शियल प्रैक्टिस, स्टेनोग्राफी तथा अनुदेशक भाषा के कितने पद रिक्त हैं?

क्या रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने विषयक प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

राजकीय पॉलीटेक्निकों, ग्रामीण पॉलीटेक्निकों एवं महिला पॉलीटेक्निकों में ड्राइंग अनुदेशक के 06 पद, कर्मशाला अनुदेशक के 63 पद, स्टेनोग्राफी अनुदेशक के 03 पद, भाषा अनुदेशक का 01 पद रिक्त है तथा अनुदेशक कामर्शियल प्रैक्टिस का कोई पद रिक्त नहीं है।

जी नहीं।

यथासमय समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने पर।

वेतनमान के कारण इन पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने हेतु सम्बन्धित नियमावली में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम में संविदान्तर्गत कर्मचारियों का विनियमितीकरण

11. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम में वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी संविदान्तर्गत कार्यरत हैं? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को विनियमित करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में गढ़वाल मण्डल विकास निगम में तृतीय श्रेणी के 7 कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं। संविदा, दैनिक वेतन, न्यूनतम वेतन एवं समेकित वेतन पर कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण से सम्बन्धित विषय का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में चिकित्सालय में कुल कितने चिकित्सक तैनात हैं?

रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चिकित्सकों के कुल 21 पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में चिकित्सालय में 14 चिकित्सक तैनात हैं। संविदा से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को यथासंभव भरा जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनचौरा का उच्चीकरण

13. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनचौरा को उच्चीकृत किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनचौरा विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत आता है, एवं ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है तथा उसके भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1284/XXVIII/(3)–2004–01/05 दिनांक 30–03–2005 द्वारा रु0 55.67 लाख की लागत पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु रु0 20.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

वर्ष 2002 से वर्तमान तक गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के प्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारियों के विदेश भ्रमण पर हुआ व्यय

14. श्री अजय भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 से वर्तमान तक कुमायूँ मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम के कौन–कौन प्रतिनिधि अधिकारी एवं कर्मचारी किन देशों के भ्रमण पर गये तथा इन विदेश यात्राओं पर

निगम का कुल कितना धन व्यय हुआ? इन विदेश यात्राओं का औचित्य/प्रयोजन क्या था तथा इससे निगम को क्या लाभ हुआ है? उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्ष 2002 से गढ़वाल मण्डल विकास निगम के मा0 अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक, पर्यटन एवं प्रशासन तथा स्कीईंग प्रशिक्षक द्वारा विदेश यात्रायें की गई हैं। इनमें से अधिकारियों की यात्रा पर 10,63,325.00 (दस लाख तिरसठ हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) का व्यय हुआ। यह यात्रायें निगम हित में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से की गई।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में मा0 अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक एवं अन्य कार्मिकों द्वारा आटोनोमस तिब्बत क्षेत्र चीन, लन्दन एवं बर्लिन की विदेश यात्रायें की गई हैं। इन यात्राओं पर अब तक प्राप्त विवरण के अनुरूप 20.45 लाख की धनराशि व्यय हुई। इन यात्राओं का उद्देश्य निगम हित में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना था।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम में जी0एम0 पर्यटन, विपणन, प्रशासन एवं गैस के खाली पदों पर नियुक्ति

15. श्री अजय भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमायूँ मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम में जी0एम0 पर्यटन, जी0एम0 विपणन, जी0एम0 प्रशासन एवं जी0एम0 गैस के पद खाली हैं? यदि हाँ, तो कब से तथा कब तक उक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

गढ़वाल मण्डल विकास निगम में महाप्रबन्धक, पर्यटन एवं महाप्रबन्धक, विपणन का पद सृजित है एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में केवल महाप्रबन्धक, प्रशासन का पद सृजित है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा महाप्रबन्धक, पर्यटन एवं महाप्रबन्धक विपणन/उद्योग के पदों पर पदोन्नतियां की गई थीं, जिन्हें

मा० उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय द्वारा मा० लोक सेवा अधिकरण में प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में महाप्रबन्धक, प्रशासन के पद पर पी०सी०एस० संवर्ग के अधिकारी की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2002 में संविदा के अन्तर्गत नियुक्त ए०एन०एम० को स्थायी नियुक्ति

16. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002 में कितनी ए०एन०एम० संविदा के अन्तर्गत नियुक्त की गयीं तथा उनमें से कितनों को स्थायी नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है?

क्या सरकार शेष ए०एन०एम० को भी स्थायी नियुक्ति देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

उत्तरांचल में वर्ष 2002 में संविदा के आधार पर विभिन्न जनपदों में 269 ए०एन०एम० को तैनात किया गया था। इनमें से 112 को उनकी वरिष्ठता के आधार पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

पदों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम की वर्ष 1999 से 2005 तक वित्तीय स्थिति

17. श्री अजय भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमायूँ मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम की वर्ष 1999–2000 से 2004–2005 तक वर्षवार वित्तीय स्थिति क्या है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

(धन0 लाख रु0 में)

गढ़वाल मण्डल विकास निगम		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि	शुद्ध लाभ/हानि
99–2000	+0.71	+33.30
2000–01	+13.64	+21.89
2001–02	–114.59	+150.63
2002–03	–96.65	+141.93
2003–04	+409.70	+55.27
2004–05	+559.53	+141.10

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति

18. श्री नारायण राम आर्य–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में कितने अनुदेशक के पद रिक्त हैं?

उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में अनुदेशक के चार पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा स्थित कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट का नाम परिवर्तन

19. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा स्थित कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट का नाम द्वाराहाट के पूर्व मा0 विधायक स्व0 श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी की स्मृति में किये जाने पर निर्णय ले लिया गया है?

यदि नहीं, तो कब तक कॉलेज का नाम परिवर्तित कर दिया जायेगा?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

समय निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ में देवगढ़ तथा सेरा में गंधक पानी स्नान गृह का निर्माण पर खर्च का ब्यौरा

20. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में देवगढ़ तथा सेरा में वर्ष 1996 में स्वीकृत गंधक पानी स्नान गृह के निर्माण कार्य में कुल कितना रुपया खर्च किया गया है एवं किन कारणों से निर्माण कार्य रोका गया है? क्या सरकार निर्माण कार्य पुनः आरम्भ करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद पिथौरागढ़ में सेराघाट तथा मदकोट में गन्धक पानी स्नान गृह (स्पा) के निर्माण हेतु निर्माण इकाई अखिल भारतीय रचनात्मक कार्य संस्थान को तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुल 48.03 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। निर्माण इकाई द्वारा स्वीकृत योजना के अनुरूप निर्माण पूर्ण कार्य नहीं किया गया। इस हेतु निर्माण इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसके उपरान्त ही इस योजना के सन्दर्भ में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शराब की दुकानों के आवंटन की पद्धति तथा शराब व्यवसायियों के हैसियत प्रमाण–पत्र

21. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शराब की दुकानें लाटरी पद्धति से स्वीकार की जाती है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लाटरी डालने वाले व्यक्तियों से हैसियत प्रमाण-पत्र लिया जाता है? यदि हाँ, तो इस हेतु कोई मानक तय किये गये है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

प्रदेश में देशी एवं विदेशी मदिरा की प्रत्येक दुकान का अलग-अलग राजस्व निर्धारित करके निर्धारित राजस्व पर एक दुकान हेतु एक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदनकर्ता को दुकान आवंटित कर दी जाती है किन्तु यदि किसी दुकान हेतु उसके निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में लाटरी पद्धति द्वारा दुकान का आवंटन किया जाता है।

लाटरी डालने वाले व्यक्तियों से कोई हैसियत प्रमाण-पत्र नहीं लिया जाता है, बल्कि मदिरा की दुकान आवंटित होने पर सम्बन्धित अनुज्ञापी से हैसियत प्रमाण-पत्र लिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचुला कोट को पर्यटन मास्टर प्लान में सम्मिलित करने पर विचार

22. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचुला कोट जो कि एक रमणीक, धार्मिक तथा दिव्य स्थल है, को पर्यटन के मास्टर प्लान में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

इस संदर्भ में विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ जिले के गणाई गंगोली में प्रस्तावित पर्यटक आवास गृह का निर्माण

23. श्री नारायण राम आर्य–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के गणाई गंगोली में जिला प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित पर्यटक आवास गृह हेतु धन स्वीकृत हो गया है? यदि हाँ, तो कब तक भवन निर्माण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, पिथौरागढ़ द्वारा गुन्जी गंगोली में जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटक आवास गृह हेतु योजना अनुमोदित की गई। किन्तु योजना आगणन/प्रस्ताव शासन को प्राप्त न होने के कारण अभी तक इस योजना हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

उत्तरकाशी के वि0ख0 डुण्डा के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय कल्याणी व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमखाल में चिकित्सकों की तैनाती

24. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय, कल्याणी व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरमखाल (गेंवला) में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है?

यदि हाँ, तो उक्त केन्द्रों में कब तक चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

संविदा पर चयनित चिकित्सकों के योगदान करने पर प्रश्नगत चिकित्सालयों में तैनाती की जा सकेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी में स्थित नैसर्गिक बुग्याल स्थलों बेलक, जौराई आदि को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना

25. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में स्थित नैसर्गिक बुग्याल स्थलों बेलक, जौराई, कुशकल्याण सहस्त्रताल को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो उस पर कब तक क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

बेलक, सहस्त्रताल क्षेत्र को ट्रैक मार्ग से जोड़े जाने हेतु ट्रैक मास्टर प्लान में संस्तुति की गई है, साथ ही वित्तीय वर्ष 2004–05 में सिला से कुशकल्याण तक ट्रैक मार्ग के सुधार हेतु योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में नये टैक्सी वाहनों के परमिट पर रोक

26. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में नये टैक्सी वाहनों के परमिटों पर कोई रोक लगाई गयी है?

यदि हॉं, तो यह रोक कब से लागू की गयी तथा इसके क्या कारण हैं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी०बी० पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी, पौड़ी में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु अर्हतायें

27. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जी०बी० पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी, पौड़ी में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताएं क्या हैं?

क्या उक्त पद पर अर्हताओं के मापदण्डों के आधार पर नियुक्ति की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी०बी० पन्त इंजी० कॉलेज घुड़दौड़ी, पौड़ी में प्राचार्य पद की अर्हतायें निम्नवत् हैं:–

अ–<u>अकादमिक क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव:–</u>

सम्बन्धित शाखा के आचार्य पद की शैक्षिक अर्हता के समकक्ष। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शैक्षिक/उद्योग/शोध के क्षेत्र में 15 वर्ष के अनुभव के साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव आचार्य या उससे उच्च स्तर पर होना आवश्यक है।

ब–उद्योग एवं व्यवसायिक क्षेत्र के व्यक्तियों हेतु शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव:–

उद्योग एवं व्यवसाय के अभ्यर्थी अभियांत्रिकी/तकनीकी में परास्नातक की उपाधि के साथ पी0एच0डी0 के समकक्ष महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्य एवं 15 वर्ष का औद्योगिक/व्यवसायिक अनुभव जिसमें 5 वर्ष का वरिष्ठ स्तर का अनुभव आचार्य पद के समकक्ष हो।

वांछनीय:–

उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर प्रशासनिक अनुभव।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2004–05 में डायरिया प्रकोपित जनपद एवं इसकी रोकथाम के उपाय

28. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004–05 में डायरिया का प्रकोप किन–किन जनपदों में सर्वाधिक रहा है तथा सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये क्या–क्या कदम उठाये गए?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि डायरिया से उक्त वर्ष में कुल कितनी मौत हुई तथा सरकार द्वारा मृतकों के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

डायरिया का प्रकोप जनपद रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून तथा चमोली में सर्वाधिक है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु प्रथम सूचना मिलते ही चिकित्सा दलों को मय औषधियों सहित निरोधात्मक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। स्थिति नियंत्रण में होने तक चिकित्सा दलों की तैनाती प्रभावी क्षेत्र में ही रहती है।

डायरिया से वर्ष 2004–05 में कुल 39 मृत्यु हुई। मृतकों के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है।

आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्राविधान नहीं है। ग्रसित रोगियों को समुचित उपचार एवं चिकित्सा सहायता निःशुल्क प्रदान की गई है।

जनपद चमोली के नीती–माणा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

29. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के नीती–माणा से कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः प्रारम्भ करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया है?

यदि हाँ, तो प्रस्ताव कब भेजा गया?

यदि नहीं? तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं।

यह प्रदेश व केन्द्र सरकार के लिये एक नीति विषयक विषय होने एवं सुरक्षा व तकनीकी की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील होने के कारण व्यापक परीक्षण के उपरान्त ही प्रस्ताव भेजा जाना उचित है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 मुख्यालय चिन्यालीसौड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों पर नियुक्ति

30. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मुख्यालय चिन्यालीसौड़ में स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं।?

स्वीकृत पदों में से वर्तमान में कुल कितने कार्यरत हैं?

रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मुख्यालय चिन्यालीसौड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1. चिकित्साधिकारी	01	01	–
2. फार्मासिस्ट	01	01	–
3. नेत्र सहायक	01	01	–
4. स्वा0 निरीक्षका	01	01	–
5. खाद्य निरीक्षक	01	01	–
6. ए0एन0एम0	01	01	–
7. कक्ष सेवक	01	01	–
8. अर्दली/एम0वी0	01	01	–
9. स्वीपर/चौकीदार	01	01	–

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

हेमकुण्ड साहिब के दर्शनार्थ यात्रियों हेतु घांघरिया में अतिरिक्त पर्यटन आवास गृह बनाने पर विचार

31. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि प्रति वर्ष हेमकुण्ड साहिब के दर्शनार्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार यात्रियों की सुविधा हेतु घांघरिया में अतिरिक्त पर्यटन आवास गृह बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

श्री हेमकुण्ड साहिब में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 40 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह का निर्माण पूर्व में कराया गया है। यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये 20 शैय्याओं के प्री–फैब्रिकेटेड हट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो निकट भविष्य में ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग के कालूसैंण में आयुर्वैदिक चिकित्सालय खोलने पर विचार

32. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के कालूसैंण में आयुर्वैदिक चिकित्सालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से आयुर्वैदिक चिकित्सालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग के कण्छारा के छातेश्वर मन्दिर का सौन्दर्यीकरण

33. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के प्रसिद्ध मन्दिर नैनिसैण कण्छारा के छातेश्वर मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों के अधीन नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु रज्जु मार्गों का निर्माण

34. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के कतिपय ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर्यावरण एवम् वन विभाग की आपत्तियों के कारण मोटर मार्ग निर्माण सम्भव नहीं हो पा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे पर्यटन क्षेत्रों में विकास हेतु रज्जु मार्ग निर्माण कराये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो इस हेतु किन पर्यटन केन्द्रों का चयन किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मोटर मार्गों के विकल्प के रूप में रज्जु मार्गों का निर्माण यद्यपि पर्यटन विभाग का विषय नहीं है, तथापि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर रज्जु मार्गों के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा ऋषिकेश–नीलकंठ रज्जुमार्ग एवं रामबाड़ा–श्री केदारनाथ रज्जु मार्ग की प्री–फिजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार

35. श्री अजय भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उत्तरांचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कुल कितने कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं?

क्या इन कर्मचारियों को नियमित करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक इन कर्मचारियों को नियमित कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल परिवहन निगम में 423 संविदा चालक तथा 348 संविदा परिचालक अर्थात् कुल 771 व्यक्ति संविदा पर कार्यरत हैं।

वर्तमान में परिवहन निगम में चालक/परिचालक के पद पर भर्ती नहीं की जा रही है। किन्तु भविष्य में नियमित भर्ती होने पर संविदारत कार्मिकों को नियुक्ति में उनकी वरिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए वरीयता दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नही उठता।

राज्य गठन से वर्तमान तक राज्य सड़क परिवहन निगम को हुए घाटे के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

36. श्री अजय भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को राज्य गठन से वर्तमान समय तक कुल कितने रुपये का घाटा हुआ है?

इस घाटे का क्या कारण है, तथा घाटे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन 31 अक्टूबर, 2003 को हुआ। उत्तरांचल परिवहन निगम के गठन से वर्तमान समय तक (फरवरी 2005 तक) रुपया 2552.86 लाख का घाटा हुआ है।

घाटे के मुख्यतः निम्नलिखित कारण रहे:–

1. निगम को पुरानी बसों का जर्जर बेड़ा प्राप्त होना।

2. डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि।

3. माह नवम्बर, 2004 से निगम कर्मियों के महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना।

4. पूर्व में बढ़े हुए 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान किया जाना।

5. मोटर दुर्घटना क्लेम के अन्तर्गत अधिक भुगतान।

निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी लगन, कठोर मेहनत एवं कार्यकुशलता से निगम को लाभ की ओर लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। घाटे के लिए निगम के अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं। अतः निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल के गठन के बाद सभी प्रकार की खरीदी गई बसों एवं इनके संचालन का विवरण

37. श्री अजय भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल बनने के बाद कुल कितनी बसें एवं हाईटेक डीलक्स बसें सरकार द्वारा खरीदी गयी हैं तथा वर्तमान में इन बसों को किन–किन स्थानों से कहाँ–कहाँ तक संचालित किया जा रहा है?

क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल परिवहन निगम बनने के बाद अब तक 400 बस चैसिसों का क्रयादेश पारित किया गया है। जिसमें से 380 चैसिसें प्राप्त कर ली गई हैं। प्राप्त चैसिसों में से 264 चैसिसों का भुगतान कर दिया गया है। 244 चैसिसों पर नई बस बॉडी बनकर मार्गों पर संचालित हैं। जिनमें 40 हाईटेक डिलक्स बसें एवं 204 साधारण बसें सम्मिलित हैं।

सम्पूर्ण विवरण संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

(सम्पूर्ण विवरण देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 161 से 165 पर)

प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग होम्स की संख्या एवं वर्ष 2004–2005 में हुए भ्रूण हत्या के सम्बन्ध में कार्यवाही

38. श्री नारायण पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी अभिलेखानुसार प्रदेश में कितने प्राइवेट नर्सिंग होम इस समय कार्य कर रहे हैं?

क्या ये नर्सिंग होम सरकार के मानकों के अनुरूप स्थापित हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स में वर्ष 2004–2005 में भ्रूण हत्या के कितने मामले प्रकाश में आए तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री तिलक राज बेहड़–

164 प्राइवेट नर्सिंग होम कार्य कर रहे हैं।

प्राइवेट नर्सिंग होम हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है।

वर्ष 2004–2005 में भ्रूण हत्या का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रदेश के जिला अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डेन्टल हाईजिनिस्ट के सृजित पदों पर नियुक्ति

39. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डेन्टल हाईजिनिस्ट के पद सृजित हैं?

यदि हाँ, तो इन सृजित एवं रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण

40. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में कुल कितने कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं? क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत 290 कार्मिकों को संविदा पर रखा गया है। निगम के व्यवसाय के अनुरूप कार्य न होने की अवधि में इन कर्मियों को कार्य से पृथक कर दिया जाता है। एक व्यवसायिक इकाई होने के कारण निगम द्वारा संविदा पर कार्य कराया जा रहा है। अतः ऐसे कार्मिकों के नियमितीकरण का औचित्य नहीं है।

सरकार द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा पत्र के अनुसार बेरोजगारों को रोजगार देने का विवरण

41. श्री नारायण पाल–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में 02 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी?

यदि हाँ, तो कितने बेरोजगारों को अब तक रोजगार उपलब्ध किया गया है?

क्या सरकार विभागवार विवरण सभा पटल पर रखने का कष्ट करेंगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित यू0पी0 डिजिटल्स लि0 फैक्ट्री के कर्मचारियों हेतु कार्य योजना

42. श्री नारायण सिंह जतवाल–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि भवाली जनपद नैनीताल स्थित यू0पी0 डिजिटल्स लिमिटेड वर्तमान में कुमायूँ मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित फैक्ट्री सुचारु रूप से नहीं चल रही है?

यदि हाँ, तो फैक्ट्री एवं उसमें कार्यरत कार्मियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार कर ली है, उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

इस इकाई में कार्यरत कार्मिकों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। नियमानुसार सभी बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त ही इस पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

जनपद नैनीताल स्थित रोडवेज तथा वर्कशाप को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार

43. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भवाली (जनपद–नैनीताल) स्थित रोडवेज स्टेशन एवं वर्कशाप वर्तमान परिस्थितियों एवं स्थान की कमी के कारण समस्याओं से ग्रस्त है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्कशाप को भवाली के पास फरसौली या किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

जी हाँ। भवाली कार्यशाला से भीमताल मार्ग पर लगभग 03 किमी० की दूरी पर फरसौली नामक स्थान पर भूमि उपलब्ध कराये जाने पर जिलाधिकारी नैनीताल से अपेक्षा की गई है।

उपरोक्तानुसार यथासमय।

राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान अल्मोड़ा में उपकरणों की खरीद का बजट तथा फर्मों से क्रय किये सामान का विवरण

44. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग संस्थान अल्मोड़ा को उपकरणों व कैटरिंग सामान की खरीद हेतु वर्ष 2002 से 2004 तक कुल कितना बजट आवंटित किया गया?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त संस्थान को आवंटित धनराशि से क्या–क्या सामान किन–किन फर्मों से क्रय किया गया?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, अल्मोड़ा को वित्तीय वर्ष 2002–2003 एवं 2003–04 में रु0 37.50 लाख की धनराशि साज–सज्जा व उपकरण मद में आवंटित की गई। इस धनराशि से फर्नीचर, किचन उपकरण, हाउस कीपिंग उपकरण, गैस पाईप लाईन व गैस चैम्बर आदि का क्रय मैसर्स आशीर्वाद इन्टरप्राइजेज, हल्द्वानी, गुरुरानी इन्टरप्राइजेज, अल्मोड़ा एवं इनर्वेली इन्टरप्राइजेज, देहरादून से क्रय किया गया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नीलकंठ महादेव हेतु रज्जु मार्ग की स्थापना

45. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नीलकंठ महादेव हेतु सरकार रोप–वे (रज्जु मार्ग) बनाने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक 'रोप–वे' बन जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

रज्जु मार्ग एक तकनीकी एवं वित्त साध्य योजना है। इस दृष्टि से वर्तमान में नीलकंठ महादेव हेतु रज्जु मार्ग की स्थापना के लिये प्री–फिजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है। इसके उपरान्त ही इस रज्जु मार्ग की स्थापना पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला मुन्स्यारी के छिपलाकेदार इत्यादि को उत्तराखण्ड के पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग

46. श्री गगन सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला–मुन्स्यारी के छिपलाकेदार, कोकिला, कनार, छोटा कैलाश को उत्तरांचल के पर्यटन मानचित्र में शामिल किया गया है?

यदि नहीं, तो कब तक शामिल किया जायेगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

पर्यटन मानचित्र को उपयोगी एवं स्पष्ट रखने की दृष्टि से उसमें अत्यधिक स्थानों को दर्शाना सम्भव नहीं होता है, तथापि छोटा कैलाश क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर दर्शाया गया है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राज0 ऐलोपैथिक चिकित्सालय जसपुर, द्वारीखाल इत्यादि में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

47. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के रा0 ऐलोपैथिक चिकित्सालय जसपुर, द्वारीखाल, किनसुर, कोडी एवं भरपूर में चिकित्सकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय भरपूर में संविदा पर चिकित्सक की नियुक्ति की जा चुकी है।

संविदा पर चयनित चिकित्सकों के योगदान करने पर उक्त चिकित्सालयों में यथासमय तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के वि0ख0 थत्यूड़ के पर्यटक स्थल नागटिब्बा व देवलसारी हेतु विकास योजना

48. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड थत्यूड़ के अन्तर्गत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नागटिब्बा व देवलसारी के विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में पर्यटन स्थल नागटिब्बा के सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से औतड़ से नागटिब्बा तक के 07 कि0मी0 पैदल मार्ग के सौन्दर्यीकरण का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। देवलसारी हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नौजवानों को निश्चित प्रतिशत रोजगार देने पर विचार

49. श्री नारायण सिंह जंतवाल

एवं श्री प्रकाश पन्त–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में प्रदेश के नौजवानों को निश्चित प्रतिशत रोजगार देने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

प्रदेश की प्रस्तावित रोजगार नीति में यह प्राविधान कराया जाना विचाराधीन है कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में स्थापित हो रहे औद्योगिक प्रतिष्ठानों/औद्योगिक घरानों का औद्योगिक प्रतिष्ठान के पंजीकरण अथवा उन्हें भूखण्ड इत्यादि आवंटन के समय ही हिमाचल राज्य की तर्ज पर 80 प्रतिशत राज्य के बेरोजगार युवकों को उनकी योग्यता के अनुरूप अपने प्रतिष्ठान में नियोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के नौगांव स्थित ग्राम बनास व ओजरी में गर्म पानी के चश्मों व झरनों के विकास की योजना

50. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में स्थित ग्राम बनास व ओजरी में गर्मपानी के चश्मों व पानी के झरने के विकास के लिए कोई योजना बनायी जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में इन स्थलों के पर्यटन विकास से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कोई योजना विचाराधीन नहीं है, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रस्ताव होने पर वित्तीय संसाधनों के अधीन नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

51. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 10–02–2004 को मुख्यमंत्री जी द्वारा मनेरी उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सी०एच०सी० की स्थापना की घोषणा की गयी थी?

यदि हाँ, तो चिन्यालीसौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1284/XXVIII(3)-2004-01/05 दिनांक 30–03–2005 द्वारा रू0 55.67 लाख की लागत पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर स्थापना की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी स्थित नागनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण

52. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी स्थित नागनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं।

इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

देहरादून से हापला जौरासी हेतु रोडवेज बस का संचालन

53. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार देहरादून से हापला जौरासी हेतु रोडवेज बस चलाये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

देहरादून क्षेत्र के पर्वतीय डिपो द्वारा देहरादून से हापला जौरासी हेतु बस दि0 17–03–05 से संचालित कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना के धौलछीना क्षेत्र में राजकीय आई०टी०आई० खोलने पर विचार

54. श्री कैलाश शर्मा–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भैसियाछाना के धौलछीना क्षेत्र वासियों द्वारा राजकीय आई०टी०आई० खोलने की मांग लम्बे समय से की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2005–06 में उक्त क्षेत्रवासियों की माग के अनुरूप उक्त क्षेत्र में आई०टी०आई० खोलने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों, नहीं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

जी नहीं।

क्योंकि वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत दस आई०टी०आई० क्रमशः अल्मोड़ा, ब्राइटन कार्नर, दन्या, सल्टकौरेला, दौला, स्याल्दे, जयन्ती, रानीखेत, मछोड़ तथा सूँट पूर्व से ही स्वीकृत हैं।

अल्मोड़ा के मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग

55. श्री कैलाश शर्मा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के नागरिकों द्वारा अल्मोड़ा मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने की मांग की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

हरगोविन्द पंत राजकीय जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा के निर्माणाधीन भवन का पूर्ण निर्माण

56. श्री कैलाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के हरगोविन्द पंत रा० जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा के निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद अल्मोड़ा के हरगोविन्द पंत राजकीय जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा के निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य माह दिसम्बर 2005 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय में राजकीय पॉलीटैक्निक खोले जाने पर विचार

57. श्री प्रकाश पन्त–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय पॉलीटैक्निक कॉलेज संचालित है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद मुख्यालय में राजकीय पॉलीटैक्निक खोले जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

सम्प्रति, जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय में राजकीय पॉलीटैक्निक खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली में एक राजकीय पॉलीटैक्निक खोला जाना प्रस्तावित है।

उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी में स्थित मनेरी के कृत्रिम जलाशय में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नौकायन की मांग

58. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में स्थित मनेरी के कृत्रिम जलाशय में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नौकायन प्रारम्भ करवाया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में इस जलाशय का पर्यटन की दृष्टि से विकास किये जाने हेतु सी0बी0आर0आई0, रुड़की के माध्यम से एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के उपरान्त ही नौकायन जैसे तकनीकी विषय पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजनान्तर्गत छोटी गाड़ियों के प्रार्थना–पत्रों के स्वीकार न करने के कारण

59. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में चलायी जा रही स्व0 वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजनान्तर्गत छोटी गाड़ियों को स्वरोजगार का साधन बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं?

यदि हाँ, तो योजना के इस प्रमुख व्यवसाय को स्थगित करने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार इस योजना में छोटी गाड़ियों हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर स्वरोजगार उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना भी है, जिसमें परिवहन सुविधा भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त आवासीय इकाईयां, फास्ट फूड सैन्टर्स, पी0सी0ओ0/सूचना केन्द्र, रैस्टोरेंट/पर्यटन सुविधा केन्द्र, मोटर

गैराज एवं हस्तशिल्प शो-रूम आदि महत्वपूर्ण पर्यटन सुविधाओं का विकास भी इस योजना के माध्यम से प्रस्तावित है। माह फरवरी-2004 तक की समीक्षा के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस समय तक केवल बस एवं टैक्सी हेतु 97 आवेदकों को ऋण वितरित किये गये, जबकि उपरोक्त अन्य सभी पर्यटन इकाईयों के लिये कुल 94 आवेदकों को ऋण वितरित किये जा सके। इस प्रकार वाहन मद में अत्यधिक ऋण वितरण को देखते हुये अन्य योजनाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से परिवहन सुविधाओं को फिलहाल अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है।

अन्य योजनाओं को भी पर्याप्त महत्व मिलने व लाभार्थियों को इनके प्रचार-प्रसार के उपरान्त परिवहन सुविधाओं के लिये भी ऋण वितरण हेतु विचार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जनपद के विक्टर मोहन जोशी राजकीय महिला चिकित्सालय में रेडियोलोजिस्ट के पद का सृजन

60. श्री कैलाश शर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के विक्टर मोहन जोशी रा० महिला चिकित्सालय में रेडियोलोजिस्ट का पद सृजित है?

यदि हाँ, तो उक्त चिकित्सालय में रेडियोलोजिस्ट के पद पर तैनाती कब तक कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जनपद के विक्टर मोहन जोशी रा० महिला चिकित्सालय में रेडियोलोजिस्ट विभाग स्थापित नहीं है।

अल्मोड़ा जनपद में गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय में विभिन्न रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति

61. श्री कैलाश शर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा में आपातकालीन चिकित्सा ऑफिसर, हृदय रोग चिकित्सक, प्लास्टिक सर्जन, एनस्थिसिया, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन रेडियोलोजिस्ट के पद सृजित है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

अल्मोड़ा जनपद के गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा में आपातकालीन चिकित्सा ऑफिसर, हृदय रोग चिकित्सक, एनस्थिसिया न्यूरो सर्जन, रेडियोलोजिस्ट के पद सृजित हैं तथा प्लास्टिक सर्जन व न्यूरो फिजिशियन के पद सृजित नहीं हैं।

अल्मोड़ा जनपद के गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा में आपातकालीन चिकित्सा ऑफिसर एवं रेडियोलोजिस्ट वर्तमान में कार्यरत हैं।

हृदय रोग चिकित्सक एवं एनस्थिसिया के पदों पर तैनाती शीघ्र की जा रही है। न्यूरो सर्जन लोक सेवा आयोग/संविदा पर उपलब्ध होने पर तैनात कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के विक्टर मोहन जोशी रा० महिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा बालरोग विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसर्स पी०पी०सी० एनस्थीसिया आदि रिक्त पदों पर तैनाती

62. श्री कैलाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के विक्टर मोहन जोशी रा० महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा बाल रोग विशेषज्ञ, आपातकालीन चिकित्सा ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स पी०पी०सी० एनस्थीसिया के पद रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो उक्त पदों पर सरकार द्वारा तैनाती कब तक कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं बाल रोग विशेषज्ञ, आपातकालीन चिकित्सा ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स पी०पी०सी० एनस्थीसिया के पदों पर चिकित्सकों के उपलब्ध होने पर तैनाती कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

हरगोविन्द पन्त रा0 जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में वरिष्ठ तथा साधारण ग्रेड के चिकित्सकों की नियुक्ति

63. श्री कैलाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के हर गोविन्द पन्त रा0 जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में वरिष्ठ चिकित्सकों तथा साधारण ग्रेड के चिकित्सकों के कितने–कितने पद स्वीकृत हैं?

क्या उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत पदों में चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

अल्मोड़ा जनपद के हरगोविन्द पन्त रा0 जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में वरिष्ठ चिकित्सकों तथा साधारण ग्रेड के चिकित्सकों के पद निम्न प्रकार से स्वीकृत हैं:–

1. वरिष्ठ चिकित्साधिकारी – 07

2. साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी – 16

हरगोविन्द पन्त रा0 जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में 05 वरिष्ठ चिकित्सक तथा 13 साधारण ग्रेड के चिकित्सक नियुक्त हैं।

शेष पदों पर चिकित्सकों के उपलब्ध होने पर यथासम्भव तैनाती की जायेगी।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के पर्यटन स्थल नीलकंठ महादेव, यमकेश्वर महादेव इत्यादि के पर्यटन विकास हेतु संरक्षण/सौन्दर्यीकरण की योजना

64. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ महादेव, यमकेश्वर महादेव, महाबगढ़, वशिष्ठ आश्रम, देवीखाल, भैरवगढ़ी, नागदेवगढ़ी, पैठाणी तथा किलोगी के पर्यटन विकास हेतु शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

यदि हाँ, तो उक्त स्थानों के संरक्षण, सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना चुकी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में इंगित इन क्षेत्रों में से नीलकंठ महादेव, यमकेश्वर महादेव तथा महाबगढ़ के पर्यटन विकास सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन पर वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं। अन्य स्थानों हेतु कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में अति दुर्गम क्षेत्रों में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने पर विचार

65. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में कुल कितने मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं?

कितने केन्द्र भवन विहीन हैं?

क्या यह सत्य है कि अति दुर्गम क्षेत्रों में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नहीं हैं।

क्या सरकार जनहित में ग्राम सभा माला, ग्राम सभा नैल, ग्राम सभा कूंतणी में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में 25 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र (उपकेन्द्र) स्थापित हैं।

19 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र (उपकेन्द्र) भवन विहीन हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्ष 1991 की ग्रामीण जनसंख्या को आधार मानते हुये जनपद पौड़ी में वर्तमान में 203 उपकेन्द्र पूर्व से ही स्थापित हैं जो कि मानक से अधिक हैं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय जसपुर (मल्लाढाग्) का भवन निर्माण

66. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, जसपुर (मल्लाढाग्) का भवन अत्यन्त जीर्ण, क्षतिग्रस्त किराये के भवन में चल रहा है?

क्या यह सत्य है कि चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु जनता द्वारा भूमि दी गयी है?

यदि हाँ, तो भवन निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार उक्त चिकित्सालय भवन निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

जी हाँ।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत कराया जाता है और उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2004–2005 में भवन निर्माण सम्भव नहीं हो सका।

उपरोक्तानुसार।

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या एवं प्रदत्त अभ्यर्थियों की संख्या

67. श्री प्रकाश पंत

एवं

श्री मदन कौशिक–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में 01 मार्च, 2004 से 01 मार्च, 2005 के मध्य सेवायोजन कार्यालयों में कितने बेरोजगार पंजीकृत किये गये तथा कितने बेरोजगारों को आलोच्य वर्ष में रोजगार प्रदान किया गया?

क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा 01 मार्च, 2004 से 01 मार्च, 2005 तक कुल 71,225 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार की प्रत्याशा में पंजीकृत किया गया।

आलोच्य वर्ष में सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से कुल 2,197 पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के देहली-यमुनोत्री मोटर मार्ग में जानकी चट्टी तक यातायात सुविधा

68. श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के देहली-यमुनोत्री-मोटर मार्ग सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा हनुमान चट्टी तक ही यातायात हेतु पारित है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कब तक उक्त मोटर मार्ग को जानकी चट्टी तक यातायात हेतु पारित कराया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल तक राज्य परिवहन निगम की बस का संचालन

69. श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल तक प्रतिदिन देहरादून से राज्य पथ परिवहन निगम की बस का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट-

जी नहीं।

विगत वर्षों में देहरादून से हर्षिल तक परिवहन निगम की बस सेवा संचालित थी किन्तु कालान्तर में आय कम होने के कारण बस सेवा बन्द कर दी गयी। इस रूट पर कम आय होने के कारण ही अभी तक उक्त सेवा का संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है।

जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्द प्रयाग में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने पर विचार

70. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के अन्तर्गत नगर पंचायत नन्द प्रयाग की जनता लम्बे समय से नन्द प्रयाग में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की मांग करती आ रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नन्द प्रयाग में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

जी नहीं।

क्योंकि, स्थान नन्द प्रयाग में पूर्व से ही एक उपकेन्द्र तथा एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित है। इस स्थान से 6 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बिरपाक, 10 कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमोली एवं 20 कि0मी0 की दूरी पर जिला चिकित्सालय स्थित है।

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फर्नीचर आदि की ऊँची दरों पर खरीद एवं कम गुणवत्ता की शिकायत पर कार्यवाही

71. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2003–04 में प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल कितनी फर्नीचर आदि की खरीद की गयी है?

क्या सरकार के संज्ञान में है, कि क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता में कमी तथा बाजार भाव से ऊंची दरों पर क्रय किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

क्या मंत्री जी खरीद फरोख्त का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

वर्ष 2003–04 में प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कुल रुपये 65,63,701/– का फर्नीचर क्रय किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कार्तिक स्वामी को पर्यटन एवं तीर्थाटन के रूप में विकसित किये जाने की योजना

72. श्रीमती आशा देवी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कार्तिक स्वामी को पर्यटन एवं तीर्थाटन के रूप में विकसित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कार्तिक स्वामी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की दृष्टि से कनकचौरी से कार्तिक स्वामी मन्दिर तक अश्व मार्ग के निर्माण तथा मन्दिर परिसर के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रु० 9.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिस पर वन विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2004–05 में घोषित आबकारी नीति में परिवर्तन के प्रमुख कारण

73. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या आबकारी मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार वर्ष 2004–05 में घोषित आबकारी नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो नीति परिवर्तन किये जाने के प्रमुख कारण क्या है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अधिसूचना संख्या–314/XXIII/2005/06/2005 दिनांक 03–03–2005 द्वारा आबकारी नीति अधिसूचित की जा चुकी है।

देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2004–05 की ही भांति है केवल राजस्व के हित में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन किये गये हैं।

पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही

74. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उक्त मेडिकल कॉलेज कब तक खोल दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

भारत सरकार को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है। भारत सरकार से लैटर ऑफ इन्टेन्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए क्रेन चालकों का अभाव

75. श्री हरबंस कपूर–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने हेतु मंगाई गयी दो क्रेन चालकों के अभाव में कार्य में नहीं लगायी जा रही हैं?

यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की जायेगी?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने हेतु एक क्रेन संख्या–यू0ए0–07 जी–8041 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तथा एक क्रेन संख्या–यू0ए0–074–8449 पुलिस अधीक्षक पौड़ी को आवंटित की गई है। जनपद देहरादून के लिए आवंटित क्रेन को थाना डोईवाला पर कैम्प कराया गया है तथा क्रेन पुलिस विभाग के आरक्षी चालक श्री प्रमोद कुमार द्वारा संचालित की जा रही है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लिये आवंटित क्रेन को थाना लक्ष्मण झूला में बैराज पुल गार्द पर कैम्प कराया गया है। क्रेन का संचालन पुलिस विभाग के चालक द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

–सदैव–

हरियाणा राज्य के ऊर्जा मंत्री एवं उद्योगपति श्री ओ०पी० जिन्दल तथा कृषि मंत्री चौ० सुरेन्द्र सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, बहुत दुःखद घटना है। कल दिनांक 31 मार्च, 2005 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास हेलीकाप्टर दुर्घटना में हरियाणा राज्य के ऊर्जा मंत्री एवं उद्योगपति श्री ओ०पी० जिन्दल, कृषि मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह तथा पायलट श्री टी०एस० चौहान की आकस्मिक मृत्यु हो गयी है। श्री ओ०पी० जिन्दल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह कांग्रेस के अग्रणी नेता थे तथा हरियाणा राजनीति में अहम स्थान रखते थे। हरियाणा राज्य तथा कांग्रेस के लिये यह अपूरणीय क्षति है। इससे यह सदन अत्यधिक व्यथित है। अतः यह सदन परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता है कि इस हृदयविदारक दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो संवेदनशील प्रस्ताव सदन में रखा और शोक व्यक्त किया मैं उससे अपने और अपने दल की ओर से सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, हरियाणा में दो मंत्रियों श्री ओ०पी० जिन्दल एवं श्री सुरेन्द्र सिंह तथा पायलट श्री टी०एस० चौहान जी की मृत्यु बड़ी दुःखद है। मान्यवर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे दल और सम्पूर्ण विपक्ष, सत्तापक्ष और हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचायें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कल हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दो काबीना मंत्री और उनके हेलीकॉप्टर के पायलट जिस तरह से आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हुए, वह सबको व्यथित करने वाली घटना है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रकट की गई भावना से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हवाई यात्राओं में सुरक्षा के जो नियम और मानक बनाये गये हैं, उनका भी कड़ाई से पालन हो, ताकि ऐसी दुःखद और हृदय विदारक घटना न हो। इस हृदय विदारक घटना को सहन

करने की शक्ति उनके परिवार को ईश्वर प्रदान करें। मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुँचा दें।

श्री अध्यक्ष–

कल सहारनपुर के निकट एक दुखद घटना घटी जिसमें हरियाणा सरकार के प्रमुख मंत्री और 8 औद्योगिक घराने में स्वर्गीय श्री ओ०पी० जिन्दल जी का नाम लिया जाता है और उनके साथ हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री के रूप में और पूर्व मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल जी के पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र सिंह जी थे, उनसे जनता को काफी अपेक्षायें थीं, उनके निधन से क्षति हुई है। उसमें हेलीकॉप्टर के पायलट स्वर्गीय श्री टी०एस० चौहान जी थे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने जो संवेदना व्यक्त की है और मृतक आत्मा के प्रति उनकी आत्मा की शान्ति के लिए जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने का सम्बद्ध करता हूँ। हमारी शोक संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दी जायेगी।

प्रश्न के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण है।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियम में व्यवस्था है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है यह हमारे उत्तरांचल में भ्रूण हत्या से सम्बन्धित है। हमने माननीय सदस्यों की माँग मान ली थी, इसमें जाँच के लिए कहा है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, तारांकित और अतारांकित प्रश्न में . . . . . .

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, तारांकित 7 चल रहा था मैंने स्वीकार करते हुए कह दिया। जब मैंने प्रश्न संख्या–38 को देखा तो दोनों बातें अलग–अलग हैं। इसलिए जो जाँच हेतु कहा गया था उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय, जिसमें मा० सदस्य श्री कौशिक द्वारा भी सहमति दी गयी।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही से हटा दिया जाये।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–301 में 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से मैं डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी और श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचना को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकृत करता हूँ।

दि0 20 मार्च, 2005 को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान बैढाणू, चमोली में बस दुर्घटना में मरे/घायल हुए लोगों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

***डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी**–

मान्यवर, दिनांक 20 मार्च, 2005 को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान बैढाणू जिला चमोली में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, बस दुर्घटना में पांच यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा दो ने चिकित्सालय लाते समय दम तोड़ा व दो यात्रियों की मौत चिकित्सालय में उपचार के दौरान कुल नौ यात्रियों की मृत्यु हुई है जिनके नाम क्रमशः इन्द्रादेवी, गोपेश्वर, कृष्णानन्द कोठियाल मैठाणा, जवाहर सिंह परमार घिघराण, महानन्द कोटियाल मैठाणा, कुमारी सीमा रतूड़ी, हरीश राणा कोटियाल सैंण, भूरा खान, शानपुर–नजीबाबाद, कमलादेवी पत्नी पूरनलाल पौढ़ी गढ़वाल एवं एक यात्री की शिनाख्त होनी बाकी है।

बस दुर्घटना में क्रमशः सर्व श्री पदमसिंह नेगी अल्कापुरी, संजय पंत हडकोटी, संजय कुमार, विक्रम सिंह बुड़ा–चोपता, दिनेश नेगी, प्रदीप कुमार रुद्रप्रयाग, यशपाल सिंह रावत, उमेश सती, नन्दन सिंह, सावित्री, प्रदीप हिंदवाल, घायल हुये हैं। यह एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त हादसे में मृतक यात्रियों के परिवारों को दो लाख रुपये प्रति परिवार तथा प्रत्येक घायल को एक लाख रुपये आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद नैनीताल के वि0ख0 भीमताल के अन्तर्गत ग्राम बेलबाखन के प्रा0पा0 के निकट बरसाती नाले व अमुवाखाल नाले से स्कूल, आवासीय भवन के हो रहे कटाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जतवाल-

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूँ।

जनपद नैनीताल में विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्राम बेलुवाखान, जो कि पूर्ण अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है, में प्रा0पा0 के निकट बरसाती नाले से व अमुवाखाल नाले से स्कूल भवन तथा घनी आबादी में उपयोगी भूमि व आवासीय भवनों को निरन्तर कटाव से खतरा बना हुआ है। उक्त दोनों स्थानों के क्षेत्रवासी आगामी भीषण तबाही की आशंका से भयभीत हैं। प्रभावितों द्वारा कई बार प्रशासन को भी सूचित किया जा चुका है एवं सुरक्षा की मांग की गयी है। विगत काफी समय से सुरक्षात्मक कार्यवाही न होने से क्षेत्र के लोगों में निराशा व आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि इस भीषण समस्या के समाधान हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर दें।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के वि0ख0 जहरीखाल के अन्तर्गत पीड़ा कन्दोली नहर के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजया बड़थ्वाल-

मान्यवर, जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जहरीखाल के अन्तर्गत पीड़ा-कन्दोली नहर की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उक्त नहर लगभग सात आठ गाँवों की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए 20 वर्ष पहले बनायी गई थी इससे सिंचित भूमि में ग्रामीणों को फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त होती थी। लेकिन विभाग की अनदेखी के कारण एवं मोटरमार्ग बनने से नहर पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त गाँवों की कृषि योग्य भूमि में सिंचाई न होने के कारण फसल पैदा नहीं की जा रही है, ग्रामीणों में भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गयी है इससे जनता को सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है। समय-समय पर जनता द्वारा नहर बनाने जाने की माँग की जाती रही है। लेकिन नहर की मरम्मत/पुनर्गठन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही की प्रबल माँग करती हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वि0ख0 द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा के बग्वालीपोखर ग्राम समूह पम्पिंग योजना के निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, विकास खण्ड–द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बग्वालीपोखर ग्राम समूह पम्पिंग योजना का निर्माण न होने से ग्राम सभा मेल्टा, सकुनी, भण्डार गांव, बासुलीसेरा, पनेरगांव, रावल सेरा, उडगल आदि गांव में, जहां लगभग दस हजार की आबादी है, पेयजल जैसी मूलभूत समस्या से क्षेत्रीय जनता में गम्भीर संकट बना हुआ है। उक्त गांवों द्वारा कई वर्षों से पेयजल निर्माण की मांग होती आयी है लेकिन आज तक गम्भीरता से नहीं लिया गया है। जबकि तीन वर्ष से प्रारूप प्राक्कलन सहित शासन स्तर पर लम्बित है। आज उक्त योजना क्षेत्रीय जनता के लिए मात्र आश्वासन बनकर रह गयी है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर मार्ग के त्रुटिपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, आपने मेरी सूचना को नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकार किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विषय–गदरपुर–दिनेशपुर मार्गों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में। उपरोक्त मार्ग का निर्माण उत्तरांचल वाह्य योजना मद से लोक निर्माण विभाग के देख–रेख में आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ। आज उपरोक्त मार्ग की भौतिक अवस्था जीर्ण–शीर्ण, बड़े–2 गड्ढे युक्त है। महोदय जब मार्ग का निर्माण हो रहा था, समय–समय पर विभाग को मेरे द्वारा कई बार शिकायत की गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके परिणाम आज दिखाई दे रहा है। महोदय यह लोक महत्व का प्रश्न है। त्रुटिपूर्ण निर्माण के दोषी लोगों को दण्ड देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के मड़कनाली मानुरा सुगड़ी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकासखण्ड गंगोलीहाट के मड़कनाली मानुरा–सुगड़ी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री पदम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ ग्राम सभाओं को यातायात सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ ग्राम सभाओं को यातायात सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में श्री नारायण दत्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में चंदियाल स्थान बालगंगा नदी पर सम्पर्क गार्डर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

* श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में चंदियाल स्थान बाल गंगा नदी पर सम्पर्क गार्डर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री पूरण सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी मुख्यालय से हरिशंकर, चौण्डी, रौता तथा कनकचौरी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी मुख्यालय से हरिशंकर, चौण्डी, रौता तथा कनकचौरी मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिव राज सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी से जूनियर हाईस्कूल विरसण सैरा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के जूनियर हाइस्कूल विरसण सैरा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री चन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत 1–श्री नारायण पाल, 2–श्री प्रेमानन्द महाजन, 3–श्री नारायण सिंह जन्तवाल, 4–श्री काशी सिंह ऐरी, 5–श्री मातबर सिंह कण्डारी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट तथा श्री कैलाश शर्मा, 6–श्री हरभजन सिंह चीमा, 7–श्री हरबंस कपूर तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 8–श्री मालचन्द, 9–श्री बिशन सिंह चुफाल, 10–श्री मदन कौशिक, 11–श्रीमती आशा देवी तथा 12–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1–श्री प्रेमानन्द महाजन, 2–श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट तथा श्री कैलाश शर्मा, 3–श्री मालचन्द तथा 4–श्रीमती आशा देवी की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, आपने नियम 58 के अन्तर्गत मेरी सूचना को स्वीकार किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, विधायक निधि से कई कार्यों के लिए हम पैसा देते हैं। जिससे मेरे द्वारा वर्तमान वर्ष में और पिछले वर्ष में काफी पैसा दिया गया है। परन्तु विभागीय लापरवाही के कारण पोल लगाने का कार्य नहीं हो पाया है। जो पैसा मेरे द्वारा दिया गया था उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। यह विभागीय लापरवाही का प्रश्न है, यह सीधे–सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, वर्ष 2003–04 में रुपये 4.50 लाख की धनराशि विधायक निधि से प्राप्त हुई थी। जिसमें से 22 पोल लगाये जाने का कार्य किया जाना था। 20 पोल लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, केवल 2 स्थानों पर विवाद के कारण कार्य नहीं हो पाया है। इस मद में पूर्ण धनराशि व्यय हो चुकी है। 1.67 लाख रुपये प्राप्त हुए थे उसमें इतने पोल लगाने का कार्य किया जाना था।

माह अक्टूबर, 2004 में स्थल चयनित हुये, कार्यों की व्यवस्थायें हुई और मई 2005 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी का उत्तर अपनी जगह ठीक हो सकता है लेकिन वास्तविकता को देखा जाये तो वह ठीक नहीं है, यह सही है कि वहां पर सामान पड़ा है लेकिन काम नहीं हुआ। जो विभाग के उच्चाधिकारी हैं, वह इस बात को सुनते नहीं हैं। मान्यवर, जो पैसा वर्ष 2003–2004 में मैंने दिया था उसका भी उपयोग नहीं हुआ है, पोल पड़े हैं लेकिन विभाग इस कार्य को सिरीयसली नहीं लेता है।

श्री अध्यक्ष–

विद्युतीकरण के सम्बन्ध में आपने कल कहा था।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो विधायक निधि का पैसा खर्च न होने की बात कही है तो जो उत्तर मेरे पास आया है, उसके अनुसार पैसा खर्च हुआ है और कार्य हुआ है। जो आपकी विधायक निधि से 4.50 लाख रुपया दिया गया और आपने कहा कि यह खर्च नहीं हुआ तो सूचना के अनुसार यह 4.50 लाख रुपये की धनराशि आपने 22 कार्यों के लिए दी थी उसमें से 20 कार्य पूरे हो चुके हैं और 2 शेष हैं, यदि आप कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ है तो आप कन्फर्म करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैंने एक नोटिस दी थी।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र के जनहित में हमने नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी है। मान्यवर, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में विगत 130 वर्षों से पुलिस की व्यवस्था न होकर पटवारियों की व्यवस्था होती रही है। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कोई संगीन अपराध भी नहीं होते हैं। जनता को भी पटवारियों से कोई समस्या नहीं होती है। हमारे संज्ञान में विगत दिनों यह आया है कि सरकार द्वारा यह शासनादेश निकाला जा रहा है और यह भी संज्ञान में आया कि पक्की सड़क के 500 मीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव अब पुलिस के क्षेत्र में आयेंगे। मान्यवर, उत्तरांचल के गांवों में यदि पुलिस को भेजा जायेगा तो यह वहां की जनता के साथ अन्याय होगा, इससे जनता का शोषण हो सकता है वहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए उत्तरांचल में जो राजस्व पुलिस वर्षों से कार्य कर रही है और अच्छा कार्य कर रही है तो उसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और राजस्व पुलिस को वहां पर यथावत रखा जाय। चूंकि यह विषय तात्कालिक है, अविलम्बनीय है तथा तात्कालिक है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर इस पर चर्चा कराई जाय।

पुस्तकालय
78k

*श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज पूरे उत्तरांचल में एक आक्रोश की लहर है, लोगों को दुःख है, पटवारियों को दुःख है या नहीं यह तो वे जाने लेकिन जनता बहुत कष्ट में है कि उनके गांवों में रेगुलर पुलिस आने जा रही है। मान्यवर, जैसा कि कंडारी जी ने भी कहा कि उत्तरांचल में 130 वर्षों से पटवारी व्यवस्था ही चल रही है। मान्यवर, आज इस आशंका के कारण होने का भी कारण हमारे पास है इसे आज नियम 56 में कार्य स्थगन के माध्यम से लाने का कारण भी हमारे पास है। मान्यवर, जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा द्वारा हमारे जनपद के सारे विधायकों को एक पत्र भेजा गया है और उस पत्र में कहा गया है कि जनपद में पक्की सड़क से 5 किलोमीटर दायें तथा 5 किलोमीटर बायें की परिधि के क्षेत्रों को पटवारी क्षेत्र से हटाकर नियमित पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, कानून व्यवस्था के निर्देश के तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसे माननीय विधायकों को भेजा गया है। इसमें यह भी लिखा है कि इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट और एस0पी0 अपनी आख्या दें। मान्यवर, यह पत्र सभी विधायकों को जारी किया गया है। यदि किसी माननीय विधायक को न मिला हो तो यह दीगर बात है। यदि मान्यवर, देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ।

मान्यवर, अभी तक यह क्षेत्र राजस्व पुलिस अर्थात् पटवारी के पास था, इसको पुलिस में देने की बात है। यह बहुत गम्भीर विषय है। मान्यवर, टोडरमल के समय से 1818–19 में यहां पर पटवारी व्यवस्था इन्ट्रोड्यूस हुई थी। इनके द्वारा शान्ति व्यवस्था, राजस्व की वसूली तथा मालगुजारी आदि का काम किया जाता था। मान्यवर, इसके बाद 1874 में सिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट मध्य प्रदेश और नार्थ ईस्ट में लागू हुआ। सिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट की धारा–6 के अनुसार कमिश्नर को लोकल गवर्नमेंट की पावर दे दी गयी और कहा गया कि वह अपनी तरह से व्यवस्था करें। मान्यवर, पुलिस एक्ट–1861 की धारा 5 के अनुसार इनको पुलिस की पावर दी गयी। मान्यवर, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का नेचर शान्तिप्रिय होता है। पिछले 133 सालों में हमारे यहां कई क्षेत्र पंचायतें और ग्राम सभाएं ऐसी हैं, जहां से कोई एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं हुई है। मान्यवर, प्रारम्भिक स्तर पर इसको 9 परगनाओं में शुरू किया गया। मान्यवर, इस पटवारी व्यवस्था को गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी, जो एक स्वतंत्र रियासत थी, वहां पर 1956 में लागू किया गया। इसके बाद 1977 में देहरादून में जौनसार और भावर में इसे लागू किया गया। मान्यवर, 1960 में इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके सदस्य श्री मदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मोहन, एम०एल०ए० श्री सुरेश प्रताप सिंह, एम०एल०ए० श्री प्रताप चन्द आजाद, एम०एल०सी० श्री राम स्वरूप यादव, उपमंत्री तथा वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नारायण दत्त तिवारी जी, एम०एल०ए० इसके सदस्य थे। मान्यवर, इस कमेटी की रिपोर्ट में पटवारी व्यवस्था की संस्तुति की गयी थी।

इससे अच्छी व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, इनको सुविधा दी जानी चाहिए, वायरलेस सेट दिए जाने चाहिए तथा इनको 20–25 लोगों का दल दिया जाना चाहिए, इस तरह की सिफारिशें होती रही हैं। मान्यवर, श्री अनादि नाथ सहगल जो राजस्व बोर्ड के चेयरमैन थे, इनकी अध्यक्षता में 11 दिसम्बर 1990 को एक कमेटी बनायी गयी थी। मान्यवर, इस कमेटी ने पटवारी व्यवस्था की रिकमण्डेशन की थी। मान्यवर, इसके 22 बिन्दु हैं। इस व्यवस्था को कदापि नहीं हटाया जाना चाहिए। श्री एस०एस० पांगती, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, श्री बी०के० चतुर्वेदी, आयुक्त कुमाऊं मण्डल, श्री एस०एम० नसीम, उप पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र, तथा विजय नाथ सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र इस कमेटी के सदस्य थे।

मान्यवर, आज यह व्यवस्था बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी है। पटवारी के हाथ में एक डण्डा भी नहीं होता है किन्तु वह अपने बुद्धि कौशल से बड़े–बड़े अपराधियों को पकड़ लेता हैं दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाकर अपराधियों को पकड़ लेता है। पटवारियों को हटाने की राय सरकार को किसने दे दी। सरकार पक्की सड़क से 5 किमी० दायीं और 5 किमी० बाईं ओर के क्षेत्र को रेगुलर पुलिस को सौंपने की योजना बना रही है जिससे पूरा क्षेत्र राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस को चला जाय। भविष्य में कच्ची सड़कों को भी पक्का कर दिया जायेगा। यदि 5 किमी० दायें, 5 किमी० बायें के क्षेत्र को रेगुलर पुलिस को देने सम्बन्धी कानून आज पास हो जाता है तो भविष्य में पूरा पर्वतीय क्षेत्र ही रेगुलर पुलिस के पास आ जायेगा। जिस तरह से आज पुलिस की कार्यवाहियां चल रही हैं उससे उत्तरांचल का जनमानस आक्रोशित है। चाहे रानीखेत के तीन पुलिस सिपाहियों को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला या ऋषिकेश का मनीषा हत्या काण्ड या दो दिन पूर्व देहरादून में खुले आम बाप–बेटे की हत्या का मामला यह सब पुलिस की कार्यप्रणाली पर शंका उत्पन्न करता है।

मान्यवर, पुलिस जहां–जहां जाती है वहां–वहां थाने चलाने के लिये फर्जी एफ०आई०आर० कराती है क्योंकि थानों में कार्य चाहिये। मान्यवर, हमारे शान्त पहाड़ों को इसमें न झोंका जाए इसलिए मैं चाहूंगा कि आज सारे नियमों को शिथिल कर आज की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए

बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ तथ्य आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ इसके इतिहास के सम्बन्ध में माननीय अजय भट्ट जी ने अवगत करा दिया है। मान्यवर, वर्तमान में 60 प्रतिशत क्षेत्र राजस्व पुलिस के नियंत्रण में है। राजस्व पुलिस का मुख्य कार्य जो है, वह है भू-राजस्व का। ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का मापन तथा काश्तकारों के विवाद का निपटारा और अपराधियों की रिपोर्ट देना।

मान्यवर, इस तरह से हम देखें तो वर्तमान में पूरे उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 45 नायब तहसीलदार, 124 कानूनगो, 1220 पटवारी और 1344 चपरासी राजस्व पुलिस के नियंत्रण में हैं। मान्यवर, इसके व्यय की ओर आप ध्यान दें तो भू-लेख कार्य सम्पादन में 7 करोड़ रुपये व्यय है। पुलिस कार्य सम्पादन में 6.5 लाख रुपये व्यय है जो राजस्व पुलिस के माध्यम से व्यय किया जाता है। यदि हम पुलिस के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र रखें तो पुलिस भू-लेख कार्य सम्पादन में 6 करोड़, उपकरण व संशोधन में 5 करोड़ और कार्मिकों का वेतन इत्यादि में 3.5 करोड़ व्यय आयेगा। इस प्रकार यदि यह सम्पूर्ण क्षेत्र पुलिस के अधीन आता है तो कुल 13.5 करोड़ का व्यय आयेगा। जबकि वही कार्य राजस्व पुलिस द्वारा मात्र 6.5 लाख में सम्पादित किया जा रहा है।

मान्यवर, यह एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। इस बात को सरकार स्पष्ट करें कि आखिर किन परिस्थितियों में यह व्यवस्था करनी पड़ रही है। जबकि माननीय अजय भट्ट जी द्वारा बताया गया कि यह व्यवस्था 1861 से चली आ रही थी। जिस व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस कार्य जिस बेहतरीन ढंग से राजस्व पुलिस कर रही थी वह किसी से छिपा नहीं है।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपराध होते हैं, उसको जितने अच्छे ढंग से राजस्व पुलिस सुलझा देती है, उतने अच्छे ढंग से पुलिस नहीं सुलझा पायेगी। क्योंकि मान्यवर, राजस्व पुलिस द्वारा जो विवाद सुलझाये जाते हैं, वे वहां के परिवेश के अनुसार उन्हीं लोगों की भाषा/बोली में मिल बैठकर सुलझाये जाते हैं। मान्यवर, इनके द्वारा जो वाद सुलझाये जाते हैं वे सौ प्रतिशत सही होते हैं। मान्यवर, यहां पर मेरा आशय पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर आक्षेप लगाना नहीं है। मान्यवर, जब हम समाज में बैठकर चिंतन करेंगे तो सही निर्णय सामने आयेंगे। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मान्यवर, सरकार जो निर्णय लेने जा रही है, उस पर विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ सारे कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा की मांग करता हूँ। मान्यवर, इससे अधिक लोकमहत्व, तात्कालिक और अविलम्बनीय कोई विषय नहीं हो सकता। इसलिए मैं माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देते हुए चर्चा की मांग करता हूँ।

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय कुन्जवाल जी ने जो विषय उठाया है मैं समझता हूँ उससे हमारे सदस्य ही नहीं सत्तापक्ष के माननीय सदस्य भी सहमत होंगे। मान्यवर, पटवारी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में तीन गांव ऐसे हैं जहां अभी तक पटवारी के यहां कोई केस दर्ज नहीं हुए हैं। मान्यवर, इन क्षेत्रों में जो पटवारी रहते हैं वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मान्यवर, मैं अपने गांव का एक उदाहरण देना चाहता हूँ एक बार एक आदमी शराब के नशे में था और हल्ला कर रहा था। मैंने पटवारी जी से कहा, इसके विरुद्ध कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया साहब, आप भी कहेंगे हमारे गांव का पहला केस दर्ज कर दिया है, यह आदमी थोड़ी देर में ठीक हो जायेगा। मान्यवर, इसका आशय यह है कि इनकी अण्डर स्टैंडिंग गांव वालों से अच्छी रहती है।

मान्यवर 1963 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके अधिकारों में कमी करके मैदानी क्षेत्रों में लेखपाल बना दिये गये, परन्तु फिर भी उत्तरांचल के जिलों के लिए अलग से पटवारी व्यवस्था बनी रही, यह व्यवस्था यहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनी। मान्यवर, यदा–कदा इनसे भी चूक हो जाती है। यह चूक तो मंत्रीगणों के केसों में भी होती है और हम लोगों से भी हो सकती है। किन्तु फिर भी यह व्यवस्था बहुत अच्छी है। मान्यवर, उत्तरांचल के परिवेश में यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। बजट में इस बार भी और चौकियों का प्रवेश हो रहा है, पिछली सरकार ने भी इस पर कार्यवाही की थी। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर या तो सरकार कहे कि सरकार इस प्रकार का निर्णय नहीं लेने जा रही है और यदि सरकार नहीं कहती है तो इस विषय पर कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, चूंकि यह मामला माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है और इसमें मेरे दस्तखत नहीं हैं, इससे हम सब सम्बद्ध हैं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ग्राह्यता पर अपनी ओर से कुछ कहें उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्व क्षेत्र को जबरदस्ती पुलिस क्षेत्र में बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसका आधार क्या है, यह स्पष्ट इस सदन में आना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे सम्मानित विद्वान सदस्यों ने भागीदारी की और महत्वपूर्ण विषय पर चिन्ता व्यक्त की। मान्यवर, नियम 58 की ग्राह्यता पर कह दूं, नियम 58

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का सिद्धान्त सुनिश्चित है। नियम 56 आप स्वीकार करते हैं, इसलिए सुनिश्चित मान लिया जाता है। इसमें सम्भावना व्यक्त की जाती है, यदि हम ऐसा करने जा रहे हैं तो न करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरे पास पत्र है, आप कहिए तो दे दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको पता होगा कि रिट पिटीशन संख्या–1217 (एम/बी) धीरेन्द्र शाह बनाम राज्य सरकार। जिसमें वादी ने पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त किये जाने का अनुरोध किया है। इस रिट पिटीशन पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिवाद किया गया है। इस वाद की सुनवाई मई के प्रथम सप्ताह में सम्भावित है। मान्यवर, सिर्फ यही प्रश्न लम्बित है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कोर्ट का फैसला है तो पत्र क्यों आया?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री अजय भट्ट, श्री प्रकाश पंत, श्री कैलाश शर्मा जी को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात, इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

*श्री मालचन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 58 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं ऋणी हूँ। मान्यवर, मैं इस विषय पर पहले से बहुत कष्ट में हूँ, जो विषय आज सदन में आ रहा है। मान्यवर, विगत वर्ष पुरोला के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी की जो योजना स्वीकृत की गई, उस योजना के तहत मेरे विधान सभा के अन्तर्गत मोरी में लगभग 35–36 योजना स्वीकृत थीं, जिसमें से यह योजना बना दी गई थी, लेकिन विभाग की मिली भगत से सीमेंट और बालू खाया जा रहा है, मान्यवर, 22 लाख 14 हजार सीमेंट का घोटाला किया है और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका पेमेंट कर दिया जायेगा। मान्यवर, उनके पेमेंट होने में मैं आपका संरक्षण चाहूँगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे विकास खण्ड में कलस्टर बनाये गये हैं, जहाँ पर एक नाली भी सिंचित जमीन नहीं है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि बजट का सदुपयोग होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, मिली भगत से स्वयं विभाग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अधिकारी ठेकेदारी कर रहे हैं, जो वहां पर सीमेंट लगाया जा रहा है, यह चूल्हे की राख की तरह है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें एक जांच कमेटी गठित की जाये। इस सम्पूर्ण मामले पर सदन की आज की कार्यवाही को रोककर चर्चा की जाने की मैं मॉंग करता हूँ, इस पर चर्चा जारी रहनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मालचन्द्र जी ने चिन्ता व्यक्त की है, जो सूचना आपने दी है उसमें 8–10 नहरें लिखा है। अगर उनका नाम देते तो हमें सुविधा होती।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो नोटिस है।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, ए0बी0पी0 के अन्तर्गत विकास खण्डों में कलस्टर अपनी मर्जी से बनाया जा रहा है। जहाँ पर सीमित भूमि नहीं है, वहाँ पर लाखों का कार्य चल रहा है। एक ही खण्ड से 10 नहरों का स्रोत, जलेबी की तरह घुमा फिरा कर बनायी जा रही है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं फेज और एम0बी0 सहित नाम दे दूंगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम प्रत्येक प्रश्न को गम्भीरता से लेते हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो कड़ाई से काम किया जायेगा। विभागीय अधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त की है वह इस प्रकार है, विकास खण्ड मोरी में 2002–03 और 2003–04 में केन्द्र पोषित त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए0आई0बी0पी0) मद के अन्तर्गत तीन कलस्टर नानई, भूटाणू प्रथम एवं भूटाणू द्वितीय स्वीकृत थे। इसके अन्तर्गत 40 सिंचाई योजनाओं में, जिसकी कुल लागत 151.28 लाख रु0 है। 26.325 किमी0 गूल, 02 हौज का निर्माण प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष 39 योजनाओं में 25.205 किमी0 गूल, 02 हौज का निर्माण कर 147.078 लाख रु0 व्यय किया गया, जिससे 162.33 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी। एक योजना हडयाना बागी की योजना स्थल बाढ़ से बह जाने के कारण निर्माण नहीं हुआ और न ही इसका भुगतान किया गया है।

वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 हेतु कलस्टर संख्या 173 नैटवाड के अन्तर्गत 23 सिंचाई योजनाओं में 11.89 किमी0 गूल एवं 05 हौज, जिसकी लागत 58.85 लाख रुपये है, का कार्य प्रस्तावित था, जिनमें से 22 योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, के सापेक्ष 2.08 किमी0 गूल का निर्माण पूर्ण कर 11.89 लाख रु0 व्यय किये गये हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। एक योजना पर कार्य प्रारम्भ करना शेष है।

विभागाध्यक्ष की आख्या के अनुसार उक्त कलस्टरों में समाहित योजनाओं का निर्माण योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों के लाभार्थी समूह गठित कर उनके माध्यम से ही कराया गया है तथा योजना निर्माण की भौतिक उपलब्धि एवं मूल्यांकन, मापन के अनुरूप योजना के निर्माण पर लगे श्रमिकों को भुगतान किया गया है तथा निर्माण कार्य पर सीमेंट आदि सामग्री स्वीकृत आगणन एवं मानक के अनुरूप प्रयुक्त की गयी है। चूंकि निर्माण कार्य लाभान्वित कृषकों के समूह गठित कर उनके द्वारा ही कराये गये हैं। अतः विभाग की दादागिरी अथवा सीमेंट आदि बेचने की सम्भावनायें नहीं है। परियोजनाओं का चयन स्थानीय जनप्रतिनिधियों (प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य क्षेत्र पंचायत/सदस्य जिला पंचायत) से प्राप्त प्रस्तावों तथा मांग के अनुरूप त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं विभागीय मानकों तथा उपलब्ध प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र के अनुरूप तैयार किये गये हैं तथा निर्माण कार्य उपभोक्ता समूह गठित कर कराया जा रहा है।

मान्यवर, अतः विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ठेके लेने तथा घोटाले करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस क्षेत्र में निर्मित सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित कृषक नकदी फसलें उत्पादन कर रहे हैं, इस कारण प्रत्येक खेत में पानी की आवश्यकता को देखते हुए कृषकों की मांग पर शाखा गूलें निर्मित की गयी हैं। विभागाध्यक्ष से प्राप्त आख्या के अनुसार विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा माननीय विधायक के सम्मान में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री मालचन्द्र एवं माननीय मंत्री जी को ....

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जांच का आश्वासन दिया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यदि आप सुनिश्चित शिकायत करेंगे। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप स्पष्ट जानकारी देंगे तो जांच भी करायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मालचन्द्र एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

*श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, आपने मुझे कार्य स्थगन की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद रुद्रप्रयाग का गठन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1997 में हुआ था और उससे पहले यह जनपद चमोली का हिस्सा था और माननीय अध्यक्ष जी, जब यह जनपद चमोली का हिस्सा था तो वहां के कर्मचारियों को सीमान्त विशेष भत्ता दिया जाता था और जब रुद्रप्रयाग का गठन हो चुका था उसके बाद भी कई महीनों तक जहां तक मेरी जानकारी है, वहां के सम्पूर्ण कर्मचारियों को सीमान्त विशेष भत्ता 7–8 महीने तक मिलता रहा। माननीय अध्यक्ष जी इसके बाद आज तक भी जनपद रुद्रप्रयाग के समस्त कर्मचारियों को 7–8 महीने तक यह भत्ता दिया गया और उसके बाद इसे बन्द कर दिया गया और आज तक वे कर्मचारी विशेष सीमान्त भत्ते की मांग कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कई बार कर्मचारियों ने इसे लेकर आन्दोलन पर जाने की धमकी सरकार और प्रशासन को दी है और मान्यवर, विशेष बात तो इसमें यह है कि जनपद रुद्रप्रयाग और चम्पावत का गठन एक साथ हुआ था लेकिन चम्पावत के कर्मचारियों को यह भत्ता अभी भी दिया जा रहा है और रुद्रप्रयाग के कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस जनपद में केन्द्रीय कर्मचारी जो सेवारत हैं,उनको सीमान्त विशेष भत्ते का लाभ दिया जा रहा है और इस जनपद के दो विकास खण्ड सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत भी आ गये हैं और रुद्रप्रयाग के सेना में भर्ती होने वाले युवकों को, जो वहां के नवयुवक हैं, उनको भी विशेष छूट दी जा रही है। यह छूट अभी भी दी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनपद रुद्रप्रयाग के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का भेदभाव न किया जाये। एक प्रदेश में दो नीतियाँ सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं मेरा निवेदन है कि रुद्रप्रयाग के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का भेदभाव न करते हुए उन्हें भी सीमान्त विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए। चम्पावत की तरह यहां के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करती हूँ।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

मान्यवर, जो प्रकरण माननीय सदस्या द्वारा उठाया गया है, उसमें 6–7 बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। मान्यवर, सीमान्त भत्ता दिये जाने की जो बात है तो जो उत्तर प्रदेश के समय के शासनादेश और नियम हैं, उन्हीं के अनुसार दिया जा रहा है। श्रीमन्, जहां तक जनपद रुद्रप्रयाग के कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता न दिये जाने की बात है तो वह अब सीमान्त जनपद नहीं रहा। जब तक यह जनपद चमोली में आता था, तब इसमें सीमान्त भत्ता दिया जाता था, क्योंकि जनपद चमोली की सीमायें दूसरे देशों से मिलती थीं। जहां तक माननीय सदस्या ने जनपद चम्पावत का जिक्र किया तो यही स्थिति बागेश्वर की भी है, जब तक वह जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आता था, तब तक इसमें सीमान्त भत्ता दिया जाता था, लेकिन 31 मई, 2000 में तत्कालीन शासन जो कि उत्तर प्रदेश का था उन्होंने

इस स्थितियों को स्पष्ट कर दिया और कुछ जगहों को चिन्हित भी कर दिया। सीमान्त जनपदों के अन्दर भी दो जगहों में भत्ते में कुछ भिन्नतायें होती हैं, जैसे जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला और मुन्स्यारी में यह भत्ता 300 रुपये दिया जाता है, जबकि अन्य जगहों पर यह 225 रुपये दिया जाता है। इसी प्रकार से जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी और अन्य हिस्सों में भी भत्ते में भिन्नता है। जहां तक माननीय सदस्या ने केन्द्रीय कर्मचारियों को दिये जा रहे भत्तों की बात की तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्तों में लगभग समानता ही होती है। चूंकि प्रश्न अविलम्बनीय नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाय।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, रुद्रप्रयाग में 2 विकास खण्ड ऐसे हैं जहां के छात्रों को सीमान्त जनपद का होने की वजह से सेना में भर्ती होने के लिए विशेष सुविधायें दी जाती हैं, तो फिर कर्मचारियों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया जा रहा है?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जो सुविधायें वहां पर मिल रही हैं तो उसे आप क्यों खत्म करवाना चाहती हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्रीमती आशा देवी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैंने एक नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण किया जा रहा है, इसे दिखवा लेंगे।

बजट साहित्य के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी समाज कल्याण मंत्री अपना बजट पेश करेंगी और उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि कल भी मैंने इस बात को कहा था कि जो यह बजट की सामग्री हमें मिल रही है, उसमें से एक का रंग नीला है जो बसपा का रंग है और दूसरी जो सामग्री मिली उसका रंग भारतीय जनता पार्टी के रंग से मिल रहा है। अभी मैंने नेता बसपा से पूछा कि आपका रंग आ गया तो वे कह रहे थे कि हमने सरकार को समर्थन दिया इसलिए

आया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी उसी कलर की साड़ी पहनकर आयी हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या आप इन रंगों की बजाय धर्म निरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और सद्भावना से एक ही कलर की सामग्री देने पर विचार करेंगी?

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, जैसा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने जो कहा कि भाजपा के रंग वाली सामग्री आयी तो यह इसलिए आई क्योंकि अगली बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं।

(हँसी)

*श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य पुष्पेश त्रिपाठी जी भी नीले रंग की कमीज में हैं, वे कहां जा रहे हैं।

(हँसी)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य चीमा जी के बारे में क्या कहना है?

(हँसी)

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों को कल्याण से सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, इसकी प्रारम्भिक तीनों मदें समाज कल्याण से सम्बन्धित हैं, यदि अनुमति हो तो तीनों को एक साथ पुट कर दूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1101208 हजार (एक सौ दस करोड़ बारह लाख आठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30, अनुसूचित जातियों का कल्याण से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2631886 हजार (दो सौ तिरसठ करोड़ अठारह लाख छियासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31, अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 824332 हजार (बयासी करोड़ तैंतालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं बजट सामग्री में उल्लिखित तथ्यों पर न जाकर संक्षेप में उन प्रयासों के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारी राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए किए हैं। मान्यवर, हमने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लुप्त हो रहे पारम्परिक शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं शिल्पियों के उत्थान हेतु शिल्पी ग्राम योजना प्रारम्भ की है। जिसका उद्देश्य पारम्परिक शिल्पों की पहचान, समुचित प्रशिक्षण, नई तकनीकों एवं डिजाइनों का प्रसार, विपणन हेतु हाट-मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन आदि किया जाना है। योजना के मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु एक राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में किया गया है। इस वर्ष उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु रुपये 81.71 लाख तथा अनुसूचित जनजाति हेतु रुपये 13.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वरोजगार प्रदान करने एवं स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सूचना संकलन, ऋण सुविधा का प्राविधान, शासकीय अनुदान, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण, अवस्थापना विकास एवं संरचनात्मक रूप से सहयोग प्रदान करना प्रस्तावित है। इस वर्ष उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु रुपये 582 लाख तथा अनुसूचित जनजाति हेतु रुपये 101.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

अनुसूचित जनजाति, विकलांगजन, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल वृद्धि योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवर्ती व्यय की 85 प्रतिशत तक की धनराशि अनुदान के रूप में राष्ट्रीय निगमों द्वारा राज्य निगमों को प्रदान की जाएगी।

मान्यवर, इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु रुपये 6 हजार, विकलांग कल्याण हेतु रुपये 10 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रुपये 4500 तथा अल्पसंख्यक वर्ग हेतु रुपये 50 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राजकीय आई0टी0आई0 खटीमा, गूलरभोज तथा चकराता में नये व्यवसाय जैसे कम्प्यूटर व्यवसाय, डीजल मैकेनिक, कटिंग टेलरिंग फैशन डिजाइनिंग व्यवसाय की स्थापना की गई है। माननीय राणा जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने विशेष रूप से शासन को राय दी। ग्रेन बैंक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में भू अन्न भण्डार की स्थापना की जाएगी। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों द्वारा अन्न उधार के रूप में लिया जायेगा तथा अगली फसल पैदा होने पर उधार लिया गया अन्न वापस कर दिया जायेगा। अनुसूचित जाति के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु एकलव्य आवासीय विद्यालय संगठन समिति का गठन किया गया है। इसके लिए माननीय नारायण पाल जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं।

माननीय सदस्य इत्तेफाक से इस समय सदन में नहीं हैं। इस आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं निर्माण हेतु 50 लाख रुपये केन्द्र से प्राप्त हो गये हैं। वहाँ पर विद्यार्थियों के पढ़ने एवं रहने की व्यवस्था फ्री की जायेगी। अनुसूचित जाति जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु जनपद देहरादून में विकास खण्ड कालसी एवं चकराता में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है, इसके लिए कालसी में जगह का चयन कर लिया गया है।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय विशेष भाग्राकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। जनपद स्तर पर भी जिला स्तरीय भाग्राकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। विकलांगों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संस्था बजाज इन्स्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के परिसर में राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 19.60 लाख अवमुक्त किए गए हैं। विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। श्रवण विकलांगता के सम्बन्ध में जनमानस में जागरूकता पैदा करने हेतु

शिविर आयोजित किये जायेंगे। दरगाह पिरान कलियर शरीफ के मास्टर प्लॉन के क्रियान्वयन हेतु रुपये 316.78 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई गयी है। उसको सुन्दर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं, क्योंकि यह धार्मिक क्षेत्र है। यह पर्यटन के हिसाब से भी बहुत सुन्दर क्षेत्र है पर्यटन के लिहाज से भी हम इसका विकास करेंगे।

मान्यवर, जो उनकी धार्मिक मान्यताए है। मान्यवर, वहां एक तालाब है जैसे कि उनकी मान्यताएं हैं, उस तालाब का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। ग्रीन बेल्ट है उसको सही किया जायेगा। मान्यवर, मुस्लिम कोष की स्थापना भी की गयी। यह व्यवस्था इसलिए की गयी है कि इस वर्ग के पिछड़े लोग अपने को समाज से अलग-थलग न समझें। मान्यवर, इनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गयी है।

मान्यवर, मदरसों के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गयी है। इनको आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटर की शिक्षा व्यवस्था की गयी है। पहली बार उत्तरांचल सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिलें इसके लिए 12 लाख की टोकन मनी का प्राविधान भी किया गया है। मान्यवर, जनजाति बाहुल्य ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के लिए दो हजार चार सौ 91 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। मान्यवर, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी प्राविधान किया गया है। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन, विधवावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन के लिए भी इसमें व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, प्रदेश का कोई वर्ग इससे वंचित न रह पाये यह व्यवस्था भी इसमें की गयी है।

मान्यवर, गरीबी की रेखा से नीचे आने वालों के लिए भी व्यवस्था की गयी है, हर वर्ग को इसका लाभ मिले। मान्यवर, हमारी यह व्यवस्था केन्द्र सरकार से अच्छी है। केन्द्र सरकार बी0पी0एल0 में आने वाले परिवारों की आय 15 हजार या पौने सोलह हजार मानती है, जबकि हमारा यह मानक 20 हजार या 21 हजार है। मान्यवर, यह मानक हमारा केन्द्र सरकार से भी अच्छा है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को भारत सरकार से भी अधिक धन देने की योजना है। मान्यवर, हम इनको स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए 10 हजार की सब्सिडी देते हैं और मात्र 4 प्रतिशत ऋण लेते हैं। मान्यवर, इन लोगों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का लाभ मिले यह भी इस बजट में है। मान्यवर, जो सुझाव आप इस बजट में देंगे उन पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। मेरा अनुरोध है कि आप इस बजट को पास करायें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, समाज के नियंत्रण में समाज के उन वर्गों के विकास में जोकि सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मान्यवर, उनके हितों के लिए जो कल्याणकारी योजनायें सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनको बजट में माननीय मंत्री जी ने सदन के मध्य रखा। मान्यवर, अनुसूचित कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग कल्याण, जनजाति कल्याण, विमुक्त जाति कल्याण आदि कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में कहा गया है। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य समाज में पिछड़ा वर्ग है, उनके कल्याण के लिए वर्तमान में सरकार ने कुछ योजनाओं पर प्रकाश डाला। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पहले भी कई योजनायें चलाई गई, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा है, लेकिन सरकारी नौकरी हो, चाहे अन्य जगह हो वहां पर उनके आरक्षण के पद खाली पड़े हैं। उनके उत्थान के लिए, अवस्थापना सुविधाओं के लिए कई योजनायें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई हैं, लेकिन उन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता है। अच्छा होता कि सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए सरकार कोई प्राविधान करती और इस बजट में प्राविधान रखती। पूर्व में जो बजट रखा था क्या उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं?

मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण के लिए, जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग की जातियां आती हैं उनके कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजना बना रहे हैं, क्या वह सही ढंग से क्रियान्वित हो रही है या नहीं। मान्यवर, इन पुस्तकों को छापकर सरकार इतिश्री कर देती है। हमने कल्याणकारी योजनायें समाज में पिछड़े वर्गों के लिए की हैं। मान्यवर, उत्तरांचल के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में जितने भी अनुसूचित जाति के हमारे भाई–बन्धु हैं, उनकी साक्षरता का स्तर कम है, हमारे यहां विद्यालय खुले हैं तो उनकी साक्षरता स्तर क्यों नहीं बढ़ा। मान्यवर, आश्रम पद्धति के जितने भी विद्यालय खुले हैं उनकी व्यवस्थायें नगण्य हैं। मान्यवर, इसमें बहुत सारे समाज कल्याण की बातें नहीं है। मान्यवर, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की बात करें तो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की तमाम योजनायें भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित हो रही हैं और राज्य सरकार ने अलग से इस राज्य की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए कोई बजट नहीं रखा है। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए कहा किन्तु इन दो वर्गों के लिए कोई भी अनुदान राशि नहीं रखी। ....

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास होना चाहिए, इनके लिए राज्य सरकार नगण्य से प्रयास कर रही है।

मान्यवर, जो आंगनबाड़ी और अन्य भारत सरकार द्वारा आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत दो–तीन योजनायें चल रही हैं। स्वयं सिद्ध योजना स्वशक्ति योजना है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण उनके पोषण की योजनायें चल रही हैं, लेकिन देखने में क्या आता है कि जितनी भी योजनायें भारत सरकार की वित्त पोषित योजनायें हैं उनको राज्य सरकार द्वारा ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, 2003–04 में उनका टेण्डर नहीं किया गया है उन्हें कार्यकर्त्रियों तक नहीं पहुंचाया गया है, जिन्होंने गांव की महिलाओं को बांटना था। इसके अन्तर्गत 6 विशिष्ट सेवायें लाभार्थियों को भी देने का प्राविधान है। मान्यवर, आंगनबाड़ी की कार्यकत्रियों की अभी सभी जगह नियुक्ति नहीं हुई हैं, कई जगह नियुक्तियां की जा रही हैं। मान्यवर, जो यह कार्यक्रम शुरू किया है इसमें अभी तक कई कमियां हैं। जो गांव की छात्री (महिलायें) हैं उनको पूर्ण रूप से पोषण आहार नहीं मिल रहा है, जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कहा जाय कि हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, हमने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, यह भारत सरकार की वित्त पोषित योजना है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसको कागजों में सुन्दर–सुन्दर पुस्तिकायें छाप कर हम अपने दायित्व से मुक्त हो गये हैं। मान्यवर, उत्तरांचल पर्वतीय क्षेत्र है। सरकार कहती है कि हमने सभी महिलाओं तक यह योजना पहुंचा दी है स्थिति यह है कि अभी तक इस योजना का 5% भी नहीं मिल पाया है। मैं चाहूंगी कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि हम किस तरह की योजनायें चला रहे हैं। मान्यवर, पर्वतीय महिलाओं पर अत्यधिक श्रम का बोझ है, जो मेहनत करती हैं उनके लिए अभी तक सरकार ने उस बोझ को कम नहीं किया है। इस सरकार के चौथे बजट में भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, भारत सरकार की कई योजनायें एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलायी जा रही हैं, वह ग्रामीण महिलाओं की सुख सुविधा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, आर्थिक स्तर के उन्नयन के लिए हैं। क्या राज्य सरकार ने परीक्षण किया कि ऐसी योजनाओं पर जो धन खर्च किया जा रहा है उसका सही उपयोग हुआ है?

मान्यवर, सरकार की तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है कि जो योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा पोषित हैं, उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन यह पैसा कहां जा रहा है, इसका सही उपयोग हमारी सरकार द्वारा किया जा

रहा है या नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम का विस्तार सभी विकासखण्डों में अभी नहीं हुआ है। कुछ में ही इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसको समस्त विकास खण्डों या पूरे उत्तरांचल में लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, सैनिक कल्याण भी इन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत आता है। उत्तरांचल राज्य एक सैनिक बहुल राज्य है। और हमारे प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में लगभग प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति सेना में सेवारत है। मान्यवर, प्रत्येक वर्ष 150 से अधिक सैनिकों का बलिदान होता है, लेकिन सैनिक कल्याण के लिए राज्य सरकार ने कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनायी हैं, जिससे सैनिकों का विशेष लाभ हो सके। क्योंकि वह 17–20 वर्ष के सेवाकाल में सेवा निवृत्त हो जाता है उस समय उनका जो परिवार होता है इस स्थिति में होता है कि उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, बच्चों की शादी करने वाली होती है और वे सेवानिवृत्त होकर आ जाते हैं। तो मान्यवर, उनके पास रोजगार की समस्या हो जाती है। लेकिन सरकार ने उनको रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है कि रिटायरमेंट के बाद उनको यहां पर रोजगार मिल जाये। उनके स्वरोजगार के लिए इतना कम बजट रखा जाता है, जिससे उनका भला नहीं हो सकता है। ऋण आदि लेने में भी उनको तमाम कठिनाईयाँ सामने आती हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। कोई और बोलेगा?

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि कक्षा 9 व 10 के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें जो आय सीमा है उसे भी होना चाहिए। कक्षा 8 के बच्चों की तरह ही उसमें कोई आय सीमा नहीं होनी चाहिए। इसमें यह न देखा जाए कि उनके पास आय को कोई स्रोत है या नहीं। अभी कल्याण योजनाओं की बात आई है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि अनुसूचित जाति के कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, 10वीं से ऊपर के जो बच्चे हैं, उसके लिए एक लाख से कम की आय सीमा रखी गयी है इसे कम से कम 2 लाख रुपये कर दिया जाना चाहिए, यह मैं सरकार से कहना चाहूँगा क्योंकि एक लाख की आय सीमा में गरीब लोग भी आ जाते हैं। इसमें आय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव हमारी बहन जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर बल देता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस बजट को दोबारा से बनाया जाय और इसे अच्छा बनाकर लायें, यह हमारी मांग है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग के बजट भाषण में समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज कल्याण की जो योजनायें संचालित हैं उनके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया एवं विस्तृत रूपरेखा यहां पर प्रस्तुत की। मैं इस पर कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। मान्यवर, यह जो बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम जिसकी स्थापना की बात और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा और माननीय नेता सदन ने भी अवगत कराया था और यह समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पुस्तिका दी गई है इसमें भी लिखा है कि "बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम केन्द्रीय वित्त निगमों के लिए चेनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और जिसके माध्यम से इन सभी वर्गों के लिए अनुदान और मार्जिन मनी की व्यवस्था की जा रही है।" लेकिन मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के लिए बजट में प्रावधान किया है वह मात्र 1000 रुपये की टोकन मनी के रूप में है। इससे पहले भी सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण जो केन्द्रीय सहायतित योजनायें थी, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के बन्धुओं को इसके माध्यम से अपने रोजगार सृजन के लिए कम ब्याज पर ऋण लेने के लिए जो मार्जिन मनी की व्यवस्था थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन करना था इसके न होने से इसका लाभ अनुसूचित जाति के बन्धुओं को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत जिस धनराशि की व्यवस्था करने की बात की गई है, तो इस धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार से की जायेगी मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इसे भी बताने का कष्ट करें।

माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को भी लाना चाहूँगा कि आपरेशन विजय में शहीद हुये सैनिकों के आश्रितों के लिए इसमें कोई विशेष व्यवस्था एवं प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, कारगिल शहीदों की संख्या इसमें 75 की दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त अविभाजित उत्तर प्रदेश से इस मद में जो धनराशि मिली थी, वह कितनी थी और क्या इसका समुचित लाभ दिया जा चुका है? इसे भी माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बताने का कष्ट करेंगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विधवाओं और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का प्रशिक्षण दिये जाने की

आवश्यकता है। मान्यवर, इसके लिए विगत वर्ष भी माननीय सदन के 3 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी और इस 3 लाख रुपये में से 1.85 लाख रुपया खर्च भी हुआ है। इसके अन्तर्गत मात्र 16 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जो प्रशिक्षण अभी भी चलाया जा रहा है, ऐसी सूचना दी गई है। श्रीमन्, तो जो अवशेष धनराशि है वह तो 31 मार्च को लैप्स हो गई होगी या फिर आहरित करा ली गई होगी।

मान्यवर, इसमें 3 लाख रुपये की मांग और की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा क्या है? क्या केवल मात्र बजट लेने के उद्देश्य से बजट की मांग की जा रही है या सरकार की इच्छा कुछ कल्याणकारी काम करने की है। यह स्पष्ट करने की कृपा माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में करेंगी।

मान्यवर, आवासीय विद्यालय समिति के गठन की बात आपने कही। आज आवासीय विद्यालय पूरे उत्तरांचल राज्य में कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये कितनी सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, यह तो सरकार जाने। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ में अनुसूचित जाति का भी छात्रावास है और अनुसूचित जनजाति का भी छात्रावास है, लेकिन इन दोनों की स्थिति अत्यन्त जर्जर है, इनके अनुरक्षण के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इनके भवनों के रख-रखाव के लिए विभाग द्वारा धन नहीं दिया जा रहा है। वहां पर बहुत ही खराब स्थिति में छात्र निवास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय विजय बड़थ्वाल जी द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय विजय बड़थ्वाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित जो बजट माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारे प्रदेश के अन्दर 12.32 लाख अनुसूचित जाति के लोग और 2.19 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग, कुल लगभग 14 लाख निवास कर रहे हैं। इन लोगों की लगभग 17–18 प्रतिशत की भागीदारी इस प्रदेश की जनसंख्या में है। जितनी योजनाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इस बजट में बनायी गयी हैं, वह सब केन्द्र पोषित योजनाएं हैं। इस प्रदेश की 18 प्रतिशत जनसंख्या के लिए हमारी सरकार ने क्या योजनाएं अपनी तरफ से बनायी हैं, इसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है। अभी माननीय हरिदास जी ने बताया के शिक्षा का आंकलन प्रति 10 साल में होता है। हमारे प्रदेश की जो 72 प्रतिशत शिक्षा है, उसमें इन 18 प्रतिशत लोगों की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा की क्या स्थिति है, इसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और इनको और अधिक शिक्षित करने की योजना का कार्यान्वयन कैसे करेंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है? मान्यवर, इनको वजीफा दिया जाता है, इनको अलग से पढ़ाने के लिए आप प्राविधान कर रहे हैं, क्या सब प्राविधान रजिस्टरों में संख्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी जगहों पर यदि 7 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी होती है तो शिक्षक उस छात्रवृत्ति के लिए 10 नाम लिख देते हैं। इस प्रकार यह वास्तव में सही हकदार को मिल रही हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा।

मान्यवर, रोजगार के बारे में कहा गया, इसमें कोई ठोस योजना सरकार द्वारा नहीं बनायी गयी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बहुत दूरी पर हैं, उनके पास जाकर ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। मान्यवर, आज ऐसे अनेक पद खाली हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से भरे जाने हैं, उनके लिए योजना बनायी जानी चाहिए थी, उनके प्रमोशन की योजना बनायी जानी चाहिए थी, लेकिन इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनायी गयी है। सिर्फ केन्द्र पोषित योजनाओं को ही इसमें शामिल किया गया है। मान्यवर, वृद्ध आवास और भिक्षु गृह के लिए 54 हजार और 50 हजार रुपया भेज दिया है, यह पैसा बिल्डिंग के लिए दिया गया है। इन आवासों में इनको 15 दिन रखा जाता है, उसके बाद इनको मुक्त कर दिया जाता है। केवल भवन बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, इन भवनों को बनने के बाद कहीं न कहीं काम पर लाया जाना चाहिए, किसी प्रकार से उनको रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे अनुसूचित जातियों के भाईयों को जब अपनी ही जमीन बेचनी होती है तो वह पहले अनुसूचित जाति के भाई के नाम ही करेगा। इस प्रकार से उसे दो बार बैनामा करना पड़ता है। इसमें सारा का सारा खर्च भी उसे ही करना पड़ता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। मैं चाहूँगा कि उसी तरह का नियम/प्राविधान यहां भी बने। निश्चित रूप से तब इसका फायदा यहां के अनुसूचित जाति के भाईयों को मिलेगा। मान्यवर, इसी प्रकार से दुकान निर्माण हेतु जो बनाई गई है उसके अन्तर्गत 27 लाख रुपये 32 लोगों को दिये गये। मान्यवर, प्रदेश में कुल जनसंख्या की 18 प्रतिशत जनसंख्या इनकी है यह सोचने वाली बात है कि मात्र 32 व्यक्तियों को ही इस योजना का लाभ दिया गया है। मान्यवर, यदि आज हम किसी छोटी बस्ती का ही चयन कर लें तो एक मोहल्ले में ही 32 लोग मिल जायेंगे। मैं सोचता हूँ केन्द्र द्वारा जो योजना चलाई जा रही है बस उसी पर कार्य

हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई है।
मान्यवर, इसी प्रकार से विकलांगों के पुनर्वास की बात कही गई है। उनके लिए भी
दुकान खोलने की बात कही गई है, उसमें 4 प्रतिशत ब्याज और अनुदान राशि
6 हजार रुपये की बात कही गई है। इस योजना के अन्तर्गत मात्र 27 व्यक्तियों को
ही अभी तक इसका लाभ दिया गया है। इसकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों पर अधिक ध्यान देने की
आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अब समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विकलांग जातियों के जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं,
उनको दुकानों के लिए अनुदान देंगे, उनकी संख्या को बढ़ाने पर सरकार विचार
करेगी। मान्यवर, यह बजट उनके उत्थान के लिए पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। मैं
कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो समाज कल्याण का बजट सदन में प्रस्तुत
किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। समाज का जो यह बजट
आया है मेरी दृष्टि से यही सबसे बढ़िया बजट है। बजट तो और भी विभागों के यहां
पर प्रस्तुत किये गये किन्तु मुझे सबसे अच्छा बजट यही लगा। (हँसी) यह गरीबों का
बजट है। बहुत अच्छा बजट है। विपक्ष के भाई लोग सही बात भी कह देते हैं, गलत
है। आज से 30–40 दिन पहले मैंने एक गाना रेडियो में सुना था पिक्चर तो मैंने
कभी नहीं देखी "अच्छों को बुरा कहना यह दुनिया की पुरानी आदत है।" इतने
अच्छे बजट को जब यह लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है तो फिर ठीक क्या है (हँसी)
मान्यवर, गाँधी जी ने आजादी के समय यह कहा था कि सबसे पीछे वाले व्यक्ति का
जब तक उत्थान नहीं होगा तब देश की आजादी का कोई मायने नहीं है। उन्होंने
अस्पृश्यता को मिटाने की भी बात कही थी। उन्होंने इसे सामाजिक बुराई बताया
था। मैं इस बजट को इसलिए सबसे अच्छा बजट कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समाज
के सबसे पीछे वाले व्यक्ति के उत्थान की बात कही है। इसमें खाने पीने की व्यवस्था
की गई है।

मान्यवर, स्कूलों में खाना भी मिल रहा है। मान्यवर, इनके लिए दुकानों की
भी व्यवस्था है, यह बिल्कुल सही बात है। मान्यवर, शिल्पकार लोगों को दुकान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाकर दी जायेगी। मान्यवर, 1947 में स्व0 सुनानन्द जी जो प्रसिद्ध गांधीवादी थे, ने इनके लिए व्यवस्था की थी। मान्यवर, हमें अपने प्रदेश की संस्कृति को जिन्दा रखना चाहिए, इसके लिए भी इस बजट में प्राविधान किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है।

मान्यवर, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तीन लाख रु0 फीस रखी गयी है इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की आमदनी पूरे साल की एक लाख रुपये होगी तो उसका मेधावी बच्चा कैसे इन स्कूलों में पढ़ेगा, वह तो अपनी पढ़ाई से वंचित रह जायेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको कम किया जाय। ऐसा मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है। मान्यवर, मैं सरकार को एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि जैसे स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रावासों में भोजन मिलता है, ठीक उसी तरह अनुसूचित जाति के छात्रों को भी छात्रावासों में भोजन की सुविधा होनी चाहिए। मान्यवर, मैं सरकार को एक और सुझाव देना चाहता हूँ जैसे आश्रम पद्धति स्कूल श्रीनगर, नैनीताल आदि जिलों में खुले हुए हैं, इन स्कूलों को दूरदराज के क्षेत्रों में भी खोला जाय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है, जोकि जंगल में है। वहां पर एक परिवार के तीन बच्चे थे, एक बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा तो उसको जंगल में बाघ ने खा लिया। मान्यवर, वहां के अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन विद्यालयों को दूरस्थ क्षेत्रों में भी खोला जाय। इसके लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन में व्यवस्था है। मान्यवर, इस बजट में एक और अच्छी बात है। अम्बेडकर सड़क योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गांवों को जोड़ने की योजना है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि यदि अम्बेडकर योजनान्तर्गत सड़क जानी है और 30 किमी0 की दूरी पर वह गांव है और इसके बीच में सवर्ण गांव पड़ते हों तो वह सड़क जानी चाहिए, इससे सभी लोगों का भला होगा।

मान्यवर, मैंने समिति के माध्यम से तीन सौ करोड़ रुपये की मांग अनुसूचित जाति के लिए की थी। मान्यवर, सुश्री मायावती के राज में उत्तर प्रदेश में पहले आ गया, वहां पर लिखा–पढ़ी की कि वह रुपया यहां आये। मान्यवर, मेधावी छात्रों को उसी पैसे से पढ़ाया जाए। इसमें व्यवस्था एक लाख की है और वह डोनेशन तीन लाख मांग रहे हैं तो कैसे होगा? मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह भी इसमें जोड़ दिया जाए। मान्यवर, जैसे छात्रावास में जनजाति के लोगों को भोजन मिलता है, उसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को भोजन मिले तो अच्छा होगा, यह भी इसमें जोड़ दें। मान्यवर, हर ब्लॉक में छोटे–छोटे पॉलिटैक्निक स्कूल खुल जायें तो अच्छा होगा, इससे बहुत लोग भर्ती हो जायेंगे और वे रोजगार कर सकेंगे। मान्यवर, मेरा निवेदन सरकार से है कि जो सुझाव दिये हैं, वह उसमें जोड़ा जाए तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा बजट है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ और भगवान की कृपा से प्रगति दिन दुगनी और रात चौगुनी हो।

*श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, अभी माननीय मन्द्रवाल जी ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दुगनी कर दी गई तो इससे अच्छा क्या होगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, जो विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन दुगनी कर दी गई इससे अच्छी बात क्या होगी? मान्यवर, खटीमा में आई०टी०आई० की स्थापना हुई थी उसमें कम्प्यूटर, डीजल मैकेनिक, फैशन डिजाइन और कटिंग टेलरिंग चार ट्रेड बढ़ा दिये, अच्छा काम किया है। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन में काफी विकास हो रहा है, बजट में व्यवस्था की गई है, पुल बनाये जा रहे हैं तो इसमें भी सराहनीय काम किया है। इसी तरह राजकीय महाविद्यालय जो उत्तरांचल में है उसमें भवन की व्यवस्था की गई है, यह भी अच्छा काम है। मान्यवर, थारू जनजाति के लिए बजट में 10 लाख भवन की स्थापना के लिए किया, यह भी अच्छा काम है। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन में जो धनराशि आती है उसकी मोनेट्रिंग नहीं होती। मान्यवर, इसके लिए एक अनुसूचित जाति जनजाति सलाहकार बोर्ड का गठन हो जाये, मैं कहना चाहता हूँ कि इस बोर्ड का गठन होना चाहिए। मान्यवर, राजकीय विश्वविद्यालय खटीमा में खोला गया था, वह किराये के भवन में चल रहा है इस भवन के लिए भूमि भी दी गई है, मैं चाहता हूँ कि इस भवन के निर्माण हेतु व्यवस्था बजट में जोड़ दिया जाये।

मान्यवर, मैं आभारी रहूँगा कि अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद जो पड़े हैं, हर विभाग में कहीं न कहीं रिक्त पड़े हैं उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाय और इन्हें शीघ्र भर दिया जाये। मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अनुसूचित जनजाति का सर्विस में जो रोस्टर बना है उसमें 24 नम्बर पर है इसे रोस्टर में लास्ट रखा गया है, मान्यवर, 24 रिक्त पद कभी भी खाली नहीं होंगे, पद कभी 17 कभी 20 निकलते हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति का नम्बर ही कभी नहीं आता है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि रोस्टर में इसे 24वें स्थान से 10 के आसपास लाया जाये जिससे अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। मान्यवर, मेरे संज्ञान में आया है कि खटीमा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के समय से है। यहां पर बाहर से गैर जनजाति के लोग आ रहे हैं, जिससे ट्राइबल का स्तर कम हो रहा है।

मान्यवर, खटीमा, सितारगंज ब्लॉक को ट्राइबल खण्ड बनाये रखा जाये, इस तरह का सदन से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को चला जाये कि कम संख्या होते हुए भी इनको ट्राइबल की श्रेणी मिलती रहनी चाहिए। मान्यवर, यह सर्वमान्य बजट है इसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई सुविधायें समाज के कल्याण के लिए दी गई हैं। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मदन चन्द्र जी ने बोलना है, कुकाल जी ने बोलना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तीनों बजट एक साथ रखे हैं, कटौती प्रस्ताव रह गया है। माननीया मंत्री जी खड़ी हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं वही कह रहा हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं श्रीमती विजय बड़थ्वाल के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। एक तो बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के अनेकों लोगों के पास भूमि नहीं है उनके पास भूमि न होने के कारण उन्हें स्थाई निवास प्रमाण–पत्र बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वह लोग वहां पर काफी समय से रह रहे हैं। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे क्षेत्र पोखरी में चार इन्टर कॉलेज, 7 हाईस्कूल, एक विश्वविद्यालय हैं। वहां पर अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास नहीं हैं, जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण पढ़ेंगी, तो उसमें इसकी व्यवस्था कर दी जाये।

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति का वितरण होता है तो पहले जनप्रतिनिधि इस छात्रवृत्ति का वितरण करते थे, लेकिन आज अनेक विद्यालयों में इस व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो बजट इन जातियों के विकास के लिए प्रस्तुत किया गया है वह सरकार का वास्तव में सराहनीय बजट है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि समाज के इस दलित वर्ग के लोगों के लिए संविधान द्वारा जो सुविधाएं दी गयी हैं उनके शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक स्तर को ऊँचा करने हेतु जो सुविधाएं उनको प्रदान की गयी हैं, उनका समायोजन इस बजट में किया गया है। यह सौभाग्य की बात है। श्रीमन्, यह भी सौभाग्य की बात है कि पृथक से मात्राकरण अर्थात् स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन के तहत धनराशि का आवंटन किया

गया है, लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा इसके वितरण की जो वर्तमान में प्रणाली है, वह संतोषजनक नहीं है। इसलिए जैसा कि माननीय गोपाल सिंह राणा जी ने कहा कि इसके लिए पृथक से इन योजनाओं के रखरखाव के लिए एक सेल बनाना अनिवार्य है ताकि सभी जनपदों में इसका समान रूप से वितरण हो सके।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप तो आयोग के अध्यक्ष भी हैं।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, आयोग का अध्यक्ष होना अलग बात है। मैं तो आपसे पहले से भी प्रेम करता था लेकिन आज यह एक नया प्रेम चल रहा है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन तहत उत्तरांचल सरकार द्वारा जो सड़कों के लिए धन स्वीकृत किया गया है। देखने को यह मिला है कि हम भी आरक्षित विधान सभाक्षेत्र के विधायक हैं, इस नाते संवैधानिक व्यवस्था के तहत मेरी विधान सभा में इस स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन के तहत कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं की गयी है जिसका मुझे दुख है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांवों की सूची शासन ने प्रकाशित की है तो उनके लाभ के लिए विशेष नियम बनाये जायें। ताकि इनके विकास के लिए जो भी योजनाएं चलायी जायं उसका इन्हें लाभ मिल सके। आश्रम पद्धति के विद्यालयों की स्थापना की सरकार की मंशा थी।

गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई क्षेत्रों में इनकी स्थापना की घोषणा की थी लेकिन शासन के वित्त विभाग ने इन्हें करने से मना कर दिया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन जातियों के हित के लिए आश्रम पद्धति के विद्यालयों की स्थापना हेतु धन की व्यवस्था की जाये।

मान्यवर, जिस प्रकार से आई०ए०एस० और पी०सी०एस० के लिए कोचिंग सेन्टर देहरादून और मसूरी में खोले गये हैं उसी प्रकार से इन्हें पिथौरागढ़ में भी खोला जाये तो वहां के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को काफी सुविधा होगी। क्योंकि पिथौरागढ़ से देहरादून की दूरी 600 किलोमीटर से अधिक है। इन जातियों के वहां के लोगों को प्रशिक्षण हेतु देहरादून आना पड़ता है और यह बड़ी मुश्किल का काम होता है।

मान्यवर, इसी प्रकार से पेयजल योजनाओं की बात है यह हम अवगत हुये कि स्पेशल कम्पोनेंट प्रोग्राम की धनराशि ली है, यह लैप्स होने वाली है। मान्यवर, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक हूँ वहां पर 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति के

लोग रहते हैं। इसी क्षेत्र के लिए मणोलीहाट लिफ्ट पेयजल योजना है जो ऐसे गांवों के लिए है जहां पर 70 से 80 प्रतिशत की आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है, इसका आगणन शासन स्तर पर आ गया है। मेरा अनुरोध है कि इस योजना को स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन की निधि से इसे बनाया जाय ताकि यह लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

मान्यवर, अन्त में मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूँ और सरकार के इस बजट की सराहना करता हूँ।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध विभाग तथा अनुदान संख्या–31 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक अनुसूचित जातियों के विकास की जो चर्चायें हुई, चूंकि मैं भी अनुसूचित जाति से हूँ और बचपन से जब हमारी मूंछें नहीं आई थीं तब से हम यह देख रहे हैं कि अनुसूचित जातियों का कल्याण हो रहा है। आज 35–36 साल की उम्र हो गई है तो आज भी यह कल्याण हो रहा है। तो आखिर यह कल्याण कब तक होगा। मान्यवर, आखिर अनुसूचित जातियों का कल्याण कब होगा? जैसा माननीय चन्द्रपाल जी ने कहानी बताई कि गांधी जी के प्यारे हरिजन। और इसी तरह की कहावतें आज हमारे यहां पर हैं वहां पर कहा जाता है कि मेरे बाप ने घी खाया अब तुम मेरी उंगली चूसो। मुझे ऐसा लग रहा है, जो यह बजट आया है तो जो हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाके हैं और पूरे उत्तरांचल की जानकारी तो मुझे नहीं है, मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से अनुसूचित जाति की सीट का विधायक हूँ और मेरे क्षेत्र में यह नहीं कहना चाहता कि बजट नहीं आता लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगा कि आखिर यह बजट जाता कहां है? स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन के अन्तर्गत जो 100–100 प्रतिशत की आबादी वाले गांव हैं, अनुसूचित जाति की तो जो स्थिति पहले थी वही आज भी है। आज भी वहां पर 35–35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।

मान्यवर, पहले जब किसी गांव में कोई जाता था और किसी बच्चे की नाक से सिंघाड़ा निकल रहा हो, जिस किसी बच्चे के पांव में जूता न हो और जिस महिला के बाल बिखरे हों, तो पता चल जाता था कि यह अनुसूचित जाति के बच्चे और महिलायें हैं। यह धारणा थी, फिर हमने सोचा कि अब नया राज्य उत्तरांचल बन गया है और अब हमारी थोड़ी स्थिति सुधरेगी। किन्तु ऐसा नहीं हुआ मान्यवर, आज भी

अगर हम गांव में जाते हैं तो जिस गांव के रास्तों में सफाई न हो टट्टियां हों, नालियों में गन्दगी हो और वहां के लोग, बच्चे फटे–पुराने कपड़े पहने हों, पांव में जूता न हो और बच्चे स्कूल जाने के बजाय घरों में ही खेल रहे हों तो आज भी यही स्थिति है अनुसूचित जातियों के गांवों की। अब यह कल्याण कब तक होगा, क्या हमारे जीते जी यह हो पायेगा या हमारे नाती पोते भी इसे देख पायेंगे या नहीं? मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन के तहत इन गांवों के विकास की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें पैसा तो आता है लेकिन इन गांवों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस बजट में जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन का पैसा है उसके तहत अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए जो धन मिला है, उससे उनके लिए नालियों का निर्माण करा दें, स्नानागार तो बनवा दें ताकि वे साफ तो रह सकें।

मान्यवर, शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां दूर–दराज के गांवों में 3 से 4 प्रतिशत तक बच्चे स्कूलों में जाते हैं। आपने कहा कि हमने छात्रवृत्ति बढ़ा दी है। यदि 250–300 रुपये किसी परिवार को मिल भी जाते हैं, तो इससे भला होने वाला नहीं है, क्योंकि यह पैसा सिर्फ 3–4 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चों को ही मिलता है। इसके अलावा आज भी हमारे यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे गुल्ली खेलने और गांव में झाड़ू लगाने का काम करते हैं। कभी–कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि इनको सोने के लिए बिस्तर भी नसीब नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि इस बजट के माध्यम से स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन के तहत जो गांव सड़क से दूर हैं, उनको सड़क से जोड़ा जाय।

मान्यवर, इनको रोजगार देने के बारे में कहा गया, मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश के बारे में तो नहीं जानता लेकिन अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन के तहत नहरों के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह पैसा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी दिया जाय। जिससे उनका उत्थान हो सके। मेरा निवेदन है कि यदि ये लोग काश्तकारी करना चाहते हैं, तो उनके सामने कई समस्याएं आ जाती हैं। यदि इनके पास हल और बैल हो जाते हैं तो इनको बोने के लिए अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं। इन लोगों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने और खेती में सुविधा देने का प्राविधान इस बजट में किया जाना चाहिए। इसके अलावा मान्यवर, मैं बाजगी के बारे में कहना चाहता हूं। आज गांवों में लोग शहरों से बाजे वालों को बुलाते हैं। यदि इन लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाय तो ये लोग अच्छा रोजगार कर सकते हैं। शिल्पी की बात यहां पर कही गयी, मान्यवर, मैं स्वयं शिल्पी परिवार से हूं। मुझे सदन में कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मान्यवर, जो सामने नक्काशी हुई है, वह मैं अपने हाथ से कर सकता हूं। यह नक्काशी करने के

लिए कारीगर मेरठ और सहारनपुर से हथियार लेकर आते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि यहां के लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएं तो निश्चित रूप से उत्तरांचल राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस लघु उद्योग से बहुत फायदा मिलेगा। मान्यवर, कताई, बुनाई और सिलाई से सम्बन्धित जो कार्य हैं, हमारे यहां की महिलाएं ऊन से पंखी तथा हिमाचली टोपी आदि बनाती हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर इसका प्रशिक्षण केन्द्र भी होना चाहिए।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग का बजट यहां पर प्रस्तुत किया है। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रोजगार देने के लिए संविधान की अनुसूची 5 और 6 के तहत विशेष पैकेज दिया है। लेकिन इस पैकेज के लिए उत्तरांचल राज्य के नाम का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। हमारे यहां हिमाचल से लगे हुए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गांव हैं, चाहे चमोली जनपद में नीति माणा हों, चाहे पिथौरागढ़ में लिपुलेख, कालापानी हों।

मान्यवर, वह जो पिछड़े हुए गांव हैं, वह सभी गांव अनुसूचित जाति के लोगों के हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, हिमाचल की सुरक्षा के लिए, इन गावों में लोगों का रहना आवश्यक है। लेकिन आपने इस बजट में इसका जिक्र नहीं किया है। मान्यवर, माइग्रेशन होता है और छः महीने के बाद जब ये लोग पुनः आते हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। न ही उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था है यहां तक कि जो व्यवस्था 1966 में बंदोबस्त के अन्तर्गत की गई उसमें यह गांव छोड़ दिये गये थे। आज भी जो लोग रहते हैं, उनके पास जमीन की समस्या है। वर्ग–4, वर्ग–5 में भी उनके पास जमीन नहीं चढ़ी है। पंचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, उसमें 1000 की आबादी वाले गांवों को ग्राम सभा में जोड़ने की व्यवस्था की गई है। पूर्व में 300–400 की आबादी वाले ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई गई थी। इन ग्रामों की दूरी ग्राम सभा से 20 किमी० तक पड़ती है। मान्यवर, यह दूरी बहुत अधिक है। क्षेत्र की जनता को इससे काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

मान्यवर, सड़कों को जोड़ने की बात सरकार द्वारा बहुत अधिक कही जाती है। डीडीहाट, डाडियोरा से मुन्स्यारी तक जिसमें सीणी, भुसण्डा, आलमदारम इमला, हड़कोट आदि ग्राम पड़ते हैं, जनता की मांग है कि इन सड़कों को मुन्स्यारी से जोड़ा जाए, यह जनता की काफी समय से मांग है। इसकी लम्बाई मात्र 50 किमी० है। मान्यवर, इसी प्रकार से मुन्स्यारी में आई०आर०टी० है और वहां पर 6 ट्रेड भी हैं किन्तु आज मात्र टंकण का ट्रेड वहां पर रह गया है। जबकि वहां पर इलैक्ट्रिक,

मोटर मैकेनिक और इलैक्ट्रॉनिक के भी ट्रेड थे वे सब बन्द पड़े हुए हैं। आज मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग के लिए लोगों को पिथौरागढ़ आना पड़ता है। मान्यवर, कई सड़कें वन अधिनियम के अन्तर्गत नहीं बन पा रही हैं। कई सड़कें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण बन्द पड़ी हैं। वे आधी बन भी गई हैं।

मान्यवर, इस बजट में उनके उत्थान के लिए कोई ठोस कार्यक्रमों की बात नहीं की गई है। आश्रम विद्यालयों की बात कही गई। 1997 में भोजन के लिए 200 रुपया मिलता था। उत्तर प्रदेश में अब इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 550 की व्यवस्था की गई है। वही व्यवस्था यहां भी है। मान्यवर, 500 रुपये में उनका खर्च कैसे चलेगा। इतने कम पैसे में उन्हें भोजन, कपड़ा स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है। इतनी महंगाई में इतने पैसे बहुत कम हैं। मान्यवर, सड़कों की बात कही गई कि सड़कों की स्थिति अच्छी है, किन्तु आप जाकर देखें मुन्स्यारी में बरसात के दिनों में स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उसका देश के अन्य भागों में सम्पर्क टूट जाता है। मान्यवर, मुन्स्यारी में एक कहावत है। संसार एक, मुन्स्यारी अलग।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, समाज कल्याण के बजट पर श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी, श्री हरीदास जी, श्री प्रकाश पन्त जी, श्री मदन कौशिक जी, श्री मन्द्रवाल जी, श्री गोपाल सिंह राणा जी, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी आदि सदस्यों ने अपने विचार बिन्दुवार रखे। मान्यवर, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे, यह सही बात है। मैंने जब से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया महिला सशक्तिकरण में जितने कार्य आज हो रहे हैं। मान्यवर, इसके लिए जो कमेटी गठित की गयी है, उसके सदस्य भी महिलाएं हैं। जोकि समाज के बीच से चुनी जाती हैं। वे महिलाएं समर्पित भाव से कमजोर, गरीब, निर्धन लोगों से जुड़ी हुई हैं। इसमें भारत सरकार की योजनान्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना, आई०सी०डी०एस० योजना है। मान्यवर, आई०सी०डी०एस० योजनान्तर्गत मेडिसिन किट दिये जाते हैं। मान्यवर, महिलाओं के द्वारा बाल विकास योजना भी चलायी जा रही है। उत्तरांचल में महिला आयोग भी कार्य कर रहा है। महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है इससे महिलाएं आर्थिक रूप में समृद्ध भी हुई हैं। हमारे यहां महिला स्वयं सहायता समूह भी बने हुए हैं, हमारा सारा दायित्व महिलाओं को आगे बढ़ाने का है, जिसमें हम सफल भी हो रहे हैं।

मान्यवर, सैनिकों के सम्बन्ध में माननीय प्रकाश पन्त जी द्वारा ध्यान इंगित किया गया। इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि पूर्व में सैनिकों के पुनर्वास हेतु मार्च, 2004 में उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड (उपनल) की स्थापना कर दी

गयी है। पिछले एक वर्ष में इस उद्यम द्वारा प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर लगभग 1325 पूर्व सैनिकों को विभिन्न संस्थानों में विभिन्न कार्यों में सेवायोजित किया है। मान्यवर, उत्तरांचल के भूतपूर्व सैनिकों, अपंग सैनिकों, युद्ध शहीदों के आश्रितों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु सैनिक कल्याण विभाग कार्यरत है। इसके अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को उन्हें दिलाना, उनका पुनर्वास तथा पुनर्योजन कराना भी इस विभाग का उद्देश्य है। मान्यवर, कारगिल में शहीद परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनकी पत्नियों को रु0 5000/- दिया जाता है इसके अतिरिक्त 2500/- पेंशन भी प्रदान की जा रही है।

मान्यवर, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों, पुत्रों को सेना और पुलिस बल में भर्ती किये जाने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का भी प्राविधान है। मान्यवर, प्रदेश के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि कारगिल युद्ध के दौरान कुल 527 शहीदों में 75 शहीद उत्तरांचल निवासी थे। भारत सरकार द्वारा इन शहीदों के आश्रितों के पुनर्वास हेतु एक विशेष योजना के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है।

मान्यवर, प्रत्येक कारगिल शहीद परिवार को 10 लाख रुपया दिया। शहीद सैनिकों की पत्नियों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, गैस व पेट्रोल पम्प दिया है। मान्यवर, कारगिल शहीदों के आश्रितों के पुनर्वास हेतु एक विशेष योजना के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सियां दी गई। मान्यवर, प्रदेश के 75 शहीद आश्रितों में से 43 आश्रितों ने पेट्रोल पम्प हेतु आवेदन किया था जिसमें से अभी तक 23 पेट्रोल पम्प विभिन्न स्थानों में स्थापित किये जा चुके हैं। मान्यवर, इस प्रकार से जो भी तय है वह सैनिकों की दृष्टि से दिया जा रहा है।

मान्यवर, आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 कोचिंग देहरादून एवं अल्मोड़ा में संचालित है। पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा तक ही जाना होगा, तो भविष्य में पिथौरागढ़ में भी कोचिंग चलाने पर विचार किया जा सकता है। मान्यवर, अभी कहा गया है कि आई0सी0डी0एस0 योजना सभी विकास खण्डों में नहीं चल रही है, परन्तु वस्तुतः प्रदेश के सभी 95 विकास खण्डों में योजना चल रही है। मान्यवर, जहां भी पर्याप्त मात्रा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राएं उपलब्ध हैं वहां छात्रावास बनाया जा सकता है। मान्यवर, माननीय नुकाल जी ने कहा कि संविधान की पांचवीं व छठी अनुसूची में उत्तरांचल का कोई क्षेत्र नहीं है। मान्यवर, दूर-दराज गांवों के विकास के लिए बार्डर एरिया डेवलपमेण्ट योजना चल रही है। मान्यवर, आई0सी0डी0एस0 योजना में वर्ष 2003-04 में 1515 मी0 टन पोषण सामग्री वितरित हुई, जबकि वर्ष 2004-05 में 9416 मी0 टन वितरित हुई। मान्यवर, एस0सी0 बाहुल्य ग्रामों के लिए 71 सड़कें स्वीकृत की गई और उसके लिए 24 करोड़ पहली किश्त में दी गई।

मान्यवर, ट्राइबल सब प्लॉन, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन में आते हैं, उनका आहरण निश्चित है, वह पूंजी उन्ही क्षेत्रों को मिली। विभाग के माध्यम से देते हैं आप सीधे भी दे देंगे तो वह सड़क मिल जायेगी। माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि एक हजार रुपया दिया गया। मान्यवर, यह टोकन मनी के रूप में था। सरकार ने समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और स्पेशल कम्पोनेन्ट और ट्राइबल प्लॉन के अन्तर्गत किया, आप सब का सहयोग जरूरी है। अगर कोई क्षेत्र अछूता है तो आप सब से आग्रह है कि इन योजनाओं के साथ सामने आये। भारत सरकार से अधिक धन प्राप्त कर सकें। मान्यवर, कल्याणकारी स्थिति को सुधारने के लिए यह महत्वपूर्ण विभाग है। मान्यवर, इसमें आप सब का सहयोग अपेक्षित है। आपने रोस्टर प्रणाली की बात कही।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, खटीमा स्थित सितारगंज में गैर जनपद के लोग आते हैं इसे टी0एस0पी0 में नहीं लिया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

खटीमा टी0एस0पी0 में है। आप मुझसे मिलें, आपके लिए योजनायें हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं पिथौरागढ़ के अनुसूचित जाति के छात्रावास के अनुरक्षण की बात कह रहा हूँ, उसके अनुरक्षण हेतु व्यवस्था की जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अनुरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। आप उसकी स्थिति दे दें। इसमें प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, उत्तरांचल सीमान्त राज्य है, गरीब लोगों के लिए जितनी भी योजनायें हैं, उन्हें गम्भीरता से लिया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1101208 हजार (एक सौ दस करोड़ बारह लाख आठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30, अनुसूचित जातियों का कल्याण से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2631886 हजार (दो सौ तिरसठ करोड़ अठारह लाख छियासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31, अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 824332 हजार (बयासी करोड़ तैंतालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 4.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

दि0 29-3-2005 की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष-

कार्यमंत्रणा समिति की दिनांक 29-03-2005 की बैठक की सिफारिशों में शनिवार दिनांक 2-04-2005 के उपवेशन में नियम 301, नियम 56 तथा नियम 51 की सूचनाएं न लिये जाने की सूचना का उल्लेख नहीं हो सका है। शनिवार दिनांक 2-04-2005 को पूरा दिन असरकारी दिवस है। अतः नियम 301, नियम 56 तथा नियम 51 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी।

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग

*खाद्य एवं आपूर्ति तथा पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 150053 हजार (पन्द्रह करोड़ तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सीधे जनता से सम्बन्धित विभाग है। प्रदेश की जनता को अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में व उचित मूल्य पर सुलभ कराने, केन्द्रीय पूल के लिए गेहूँ व चावल की खरीद कराने, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रणाली के तहत मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का क्रय करना, गोदामों में भण्डारण तथा उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आवंटन तथा चीनी की उपलब्धता बनाये रखने, प्रदेश में अवैध बाटों तथा मापों के प्रचलन व घटतौली की रोकथाम, खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण तथा उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी की रोकथाम एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा किराया नियंत्रण आदि जनहितकारी योजनायें विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आय–व्ययक अनुदान संख्या–25 आवंटित हैं। जिसके अन्तर्गत विभिन्न लेखाशीर्षकों के माध्यम से विभाग की अलग–अलग शाखाओं के कार्यकलापों के सम्पादन हेतु बजट प्राविधान उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य विभाग की अधिकतम बजट व्यवस्था आयोजनेत्तर पक्ष में की गयी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली– इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 कार्ड के माध्यम से गेहूँ रुपये 4.65 प्रति किलोग्राम तथा चावल रुपये 6.15 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में कुल 4,21,700 बी0पी0एल0 कार्डधारक हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 710 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों में भी निर्धनतम परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्न योजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत रुपये 2 प्रति किलोग्राम गेहूँ तथा रुपये 3 प्रति किलोग्राम चावल दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना में अभी तक 76300 लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थियों की यह संख्या 4,21,730 बी0पी0एल0 कार्ड–धारकों के अतिरिक्त है।

अन्नपूर्णा अन्न योजना में 65 वर्ष से अधिक के वृद्ध व्यक्ति जिन्हें कोई वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत 10 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की दर से निःशुल्क राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत गुलाबी रंग के राशनकार्ड आपूर्ति कार्यालय या तहसील से प्राप्त किये जा सकते हैं, प्रदेश में इस योजना के 10481 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2004–05 में 1257.480 मीट्रिक टन चावल का आवंटन हुआ जिसके सापेक्ष माह अप्रैल, 2004 से सितम्बर, 2004 के आवंटन के विरुद्ध 619.657 मीट्रिक टन चावल का उठान हो चुका है एवं माह अक्टूबर, 2004 से माह मार्च, 2005 तक आवंटित खाद्यान्न की धनराशि भारतीय खाद्य निगम को दी जा चुकी है एवं उसके विरुद्ध खाद्यान्न की उठान की जा रही है। इस योजना के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए रुपये 1.80 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

मान्यवर, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 10 माह का खाद्यान्न निःशुल्क दिये जाने का प्राविधान है। उत्तरांचल राज्य में वित्तीय वर्ष 2004–2005 अप्रैल, 2004 से मार्च, 2005 तक 16224.08 मीट्रिक टन चावल का आवंटन हुआ है तथा जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2005 तक 11228.693 मीट्रिक टन चावल का उठान हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग द्वारा पके हुये भोजन की व्यवस्था पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन जनता को रोजगार खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे भारत वर्ष में 100 करोड़ मानव दिवसों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है और उत्तरांचल में 148.85 लाख मानव दिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य है।

मान्यवर, खरीफ फसल वर्ष में धान एवं चावल की खरीद एवं भुगतान की प्रगति इस प्रकार है। मूल्य समर्थित योजना के अन्तर्गत खरीफ खरीद वर्ष 2004–05 में खाद्य विभाग द्वारा 6536 मीट्रिक टन तथा सहकारिता विभाग द्वारा 4882 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है। इस प्रकार खरीफ खरीद वर्ष 2004–05 में कुल 11428 मीट्रिक टन धान की खरीद किसानों से की गई। चावल मिल मालिकों द्वारा खरीदे गये धान से निर्मित चावल से दिनांक 28–3–2005 तक 2,39,487 मीट्रिक टन लेवी चावल का उद्ग्रहण किया गया। इसमें से 1,44,280 मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में तथा 95,207 मीट्रिक टन चावल का सम्प्रदान स्टेट पूल में किया गया। अभी तक

स्टेट पूल और केन्द्रीय पूल तथा सी0एन0आर0 के अन्तर्गत 246.05 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार की व्यवस्था से धान उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। वर्ष 2004-05 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 54,030.895 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। इस समस्त मात्रा का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। लेवी चीनी क्रय में 60.00 करोड़ चीनी क्रय/वितरण हेतु प्रस्तावित है। इन कार्यों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत आयोजनोत्तर तथा आयोजनोगत पक्ष में आय-व्ययक प्रस्ताव निम्न अनुसार प्रस्तावित है। राजस्व लेखा 2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डारण, आयोजनोत्तर-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अभिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति) हेतु बारह करोड़ तैंतालिस लाख इकरात हजार मात्र है।

मान्यवर, आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन रबी क्रय योजना तथा खरीफ क्रय योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की खरीद हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए आय-व्ययक अनुदान संख्या-25 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में कुल धनराशि सात सौ सत्तर करोड़ रुपया तथा आयोजनागत पक्ष में इकहत्तर लाख एक हजार रुपये का आय-व्ययक प्रस्तावित है, जिसका विवरण इस प्रकार है। पूंजी लेखाशीर्षक (आयोजनेत्तर 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-101-खरीद और पूर्ति-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 03-अन्नपूर्ति योजना-31-सामग्री और सम्पूर्ति 800-अन्य व्यय-03-खांडसारी या योजना-31-सामग्री और सम्पूर्ति के लिए रुपये सात सौ सत्तर करोड़ तथा 4408-01-खाद्य-800-अन्य-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना/जिला योजना के अन्तर्गत गोदाम निर्माण के लिए इकहत्तर लाख एक हजार रुपये का प्रावधान है।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, खाद्यान्न के प्रति सरकार के द्वारा नई निधि का प्रयोजन किया जा रहा है, जिसको राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि का नाम दिया गया है। यह निधि मात्र केन्द्र सरकार से सहायता के रूप में मिलने वाले 15 लाख रुपये से शुरू की जा रही है। इस एकाउण्ट में राज्य सरकार की ओर से 2 करोड़ 13 लाख 85 हजार रुपये के खर्च का ब्यौरा दिया गया है। यह समझ में नहीं आता कि नई निधि, नई योजना

केवल 15 लाख रुपये की राशि से खोल रहे हैं लेकिन 2 करोड़ 15 लाख 85 हजार रुपये इसमें कहां से खर्च करेंगे, इसकी पूर्ति कहां से की जाएगी, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। मान्यवर, सरकार द्वारा 2 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जाना बताया गया है और यह खरीद केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य 640 रुपया प्रति कुन्तल के हिसाब से की जाएगी। मान्यवर, सरकार ने बार-बार मैदानी क्षेत्र के किसानों के बीच में जाकर कहा है कि सरकार किसानों के हित की सरकार है, किसानों के हित के लिए यह सभी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, सरकार के द्वारा यह विश्वास किसानों को दिलाया जाता है।

मान्यवर, पंजाब सरकार ने पिछले साल किसानों को सब्सिडी देकर गेहूँ के अधिक मूल्य का भुगतान किया लेकिन खेद की बात है कि किसानों का इतना हित चाहने वाली हमारी सरकार ने एक पैसा भी किसान के लिए अपनी तरफ से खर्च करने की बात नहीं कही है, किसानों को सब्सिडी देने की बात नहीं कही है। 640 रुपया घोषित मूल्य पर किसान को उसका उत्पादन मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है। आज किसान इस स्थिति में पहुंच गया है कि किसान के बच्चे कॉन्वेन्ट स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। किसानों के पास पैसा नहीं है। खेती के इक्विपमेंट खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज ले लेते हैं। मान्यवर, तहसीलों में एक ऐसी हवालात होती है, जिसमें सिर्फ ऐसे किसान बन्द होते हैं, जो बैंक का कर्ज नहीं चुका पाते हैं। इन हवालातों में कोई उपद्रवी बन्द नहीं होता है। किसानों के पास पैसा न होने के कारण वे बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। बैंकों द्वारा तहसील के लिए लिखा जाता है, इस प्रकार उन पर 10 प्रतिशत चार्ज अलग से लगा दिया जाता है। और किसान को कटघरे में बन्द कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि किसी भालू को कटघरे में बन्द कर दिया गया है और बाकी लोग उसका तमाशा देखते हैं। मान्यवर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों को कम से कम 60 रुपये प्रति कुन्तल की सब्सिडी देकर 700 रुपये में गेहूँ के रेट उपलब्ध कराया जाय, जिससे किसान अपने घर में रोटी पकाने योग्य हो जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मण्डियों में क्रय करने की बात सरकार द्वारा कही गई है। हमेशा देखा गया है कि जब किसान के पास फसल होती है, उस वक्त किसान हल्ला गुल्ला शुरू कर देता है कि सरकार जल्दी क्रय केन्द्र खोले लेकिन सरकार उसी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है, जिलाधिकारी कहता है प्रक्रिया चालू है। होता यह है कि किसान का आधा माल आढ़तियों के पास बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो उनका शोषण करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। सरकार को पूरी जानकारी है किन्तु सरकार इस कोई ध्यान नहीं देती है। मान्यवर, यह बहुत दुखद बात है। मान्यवर, किसान जब मण्डी में जाता है तो ट्राली का डाला

खोलने के लिए 200 रुपये लिये जाते हैं और जो वहां पर तोल होती है, उसमें भी गड़बड़ की जाती है। मान लीजिए उसके पास 60 बोरी हैं तो दो ढाई बोरी का गेहूं वहीं पर गिर जाता है और जब किसान कहता है कि मैं इकट्ठा कर दूं तो उससे कहा जाता है कि यह पल्लेदार का माल है। तब किसान सोचता है कि इससे तो अच्छा बनिया है, उसके यहां यदि माल बेचेंगे तो नकद भुगतान भी मिलेगा और इस प्रकार का उसका नुकसान भी नहीं होगा। जो उसे पैसों की आवश्यकता होगी वह उसे तुरन्त मिल जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 कार्ड का जिक्र किया गया तथा अन्त्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना का जिक्र किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, जो बात मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा बिल्कुल सत्य कहूंगा यदि इसमें थोड़ा भी झूठ हो तो मेरा विधानसभा में आने का अधिकार आप खत्म कर दें। यह जो सारी की सारी योजनाएं हैं सब लूट-खसोट का घर है। इन योजनाओं से जरूरतमंदों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मान्यवर, आज बी0पी0एल0 कार्ड उन लोगों के बन रहे हैं, जो ब्लॉक के अधिकारियों को 200 रुपये दे रहा है जिनके पास इतने पैसे देने के लिए नहीं है, उनका कार्ड नहीं है। वे बेचारे रो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के कार्ड बन रहे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। उनके घर में पक्की ईंटें लगी हुई हैं। जो भूखे हैं, कमजोर हैं, उनके बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बन रहे हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार वृद्ध पेंशन योजना है। जिसके अन्तर्गत 65 वर्ष की आयु वालों को पेंशन देने की सुविधा है किन्तु उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है सरकार को इस बारे में देखना चाहिए कि उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? जबकि वह पेंशन का अधिकारी है। इसके अन्तर्गत 10 किलो अनाज देने की भी व्यवस्था है, किन्तु उन्हें नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, यहां भी वही हाल है। उस वृद्ध को ब्लॉक में एप्लाई करना पड़ता है, फिर रिपोर्ट ब्लॉक के अधिकारी द्वारा बनाई जाती है। मान्यवर, यह तो सरकार मानती है कि 65 साल से ऊपर की उम्र वाले वृद्धों के लिए पेंशन नहीं मिलती है।

मान्यवर, अभी पिछली बार प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल कोटे के अन्तर्गत मिट्टी का तेल दिया गया। परन्तु वह सारा का सारा मिट्टी का तेल मैदानी क्षेत्रों में बंटा, एक भी तेल पहाड़ों पर नहीं चढ़ सका। मान्यवर, 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या लगभग 84 लाख है, इसमें से बी0पी0एल0 श्रेणी में 4.21 लाख हैं और इससे भी अधिक गरीबी के नीचे 76300 लोग हैं, जबकि यह संख्या नगण्य है। मान्यवर, सदन के माध्यम से कहा जाता है कि गांवों में गरीबी का प्रतिशत 65 है, दूसरी तरफ ऐसे आंकड़े दिये जाते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि

गांवों में जो वास्तविक गरीब लोग हैं, जिनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं हैं उनके पास यह कार्ड नहीं है, इसलिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। मान्यवर, राशन की जो दुकानें एलाट होती हैं ये दुकानें

[X X X]

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, [X X X] शब्द पर हमें आपत्ति है। इसका लिखित प्रमाण होना चाहिए। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बात ही अपने आप में प्रमाण है। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं तो सरकार को आगाह कर रहा था। यदि यह बात सरकार को अच्छी नहीं लगी तो इसे कार्यवाही से निकाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य द्वारा खुद कहा गया है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। अतः इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, खुशी होती है, जब सरकार जनता के लिए घोषणाएं करती है, सरकार पैसा फेंकती है, परन्तु दुःख तब होता है, जब यह पैसा वाजिब जगह नहीं पहुंचता है। मान्यवर, सरकार बॉल, तो फेंकती है, लेकिन वह जनता तक नहीं पहुंच पाती है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जो सरकार का लेखा–जोखा चल रहा है, वह कागजों पर है और इसमें मात्र 60 प्रतिशत से भी कम खर्च हो पायेगा। मान्यवर, प्रदेश में खाद्यान्न के भण्डारण–वितरण, चोरी बाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सुधार की कामना करता हूँ। मान्यवर, सुधार होने पर अत्यधिक आभारी होंगे।

नोटः–[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय चीमा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, माननीय चीमा जी ने राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि की बात कही और इसे अन्य मदों में सरकार ने प्रस्तावित किया है। मान्यवर, इसमें लिखा है कि स्वैच्छिक संगठनों में प्रदान करना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है? मान्यवर, राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि नाम दिया है और यह स्वैच्छिक संगठनों को दी जायेगी, तो निश्चित रूप से इसका जवाब माननीय मंत्री जी सदन में लायेंगी। मान्यवर, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की स्थापना पूर्व में की गई जिसका काम उपभोक्ताओं के संरक्षण के बारे में काम करना है। मान्यवर, एक तरफ हम राज्य कल्याण उपभोक्ता निधि की बात कर रहे हैं और बजट में ध्यान से देखें तो वर्ष 2004–05 में इस विभाग के वेतन में 5 लाख 50 हजार रुपया स्वीकृत किया था और जिसका पुनरीक्षित अनुमान भी 5 लाख 50 हजार था और इस वर्ष सरकार ने प्रस्तावित किया 5 लाख, उसको और घटा दिया। इसमें महगाई भत्ता बढ़ाया गया लेकिन साथ में अन्य भत्ता 1 लाख 63 हजार से कम करके 150 हजार कर दिया गया है। मान्यवर, एक करोड़ 21 लाख 28 हजार रुपया पिछले वर्ष था वह अब 1 करोड़ 13 लाख हो गया, तो आवश्यकता से कम कर दिया, तो इसका उद्देश्य क्या था? जबकि कर्मचारियों की संख्या घटी नहीं होगी, इसके बारे में भी बतायें।

मान्यवर, भण्डारण की बात कही तो उत्तरांचल राज्य में गोदाम के निर्माण के लिए वर्ष 2003–04 प्रस्तावित किया था वह पिछले वर्ष भी न्यून कर दिया और इस वर्ष भी न्यून कर दिया, ऐसा क्यों किया। इसकी भी जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे। मान्यवर, बी०पी०एल० कार्ड की बात कही है तो इसकी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, इसके लिए सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और वास्तव में जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, उन लोगों को कार्ड मिले। मान्यवर, मध्याह्न भोजन के बारे में सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के फलस्वरूप भोजन कराया जा रहा है, लेकिन गांव में चावल दिया जाता है और उसको पकाने का काम स्कूल की शिक्षक–शिक्षिकाओं का है। मान्यवर, सिर्फ चावल है और दाल, मसाला, तेल के लिए एक रुपया है।

मान्यवर, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि एक रुपये में कितनी दाल आ जायेगी, कितना मसाला आ जायेगा। यह हम विचार कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर चिन्तन करें, इसकी धनराशि बढ़ाकर भेजें। मान्यवर, कटौती का जो प्रस्ताव माननीय चीमा जी ने रखा जो इसमें एक रुपया कर दिया जाय, उसका आशय यह है कि बजट को संशोधित करके अगली बार इसे फिर विधान सभा में लायें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मीणा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा, जो बातें कहीं मैं उन बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। श्रीमन् सबसे पहले माननीय मीणा जी ने कहा कि राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत एक नयी व्यवस्था की गई है, जिस व्यवस्था के तहत 15 लाख रखा गया है, इस बजट में आप देखेंगे कि जो व्यवस्था की गयी है वह उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए इस मद की व्यवस्था की गई है, इस मद के तहत 50 प्रतिशत का अनुदान केन्द्र सरकार देगी और 50 प्रतिशत राज्य सरकार इसमें वहन करेगी। दूसरा गेहूं की खरीद की बात कही, दो लाख मीट्रिक टन की बात कही। मान्यवर, सरकार का सदैव प्रयास रहता है कि जो समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है बाजार का मूल्य कम रहे, समर्थन मूल्य ज्यादा रहेगा। इसलिए दो लाख का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, जहां तक समर्थन मूल्य की बात है वह भारत सरकार करता है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 643 रू० समर्थन मूल्य घोषित किया है, इसी प्रकार राज्य सरकार गेहूं का क्रय करती है। मान्यवर, एक बात आपने और कही है कि क्रय केन्द्र विलम्ब से खोले जाते हैं, सब्सिडी देने की स्थिति में हम नहीं हैं। मान्यवर, यह केन्द्र पोषित योजना है, केन्द्र द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है। क्रय केन्द्र न खोलने की बात कही, मेरा कहना है कि सरकार की यह कोशिश रहती है कि गेहूं, चावल की खरीद के लिए हम केन्द्र समय से खोलें। हमारी सरकार का प्रयास रहता है कि कृषकों को गेहूं क्रय केन्द्रों से मिले। आप द्वारा भ्रष्टाचार की बात कही गई, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार होता है, यदि आप बता सकें तो निश्चित रूप से जांच करेंगे, जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, यह विश्वास मैं सदन के माध्यम से दिलाना चाहता हूं। बी०पी०एल० कार्ड की बात कही, बी०पी०एल० कार्ड का जो सर्वे हुआ था वह 1997 में हुआ। इसके अन्तर्गत चार लाख अठानबे हजार परिवारों को इससे आच्छादित किया गया है।

मान्यवर, हमने जो बी०पी०एल० कार्ड थे उन्हें बनाया और अब भी वही व्यवस्था चल रही है। लेकिन इस प्रदेश के अन्दर आपने भी और हमने भी इस बात को महसूस किया कि बी०पी०एल० के परिवार ज्यादा हैं। अतः इसका पुनः सर्वे होना चाहिए। इस दिशा में आगे कार्यवाही की गयी। भारत सरकार ने पुनः सर्वे कराने के निर्देश दिये। हमने इस दिशा में कार्य किया है। पुनः सर्वे करके उसे भारत सरकार को भेजा गया है जैसे ही इसका क्लियरेन्स मिल जायेगा इस दिशा में आगे कार्य किया जायेगा।

मान्यवर, मिट्टी के तेल की आपने बात कही, उसमें भ्रष्टाचार की बात कही। मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी यह कोशिश रही है चाहे सत्ता पक्ष के साथी रहे हों या प्रतिपक्ष के साथी रहे हों मैंने आपकी भावनाओं

का सदैव आदर करने का प्रयास किया है। जिस बात की ओर आपने इंगित किया है वह मेरे संज्ञान में नहीं है कि मिट्टी के तेल में भ्रष्टाचार हुआ और अगर आप कोई ऐसा उदाहरण बताएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर सरकार कार्यवाही करेगी और ऐसे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे चाहे वे अधिकारी वर्ग के हों, कर्मचारी वर्ग के हों या जिन लोगों के पास इसकी एजेंसी है वे हों उस दिशा में सरकार कठोर कार्यवाही करेगी। आपने राशन की दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में बात कही। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जानकारी नहीं है कि कहां पर यह घटना हुई है। आपका उद्देश्य भी वही है और हमारा उद्देश्य भी वही है कि गरीब तबके के हर व्यक्ति को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाये। अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो उस पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। मध्याह्न भोजन के बारे में माननीय पंत जी ने कहा। मैं कहना चाहता हूं कि राशन हमको आवंटित होता है उसे उस विद्यालय तक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारी है। यह केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, दाल का पैसा कहां से आता है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है यह केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हाईकोर्ट का निर्देश था कि इसे उपलब्ध करा दिया जाये।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, दाल, नमक, तेल इसका पैसा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं इसे दिखवा लूंगा। भोजन उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। मान्यवर, ठीक है दाल का मूल्य राज्य सरकार ही देती है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आयेगी हेड आपका खुला हुआ है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस प्रदेश की जनता जो बी0पी0एल0 के नीचे है और जो बी0पी0एल0 में है और जो अन्य योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसका लाभ गरीब लोगों को मिले इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा। (व्यवधान)

मान्यवर, कार्ड के बारे में आपने कहा तो बी0पी0एल0 कार्ड की व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है। कल्याण निधि के बारे में भी आपके द्वारा कहा गया तो इसके लिए पैसा रखा गया है और इसके लिए 50 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 50 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। एन0जी0ओ0 के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक छोटा सा स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने उपभोक्ता फोरम की बातें कही और उनमें अभी तक सदस्य नामित नहीं किये गये हैं केवल जज ही वहां पर हैं। जो कि वहां पर बैठते नहीं हैं तो फिर आदमी अपनी कम्प्लेन को कहां पर लेकर जायेगा? इसके लिए आपको वहां पर सदस्य नामित करने आवश्यक हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उपभोक्ता फोरम में सदस्य नामित नहीं हैं तो यह कहीं पर हो सकता है कि न हों, इस दिशा में सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। यदि कहीं पर सदस्य नामित नहीं हैं तो वह भी शीघ्र कर दिये जायेंगे।

मान्यवर, मैं माननीय चीमा जी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदेश के आम और गरीब लोगों से सम्बन्धित होता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि प्रदेश और गरीबों के हित में अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर भाषण यहां पर दिया उससे मैं और इस सदन के कई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 150053 हजार (पन्द्रह करोड़ तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 27, वन विभाग

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2832554 हजार (दो सौ तिरासी करोड़ पच्चीस लाख चौवन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, एक ऐसा विभाग जो प्रदेश के 65 प्रतिशत भू–भाग को देखता हो। जो इस प्रदेश की नैसर्गिक सम्पदा हो और उसकी संरक्षा करता हो और उन चीजों की सुरक्षा का माध्यम भी बन जाय उससे इस विभाग की महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह विभाग वन्य जीवों के संरक्षण और उनके समुचित वास स्थलों का भी प्रबन्ध करता है। श्रीमन्, इस वर्ष के बजट में जिन दो नई योजनाओं को शामिल किया गया है, मैं सर्वप्रथम उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे वन क्षेत्रों में बहुत ही संख्या में गूजर भाई निवास करते हैं और उनको एक सामान्य नागरिक की सुविधा प्राप्त नहीं है। इस विषय में पहले वर्ष 1987 में जब राजाजी नेशनल पार्क की घोषणा की गई तो इसमें गूजरों के पुनर्वास के लिए भी योजना बनाई गई थी। इसमें पथरी और गैंडीखत्ता कुल दो गांवों को चिन्हित किया गया था।

मान्यवर, आज अद्यतन स्थिति यह है कि 1390 परिवारों का विस्थापन किया जाना था, जिसमें से 730 परिवारों को भूमि का कब्जा दिया जा चुका है और वे विस्थापित होकर वहां पर चले गए हैं। मान्यवर, 2005 में ही हमने 214 परिवारों को भूमि आवंटित कर दी है। मान्यवर, यह जो योजना बनायी गयी थी, इसमें एक कमी

देखने को मिल रही थी, इस विस्थापित बस्ती में अवस्थापना सुविधाओं सड़क, बिजली तथा पानी की कोई अनुमोदित व्यवस्था नहीं थी। इस वर्ष हमने इसके लिए 3 करोड़ 90 लाख 90 हजार रुपये का प्राविधान किया है। इस पैसे से विस्थापित बस्ती में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमने पूरे प्रदेश में ऐसी वन भूमि को भी चयनित किया है, जो अभी तक अलग–थलग पड़ी हुई थी। ऐसी 80 हेक्टेयर भूमि है, इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में रहने वाले गूजर भाईयों के रहने के लिए किया जाएगा, जिससे वे लोग सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

मान्यवर, हमारे सामने जो दूसरी चुनौती आयी, वह राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित थी। आप अवगत ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से कुछ जगहों पर घटनाएं हुई हैं, इसके बाद से वन्य जीव सुरक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। मान्यवर, आप स्वयं उन गांवों और खत्तों से अवगत हैं, इन गांवों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इस हेतु इस वर्ष 80 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वन मार्गों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां 2994 किलोमीटर कच्चा वन मार्ग तथा 8965 किलोमीटर पैदल मार्ग हैं। हमारा प्रयास है कि हम सुनियोजित योजना बना कर इनके विकास के लिए कुछ कार्य कर सकें। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही वन्य जीवों की भी रक्षा हो सकती है और वहां के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। मान्यवर, वन्य जीव अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, उसमें एक नई परिकल्पना की गयी है। नेशनल पार्क और सैन्चुरी की बात तो पहले से ही की जाती रही है, अब इसमें कन्जर्वेशन रिजर्व की बात भी जुड़ गयी है। हमने प्रयास किया है कि इस वर्ष हमारे राज्य में 4 नये कन्जर्वेशन रिजर्व बन जाएं। आसन बैराज के पक्षी विहार का कार्य शुरू हो गया है, रसियाबड़ में बारहसिंघा का संरक्षण केन्द्र बन रहा है, वह हमने वहां नया शुरू किया है। हरिद्वार में वैट लैण्ड के लिए भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल चुकी है। मान्यवर, हमने कन्जर्वेशन रिजर्व के लिए सुरई क्षेत्र को भी चयनित किया है।

मान्यवर, इसके अलावा हमारे प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी मोनाल और राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्मकमल है, दोनों के लिए भी हम कन्जर्वेशन रिजर्व की घोषणा करेंगे। इस कन्जर्वेशन रिजर्व से किसी भी निकटस्थ गांव के ग्रामीणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, राजाजी नेशनल पार्क की चीला रेंज में हमने गूजर पुनर्वास का कार्य पूरा किया है। मान्यवर, कार्बेट पार्क का मुख्य आकर्षण शेर चीला में भी देखा जा रहा है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क की चीला रेंज, जहां से गूजर पुनर्वास का कार्य हो चुका है, के उत्साहवर्द्धक परिणाम मिले हैं, प्रदेश में एक एण्टीपोचिंग सेल की स्थापना की गई। 60 एण्टीपोचिंग कैम्प तथा 162 ईकोडेवलपमेण्ट कमेटियां कार्यरत

हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए 13 करोड़ 57 लाख रुपये की धनराशि प्राविधानित है। वन्य जीवों द्वारा जान माल की क्षति की पूर्ति हेतु 77 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। वन्य जीवों द्वारा होने वाली क्षति के मुआवजे की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बांस परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार योजना के लिये पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। इस धनराशि के प्रयोग से कुल 3200 हे0 में वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है, जिससे 1600 परिवारों को आमदनी का स्त्रोत प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष इस मद के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, गत वर्ष जैविक ईंधन, ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ स्वीकृत किये गये थे। इस धनराशि के प्रयोग से कुल पांच हजार हे0 में कार्य प्रगति पर है, जिससे 2500 परिवारों को आमदनी का स्रोत प्राप्त हो सकेगा। इस वर्ष इस मद हेतु 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इसके साथ ही वन विकास निगम द्वारा त्रिफुला, च्यूरा, सीबकथॉर्न या हिपोफी एवं थुनेर प्रजातियों पर आधारित वृक्षारोपण रोजगार योजना पर कार्य चल रहा है। इस वर्ष तेज पता व दाल चीनी प्रजातियों पर आधारित वृक्षारोपण रोजगार योजना पर कार्य प्रस्तावित है। इसके साथ ही बायो-फेन्सिंग के रूप में लेमनग्रास आदि सगन्ध पौधों का वह वृक्षारोपण प्रस्तावित है। वृक्षारोपण रोजगार कार्यक्रम में पौष्टिक आहार को आधार बनाते हुए ऐसे प्रजातियों के पौधे भी रोपित किये जा रहे हैं, जो ग्रामीणों द्वारा आहार के रूप में प्रयोग किए जा सकें। इसके साथ-साथ चारा एवं ईंधन के वृक्ष भी रोपित किये जा रहे हैं।

मान्यवर, जनसहभागिता पर आधारित इको पर्यटन में गत वर्ष वन विभाग, उत्तरांचल वन विकास निगम के प्रयास से 4 महासीर संरक्षण परियोजनाएं प्रयोग के रूप में रामगंगा नदी पर प्रारम्भ की गयी थीं तथा उत्तरकाशी में गाजी व रैथल में 2 कैम्पिंग स्थलों का विकास किया गया है। छोटी हल्द्वानी में कार्बेट हैरिटेज ट्रेल, सीताबनी में बाल्मिकी आश्रम ट्रेल का विकास किया गया है। रैणी में गौरा देवी संग्रहालय तथा खोलमा नेचर ट्रेल में पुल का निर्माण किया गया है। उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा विश्राम भवनों एवं वन भूमि पर आधारित नई परियोजनाओं के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है जिनके विकास का कार्य चल रहा है। इन सभी परियोजनाओं में निकटस्थ ग्राम के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना वन विभाग का उद्देश्य है।

मान्यवर, वन पंचायतों के माध्यम से कुछ योजनाओं को चयनित किया है। मान्यवर, गाइडिंग के रूप में स्थानीय लोगों से सहायता ली जा रही है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मान्यवर, फरवरी की किस्त वन पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी। मान्यवर, रामनगर में जो सेंटर

विकसित किया गया था, उसमें इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है। मान्यवर पर्वतारोहण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल पूरे देश में पहला राज्य होगा जिसने अपने यहां इसके लिए दिग्दर्शिका जारी की है। मान्यवर, इससे स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गयी है।

मान्यवर, प्रदेश के 17174 गांवों में से 12067 गांवों में वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है और 749 में इसके गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है। मान्यवर हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, सम्भावत जिले ऐसे हैं, जिनमें पुराने नियम के अनुसार वन पंचायतें गठित नहीं हैं। मान्यवर, हमारा लक्ष्य है इन क्षेत्रों को भी वन पंचायतों से जोड़ें, जिससे कि लोगों को लाभ पहुंचे। मान्यवर, प्रदेश के इन क्षेत्रों के इच्छुक गांवों में वन पंचायत के गठन का कार्य शुरू किया जायेगा। मान्यवर, इस वैधानिक कार्य में बहुत सारी कठिनाइयां भी पैदा होती रही हैं। राज्य के गठन के पश्चात आज तक 879 परियोजनाओं को वन अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। 182 में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और 88 ऐसे मामले हैं जो भारत सरकार और प्रस्तावित विभागों के पास स्पष्टीकरण के लिए लम्बित हैं। मान्यवर, जनवरी, 2005 में भारत सरकार द्वारा एक हेक्टेयर क्षेत्रफल की स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वन स्वीकृति मिलने वाली है। मान्यवर, इसके लिए एन०पी०वी० का प्राविधान किया गया है, इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार का आग्रह किया है और उनकी मेम्बर कमेटी ने हमारी बात की सुनवाई की है, आशा है इस बारे में हमें उचित निर्देश प्राप्त हो जायेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही कैम्पा नीति का गठन किया गया है। मान्यवर, इस बार विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 100 पेड़ लगाने की योजना को, इस धनराशि का प्रयोग करके प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। मान्यवर, इस वर्ष दो पार्क हैं जिन पर कृषि हेबीटेड डेवलपमेंट का कार्य प्राथमिकता के साथ करेंगे।

मान्यवर, बहुत समय के बाद एक बार पुनः वन विभाग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ धनराशि प्रस्तावित की है, हमारी पुरानी कालोनी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, उनके पुनः निर्माण के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान इस बजट में किया है। मान्यवर, आप अवगत हैं कि वन चिकित्सालय ट्रस्ट का अध्ययन कॉलेज स्थापित हो चुका है, छात्रों का प्रवेश हो चुका है, सौ छात्र पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रति वर्ष एक लाख रुपया थी जिसे बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार किया है। मान्यवर, कम्प्यूटरीकरण में वन विभाग ने अपने कार्यालय में कम्प्यूटरों का काम किया है। 928 कम्प्यूटर और 50 सर्वर की स्थापना का कार्य चल रहा है, इस कम्प्यूटर से वन संरक्षण के साथ-साथ

राजस्व वृद्धि भी अपेक्षित है। मान्यवर, प्रदेश में कुल 26 एफ0डी0ए0 वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा कुल 43 करोड़ 54 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। 7 परियोजनायें भारत सरकार के स्तर पर लम्बित हैं। मान्यवर, वनों से सम्बन्धित एक और बड़ी चिन्ता का कारण अग्निकाण्ड होता है। वर्ष 2004 में कुल 4850 हेक्टेयर वन क्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ। वन विभाग की त्वरित कार्यवाही से प्रत्येक अग्नि काण्ड पर अविलम्ब काबू पाकर अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा की जा सकी। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ। इस योजना में इस वर्ष केन्द्रीय सहायता सहित 6 करोड़ 70 लाख रुपये की धनराशि प्राविधानित है।

मान्यवर, उत्तरांचल की जैविक सम्पदा के प्रति उत्तरांचल के नवयुवकों को जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में एक 'बाल अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक' का चयन किया जायेगा। इस योजना को केन्द्र सरकार की ईको क्लब योजना के साथ जोड़कर बनाया जायेगा। मान्यवर, इस वर्ष के बजट में एक महत्वपूर्ण प्राविधान वृक्षारोपण के क्षेत्र में किया जा रहा है। अब वृक्षारोपण की योजना को पूर्ण रूप से राज्य सेक्टर के अधीन ले लिया है, जिससे वृक्षारोपण की योजनाओं को बनाने में अधिक सुविधा होगी। इस वर्ष वृक्षारोपण हेतु रुपये 16 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है। ईंधन चारा पत्ती के लिए जिला सेक्टर में पूर्व योजना अभी चल रही है। मान्यवर, वर्ष 2003–04 में वन विभाग द्वारा लगभग 26 करोड़ 71 लाख रुपये का राजस्व लीसे की बिक्री से प्राप्त किया गया। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पहले हमारे पास बहुत अधिक लीसा का स्टॉक था, जिससे न केवल उसकी गुणवत्ता में फर्क पड़ रहा था, बल्कि एक खतरनाक स्थिति में यह स्टॉक हमारे पास रखा था, हमने एक नई लीसा विक्रय नीति लागू की। इससे उत्साहवर्द्धक परिणाम मिले हैं और अब हमारे डिपो में लीसा का स्टॉक नगण्य है। विभाग द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है और इतना ही शेष है, इसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, और जो भुगतान लम्बित था वह पूरे का पूरा भुगतान हमारे द्वारा किया जा चुका है।

मान्यवर, मुझे यह सूचना देने में खुशी है कि राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अस्कोट वन्य जीव विहार एवं गोविन्द वन्य जीव विहार के पुनर्सीमांकन की स्वीकृति दे दी है। जिलाधिकारियों के स्तर पर होने वाली बन्दोबस्ती की सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शीघ्र ही पुनर्गठन का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जायेगा।

मान्यवर, राज्य के गठन के साथ ही उत्तरांचल में जड़ी–बूटी के विकास के लिये हर्बल प्रदेश घोषित करते हुए राज्य औषधीय एवं सगन्ध पादप परिषद् की स्थापना की गई। इस क्षेत्र में उद्यान विभाग, भेषज विभाग है, वन विभाग तथा

सहकारिता विभाग सहायक विभाग हैं। इस बहुमूल्य एवं दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करते हुए विकसित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल वन विभाग ने प्रभावी पहल की है। मुनि की रेती में हर्बल गार्डन स्थापित किए जाने के बाद इस वर्ष रामनगर एवं तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में भी हर्बल गार्डन स्थापित किया जा चुका है। विभाग में 21 औषधीय पौधों की नर्सरी की स्थापना हो चुकी है। जिसमें वर्ष 2004–05 में 11 हे0 वन भूमि पर स्थायी बीज स्रोत क्षेत्र पी0एस0आर0ए0 की स्थापना की गई एवं 10 हे0 जड़ी–बूटी एवं औषधीय महत्व की वृक्ष प्रजातियों के रोपण हेतु 5.66 लाख कुटकी, 2.75 लाख जर्टीस तथा 7.83 लाख अन्य प्रजातियों की पौध उगाई गई है। तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अन्तर्गत एक तीन वर्षीय त्रिफला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 215 हे0 क्षेत्र में त्रिफला वृक्षारोपण तथा संरक्षण हेतु प्रस्तावित है। यह परियोजना तीन वर्षों में पूरी की जायेगी।

सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अन्तर्गत थुनेर प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत एक पौधशाला की स्थापना की गयी है और पौधशाला में 1.00 लाख पौध उगाई जा चुकी है। इसी वर्ष 40.00 हे0 क्षेत्र में इसका रोपण किया जायेगा। अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के अन्तर्गत हिपोफी सैलिसीफोलिया (अमेस/चूक) के रोपण की योजना तैयार की गयी है जिसके अन्तर्गत 32000 अमेश चूक तैयार किये जा चुके हैं। जड़ी–बूटी के कृषिकरण में प्रगति होने के बाद जड़ी–बूटी कृषकों को वन विभाग की प्रक्रियाओं से असुविधा न हो तथा वे अपनी–अपनी उपज को सुविधापूर्वक बेच सकें। इस उद्देश्य से उत्तरांचल वन विकास निगम तीन स्थानों रामनगर, ऋषिकेश एवं टनकपुर पर विक्रय सुविधा हेतु जड़ी–बूटी मण्डी की स्थापना की है। इन मण्डियों की स्थापना से जड़ी–बूटी उपभोक्ताओं को प्रदेश के जड़ी–बूटी बाजार से सीधा सम्पर्क हो जायेगा तथा कृषकों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी और अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। इस वर्ष हल्द्वानी में एक मण्डी स्थापित करने का प्रस्ताव है। मान्यवर, उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2003–04 में प्रकाष्ठ की बिक्री से 152 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। लघु खनिज की बिक्री से 1 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया तथा जड़ी–बूटी की बिक्री से 36 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया। वर्ष 2004–05 में प्रकाष्ठ बिक्री से 150 करोड़, लघु खनिज से 25 करोड़ तथा जड़ी–बूटी से 1.5 करोड़ का राजस्व प्राप्त करना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा 01 करोड़ स्टाम्प शुल्क, 16 करोड़ रुपये सेल टैक्स, 3.5 करोड़ रुपये मण्डी शुल्क का भुगतान सरकार को किया जाना अपेक्षित है। उत्तरांचल वन विकास निगम से वर्ष 2003–04 में 3.30 करोड़ का लाभ तथा इस वर्ष 5 करोड़ का लाभ अनुमानित है। लघु खनिज उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा गौला नदी पर कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा लगाने का प्रयोग किया गया, जिसके उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा खनिजों की निकासी में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

उत्तरांचल वन विकास निगम की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रकाष्ठ डिपो में 2003–04 तक का स्टॉक नगण्य है तथा प्रकाष्ठ की बिक्री की दर में तीव्रता आई है। वनस्पति योजना के अनुसंधान हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम की अध्यक्षता में "औषधीय वनस्पति वन संस्था उत्तरांचल" का गठन किया गया है। इस संस्था द्वारा दो उच्च तकनीक पौधशाला की स्थापना मुनी की रेती एवं कौन्चालानी चकराता में औषधीय पादपों के संवर्द्धन के उद्देश्य से की गयी है, तथा चकराता वन प्रभाग में 650 हेक्टेयर औषधीय पादप संरक्षण की स्थापना की जा चुकी है। संस्था को इस वर्ष तक 1.09 करोड़ की प्राप्ति हुई है। संस्था द्वारा जड़ी–बूटियों के संरक्षण एवं कृषिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तरांचल की स्टेट ऑफ एन्वायरमेंट रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है, जिसके आधार पर राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारित की जायेगी। बोर्ड द्वारा 6 चार्टेड इंजीनियर्स को पंजीकृत किया गया है, जिससे उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा समय की भी बचत होगी। बोर्ड के कार्मिकों, आस्तियों एवं दायित्वों का उत्तर प्रदेश के साथ अन्तिम बंटवारा किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2004–05 में 3 करोड़ 24 लाख का जल उपकर वसूल कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें से बोर्ड को अपने व्यय के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। जन सहयोग बढ़ाने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों को सम्मानित करने की योजना इस वर्ष आरम्भ की जा रही है। मान्यवर, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिनसे मुझे समय–समय पर उपयोगी सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। मैं माननीय सदस्यों का इसलिए भी आभारी हूँ जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुनकर मुझे अनुग्रहीत किया है। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि अनुदान संख्या 27 के पूर्ण एवं अनुदान संख्या 30 व 31 के भाग प्रस्तावों को निर्विरोध पारित कराने में अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 27, वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपने संसदीय कौशल का परिचय देते हुए अपने विभाग का बजट प्रस्तुत किया है और यह सही है मान्यवर कि दुनिया के अन्दर अगर सबसे बड़ी चिन्ता का कोई विषय है, कोई कारण है तो वह पर्यावरण है। क्योंकि आज विकास के चलते हम जिस स्थिति पर पहुँच गये हैं

अगर वहां पर ठीक से कदम नहीं उठाये गये तो इसका खामियाजा मानव को भुगतना पड़ सकता है। आज दुनिया के अन्दर भी सबसे बड़ी चिन्ता पर्यावरण को लेकर है। रियोडी जनेरियो में हुए अर्थ सम्मेलन में दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के इस विषय पर गहन मंत्रणा के पश्चात् भी यह प्रक्रिया जारी है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ओजोन लेयर जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसको खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में उत्तराखण्ड जैसे वन प्रदेश को अधिक सक्रियता से अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। वनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु फॉरेस्ट के प्रति प्रेम बढ़े। हरियाली से लोगों को रोटी-रोजगार भी मिले। क्यूटो प्रोटोकोल में हुए सम्मेलन में कई देशों ने तो हस्ताक्षर किये लेकिन अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये।

यदि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन हेतु अन्य देशों द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। खासकर हमारे प्रदेश के लिए तो यह एक बहुत बड़ा अवसर है।

मान्यवर, ग्रीनिंग ऑफ हिमालियाज, एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना बनाई जाय, जिसे केन्द्र सरकार भी मदद देगी और इस महत्वाकांक्षी योजना को हम यू०एन०ओ० और यू०एस०ए० के पास भी भेज सकते हैं, और वहां से हमें अनुदान भी मिल सकता है और उस अनुदान को हम वनों के संरक्षण में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ईको टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए जो जंगलों की रक्षा करे इसमें जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जो हमारे नवयुवक हैं, इसके द्वारा उन्हें रोजगार दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि इस विषय में मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में प्रकाश डालेंगे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यहां पर बताया कि उत्तराखण्ड में वनाच्छादन 44 प्रतिशत हो गया है, इतना फारेस्ट कवर हो गया है, यह विभागीय आंकड़े हैं इन पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो हमारे छात्रों ने और एक्सपर्ट किसानों के शोध को सही माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से फारेस्ट कवर यदि उत्तराखण्ड जैसे वन प्रदेश में है तो यह कम है। माननीय मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि यह जो फारेस्ट कवर है वह किस तरह के वनों का है? चौड़ी पत्ती वाले तथा मिश्रित वनों की स्थिति क्या है? तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्य योजना है? मान्यवर, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि वन बढ़ें और ऐसे वन बढ़ें जो ईको फ्रेन्डली हों जो पर्यावरण और हवा पानी को स्वच्छ और ठीक रख सकें।

मान्यवर, जंगल हमेशा से हमारे रोजगार के साधन रहे हैं। हमें ऐसे भी वन बनाने होंगे जो हमारे प्रदेश के लोगों के हितों में हों और वनों से लोगों के रोजगार में वृद्धि हो सके। मान्यवर, उत्तराखण्ड के लोगों को जंगलों के प्रति अगाध प्यार है, जब-जब लोगों को वनों के प्रति उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास

किया गया तब-तब लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है चाहे वह चिपको आन्दोलन हो या अन्य कोई मूवमेंट। वनों के प्रति अपने अधिकारों की संवेदनशीलता रही है चाहे वह 1827 में जंगलों को लेकर विद्रोह हो, इस प्रकार के तमाम कारणों ने जंगलों के प्रति लोगों के अपनत्व को कम किया है और उससे जंगल घटे हैं। हमें इस पर विचार करना होगा।

मान्यवर, जो जातियां जंगलों में रहती हैं जो वनवासी लोग थे उन्हें भी वहां से निकाला जा रहा है जो कि अपने स्तर पर वनों को आग से बचाते थे और उसके संरक्षण के प्रयास समय-समय पर करते रहते थे। सरकार को उनके बचाव के लिए प्रयास करना और उनके हितों के बारे में उनके विकास के बारे में सोचना चाहिए। मान्यवर, वनों के संरक्षण के लिए अनेक कानून बने चाहे वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो या कोई और अधिनियम हो, इन कानूनों के माध्यम से जंगलों को बचाने में प्रगति होनी चाहिए लेकिन ऐसी कोई प्रगति दिख नहीं रही है। मान्यवर, वनों को बचाने के लिए सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी होगी। मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहूँगा जो शायद मंत्री जी के संज्ञान में भी न हो, कुंवर दामोदर राठौर, डीडीहाट के रहने वाले हैं, उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के अपने स्तर पर 1 करोड़ का प्लांटेशन किया है। तो मान्यवर, सरकार ऐसी जगहों पर अपने अधिकारियों को भेजे और उनसे कुछ सीखे, जब एक व्यक्ति बिना किसी सहायता के इतना कार्य कर सकता है तो फिर आपका पूरा महकमा इसे क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में सरकार गम्भीरता से सोचे।

मान्यवर, वन पंचायतों को और अधिक जनोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। सरकार वन पंचायत बना रही है लेकिन उनमें सरकारी हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा है। इससे लाभ कम हो रहा है और भावनात्मक लगाव जो लोगों का वनों से था वह इस हस्तक्षेप से कम होता जा रहा है। पंचायत द्वारा जो आय प्राप्त होती है उससे जो फंड बनता है, उसे वन संरक्षण व संवर्द्धन में खर्च करने का पूरा अधिकार वन पंचायतों को दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जिस वन निगम की स्थापना 1974 में की गई, वह इसलिए की गई ताकि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जा सके। इसके साथ-साथ यह वन निगम टिम्बर उद्योग पौधशालाओं, वृक्षों के शोध ट्रीक्रांग को वन खेती में शामिल कर इसे बढ़ाने के लिए किया गया था।

मान्यवर, पौधशालाएं बनाने और जड़ी-बूटियों को उगाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में कोई सार्थक कार्य नहीं किए गए हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस दिशा में भी उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, मैं आशा करता हूँ कि हमारे नये राज्य में यह कार्य और अधिक द्रुत गति से होगा। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपने वन विभाग के

अधिकारियों की पावर में वृद्धि कर दी है। यह ठीक है, जंगलों को बचाने के लिए अधिकार दिए भी जाने चाहिए लेकिन इससे यह मैसेज गया है कि वन विभाग के अधिकारी इन अधिकारों का प्रयोग जंगलों के आस-पास रहने वाले लोगों के खिलाफ ज्यादा कर रहे हैं। इनका प्रयोग माफियाओं के खिलाफ होना चाहिए। इन बातों से भी विभाग और जनता के बीच की दूरी बढ़ रही है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, उत्तराखण्ड के जंगलों का 20 प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क, सैन्चुरी आदि वन्य विहारों के लिए सुरक्षित रखा गया है। अस्कोट मृग विहार के लिए विभाग द्वारा बात की जा रही है। इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से परमीशन भी मिल जाएगी। लेकिन वहां के लोगों के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।-बिनसर के पास के गांव, नन्दा देवी रैंठी-लाटा आदि गांव, अस्कोट कस्तूरी मृग विहार, धारचूला तहसील, मुनस्यारी तथा ऐसे स्थानों पर भी जहां कस्तूरी मृग संरक्षण नहीं होता, लोगों के अधिकारों में प्रतिबन्ध लगाना न्यायोचित नहीं है।

मान्यवर, आउटर हिमालय से निकलने वाली रामगंगा, सरयू, नयार, गगास, कोसी, गौला जैसी नॉन ग्लेशियर नदियों के जलागम से जंगलों की हिफाजत न होने के कारण सॉयल इरोजन बढ़ रहा है यहां पर लोगों की रूचि भी घट रही है। इसमें लोगों से संवाद कर संरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है। जंगल में पेड़, घास, बोग्याल पानी को अन्दर प्रवेश कराते हैं, जिससे पानी में पर्याप्त रिचार्ज होता है। इसके साथ जंगल में आग की बात कही गयी। मान्यवर, जंगलों को आग से बहुत नुकसान होता है। यहां एक बार फिर से यह बात सामने आती है कि जन सहभागिता के बिना जंगलों की आग को रोक पाना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जंगलों में जो चीड़ के शंख होते हैं, जब आग लगती है, तो ये आग को बढ़ा देते हैं, जिससे आग पूरे जंगल में फैल जाती है हम जानते हैं कि चीड़ के शंख केवल जलाने के ही काम में नहीं आते, बल्कि इनकी सुन्दर कलाकृतियां भी बनायी जा सकती हैं तथा इनका व्यापार भी किया जा सकता है। यदि वन विभाग तथा वन पंचायतें इन गिरे हुए शंखों का एकीकरण कराकर नीलाम करवाए तो इससे आग पर भी काबू पाया जा सकता है और सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पिरूल से जलौनी ईंट बनाने की तकनीक और उपकरण विकसित हो चुकी हैं, परन्तु इसका प्रचार-प्रसार और उपयोग बहुत कम है। ऐसा करने से वनों में गिरे चीड़ पत्तों की मात्रा कम होगी और इससे वनाग्नि की संभावना भी कम होगी।

श्री अध्यक्ष–

धामपाल जी, अब कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूँ। दो बातें और कहना चाहता हूँ। किसी भी विभाग को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की होती है। आपने अपने विभाग में आई०एफ०एस० अधिकारियों के पदों का पुनर्गठन तो कर दिया है लेकिन राज्य वन सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पुनर्गठन व कैडर निर्धारण अभी तक नहीं होने से प्रमोशन व ज्येष्ठता निर्धारण में काफी परेशानी हो रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण की क्या स्थिति है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। विभाग में 40 दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक वर्षों से कार्य कर रहे हैं, इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। मान्यवर, वन विभाग में रेंज व बीट स्तर पर वाहन, चौकी तथा बन्दूक आदि सुविधाओं से सुसज्जित करना चाहिए ताकि वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम की जा सके। हर बीट में कम से कम दो रक्षक तैनात करने चाहिए।

मान्यवर, दो–दो बीट में एक वन रक्षक को लगा दिया है, इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो बातें मैंने कहीं उन पर मैं उम्मीद करता हूँ, सरकार ध्यान देगी। मान्यवर, एक वन प्रदेश होने के नाते, वन अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय जनता के हक–हकूक में कमी आई है। सरकार को भारत सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि जो हमें ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त होती थी चारा प्राप्त होता है, वह अब हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए रसोई गैस में विशेष रूप से कम्पनसेशन मिलना चाहिए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री जंतवाल जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। वन की रक्षा के सन्दर्भ में सदन में बातें आई। मैं पूरे विषय पर नहीं बोलूँगा केवल एक ही विषय पर बोलूँगा। महोदय उत्तरांचल में वनों की रक्षा का दायित्व वन रक्षकों पर है। 2300 वन रक्षक दिनांक 26 से 30 नवम्बर तक आन्दोलित रहे, उसके पश्चात् माननीय मंत्री जी के साथ उनकी एक वार्ता हुई और उस वार्ता के माध्यम से कुछ समझौते हुए। मान्यवर, उस समझौते के आधार जिसका पत्रांक 1542/शिविर/01/10–90 निर्गत किया गया उसके बिन्दु संख्या–1 पर उल्लिखित किया गया कि जो वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक निलम्बित हैं, यदि वे दिनांक 2–1–2005 तक अपने कार्य पर वापस आ जाते हैं तो उन्हें निलम्बन की स्थिति से बहाल किया जायेगा तथा बिन्दु संख्या–2 पर उल्लिखित है कि जो वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति थे, यदि वे दिनांक 2–1–05 तक अपने कार्य पर उपस्थित हो जाते हैं, तो कार्य में अनुपस्थिति की अवधि 1 से उनका वेतन, अग्रिम वेतन के रूप में दे दिया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।

मान्यवर, उसके पश्चात् पुनः उन वन रक्षकों को प्रताड़ित करने की कार्यवाही पत्र संख्या 1685 शिविर/18/9/दिनांक 11 जनवरी, 2005 के द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। पत्र में उल्लिखित है कि निलम्बन की स्थिति से बहाल करने हेतु लिखा गया है न कि समस्त अनुशासनिक कार्यवाही भी समाप्त करने हेतु कहा गया है। अनुशासनिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी निलम्बन अवधि का वेतन पूर्ण/आंशिक रूप से अंतिम दिया जाए या नहीं इसका अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने पर ही जो निर्णय सक्षम अधिक होगा, उसके अनुसार होगा। आज कुछ वन रक्षकों को पूरा वेतन दिया जा रहा है, कुछ डिवीजनों में आधा वेतन दिया और कहीं पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, यह वन रक्षक पुनः आन्दोलित होने की स्थिति में हैं।

मान्यवरं, वन विभाग के विभिन्न सेवा संवर्गो के विभिन्न पदों पुनरीक्षित वेतनमान/व्यवस्था की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1173/दस–1–2004–435/200 के पैरा में लिखा है कि वन रक्षक सम्बन्धी प्रकरणों पर अलग से विचार किया जा रहा है। अतः वन रक्षकों को लागू वेतन व्यवस्था के अनुसार ही 14 वर्ष की सेवा पर तथा 24 वर्ष की सेवा पर का समयमान वेतन पूर्ववत् तक लागू रहेगा जब तक कि इस विषय पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है। महोदय इतना ही नहीं 20–22 वर्ष की संतोषप्रद सेवा करने के उपरान्त भी विभागीय प्रशिक्षण वन रक्षकों को नहीं दिया गया व बदले में समयमान, वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। मान्यवर, जिन वन रक्षकों द्वारा 14 वर्ष से अधिक समय वन रक्षक पद पर कार्य करते हुए हो गया है, उन्हें स्वतः ही प्रशिक्षित माना जाना चाहिए। मान्यवर, इसमें कार्यरत कर्मचारियों की गलती नहीं है। विभागीय अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। आज यह स्थिति पूरे प्रदेश के अन्दर बनी हुई है।

अल्टीमेटम. दे दिया है। मान्यवर, वन विभाग में जो मानचित्रक होते हैं, जिनका कार्य नक्शा बनाना होता है, उनकी भी एक समस्या है। मान्यवर, प्रदेश में सभी विभागों में जहां पर ये पद हैं, का वेतनमान बढ़ गया है, इनकी भी मांग है कि हमारा भी वेतनमान बढ़ा दिया जाय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इनकी बात को भी मान लिया जाय।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय डा0 नारायण सिंह जन्तवाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं और इस महत्वपूर्ण विभाग को जीवित रखने का कर्तव्य भी आपका बनता है।मान्यवर, मैं आंकड़ों और शब्दों के जाल में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं धरातल पर काम देखना पसंद करता हूँ। वनों की सुरक्षा कैसे हो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वनों की

सुरक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार से पैसा मिलता है, परन्तु वनों की पूरी सुरक्षा हम नहीं कर पाते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए यदि हम गांव वालों को रखें तो इससे ज्यादा सुरक्षा हो सकती है। इसके लिए एक नारा भी था "अपना गांव और अपना वन"। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक गांव वाले अपने-अपने क्षेत्र के वन को अपना वन समझें। यह भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है कि जो गांव के आस-पास खाली वन भूमि रहती है, वहां पर बन्नी नेपियर घास लगायें इससे यह होगा कि जब आग लगेगी तो गांव वाले अपनी घास को बुझाने के लिए आग को बुझायेंगे। दूसरा सुझाव यह है कि गांव के आस-पास के जंगलों में आंवला, हरड़, जामुन परिस्थितियों के अनुसार पौधे लगाकर एक बैल्ट बनायें, इससे गांव वाले इन पेड़ों की रक्षा करेंगे, इससे पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे। मान्यवर, मेरा एक सुझाव और है। वृक्षारोपण के तहत लगभग 50 करोड़ पेड़ रखे जाते हैं, मगर क्या वे पेड़ जीवित रहते हैं? इसलिए मेरा सुझाव है कि वृक्षारोपण करते समय आपको उसके बाद उनकी रक्षा करनी भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था करें जो पौधे लगाने हैं यदि पांच वर्षों तक रक्षा करें तो जंगल विकसित हो जायेंगे। यह भी सुझाव है कि वन को आरक्षित कर दिया जाय। जंगल के किसी विशेष भू-भाग को 5-10 वर्षों के लिए आरक्षित कर दें तो स्वयं जंगल विकसित हो जायेगा। मान्यवर, हर क्षेत्रों में जंगल को आरक्षित नहीं कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने पर समस्त जंगल हरा-भरा हो जायेगा।

मान्यवर, जड़ी-बूटी के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि माननीय उद्यान मंत्री जी मेरी बात को अन्यथा न लें। परन्तु जड़ी-बूटी विभाग को वन विभाग के अन्तर्गत होना चाहिए। क्योंकि निकासी वन विभाग द्वारा दिया जाता है तो उद्यान विभाग कहां से बीच में आ गया।

मान्यवर, मैं पिथौरागढ़ गया था वहां के कृषकों के खेत में रीठा है और रीठा का उचित मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, यह हकीकत है कि रीठे की बिक्री के लिए उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मान्यवर, आपने कहा मण्डी बना दी, तो जब तक वन विभाग मंजूरी नहीं देगा तो वह कैसे ले जायेगा। मान्यवर, मेरा कहना है कि जो कृषकों की जमीन में जड़ी-बूटी उत्पन्न होती है उसकी निकासी को सरल करें। बिचौलिए अगर उसको ले जाना चाहते हैं तो वह आसानी से निकासी बना लेता है, मगर कृषक को निकासी नहीं मिल पाती है। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जलाने की लकड़ी को डिपो जहां पर डिमाण्ड हो, खोल दें तो जब कृषक वहां से लेंगे तो अवैध पातन नहीं होगा। मान्यवर, उसी प्रकार से टिम्बर के लिए भी डिपो खोल दें जो हमारे यहां के लोग टिम्बर खरीद पायेंगे तो अच्छा होगा। मान्यवर, राष्ट्रीय पार्क और पशु विहार के इर्द-गिर्द जितने गांव हैं, मैंने भी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि जितने गांव हैं, मकान बनाना

चाहते हैं, बाथरूम बनाना चाहते हैं। जो नहीं बना पायेंगे। मान्यवर, मेरा कहना है कि या तो उन लोगों को सुव्यवस्थित स्थान में बसाया जाये, तब वे सही ढंग से रह सकेंगे, अपना मकान बना सकेंगे, अपना बाथरूम बना सकेंगे।

मान्यवर, मान लीजिए उन्हें दूसरी जगह बसाया नहीं जाता है तो उन्हें वहीं पर सुव्यवस्थित रहने की आज्ञा दी जाय। राजा जी नेशनल पार्क है, कार्बेट पार्क यहां पर इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। मान्यवर, इन जंगलों से हमको नुकसान भी होता है, एक तरफ बाघ या दूसरी तरफ आग इससे कैसे छुटकारा पायें, इसकी व्यवस्था करें। पहाड़ों में सुअर, हाथी भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी भी व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, यात्रा मार्गों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो रमणीक स्थल हैं उनको विकसित किया जाये, जो पर्यटक अपनी गाड़ी से जाते हैं वह उन स्थानों पर रूक पायेंगे। इसमें प्रगति होनी चाहिए। हमारा अधिकांश विकास वन अधिनियम के कारण रूका हुआ है इसमें सुधार होना चाहिए। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि टनकपुर, रामनगर, कोटद्वार और चिल्ला मार्ग ऐसा है जो कि कुमाऊँ और गढ़वाल की 200 कि0मी0 दूरी कम कर देता है, इस मार्ग को बनाने से जो अवैध शिकार होता है वह नहीं हो पायेगा, इस मार्ग का जनहित में निर्माण होना आवश्यक है। इसमें मैं सुझाव दूँगा कि इस मार्ग में कोई पातन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह मार्ग पहले से बना हुआ है यह मार्ग टनकपुर से लेकर रामनगर और चिल्ला तक बना हुआ है, इसमें कहीं नाला है तो कहीं पर पुलिया बनानी है कहीं पर गड्ढे भरने हैं। यह मार्ग उत्तरांचल के हित में है, इसका निर्माण किया जाये तो अच्छा होगा। मान्यवर, सत्य कड़वा होता है, मैं कहना चाहूँगा कि वन विभाग का ढाँचा आपने बड़ा बना दिया है। हमारे जो बीट गार्ड होते हैं उनकी संख्या बढ़ायी जाये। मान्यवर, एक बार एक डी0एफ0ओ0 ने कहा कि आप कहाँ थे तो बीट गार्ड ने कहा कि आप जंगल के टाप में थे और मैं घाटी में था, इसलिए मेरा सुझाव है कि छोटे-छोटे बीट होने चाहिए, छोटे-छोटे रेंज होने चाहिए, इससे आपका जंगल बचेगा। मान्यवर, चूरा है, लीसा है, रीठा है, इससे हमको फायदा होता है। यह रोजगार का साधन है, इसमें अरबों की सम्पत्ति जंगल में सड़ रही है। मान्यवर, मेरे 85 सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो 85 सुझाव बताये हैं उन्हें मंत्री जी को लिखित में दे दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो अरबों की सम्पत्ति जंगलों में है वह भूस्खलन से, बर्फ से, बाढ के आने से सड़ रही है।

मान्यवर, आप प्रत्येक डी0एफ0ओ0 को यह कह दें कि कितनी लकड़ी, कितने पेड़ गिरे हुए हैं, उसका दोहन करवा दें। मान्यवर, हो क्या रहा है जहां-जहां सड़क

के पास पेड़ गिरे हैं, वन निगम उनका चिरान तो कर रहा है लेकिन दूर-दराज के क्षेत्रों में जो पेड़ गिर गये हैं उन्हें कोई उठाता नहीं है, वे आज सड़ रहे हैं। एक सुझाव और है मान्यवर, जो कटान, चिरान हो रहा है। उसमें चिरान के रेट तो सही हैं, मगर ढुलान के रेट में यदि आप टेंडर करेंगे तो आपको कम रेट पड़ेगा। माननीय डा0 नारायण सिंह जंतवाल जी ने जो प्रस्ताव कटौती का रखा है, मैं उस पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

डा0 जंतवाल जी क्या आप अपना कटौती का ....

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, बहुत कठिन होता है, जब किसी का प्रेडीसिसर अपने अनुभव से वह सब कुछ बताता है जो वह नहीं कर पाया था। (हंसी)

मान्यवर, अगर मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के समस्त सुझावों को स्वीकार कर लूँ तो क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जब आपने कह ही दिया। (व्यवधान) यदि मेरे सुझाव पर आप काम करेंगे तो अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, विरोध मात्र विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। आपने बिन्दु दिये हैं, अगर मैं इनका सबकी प्रगति बता दूँ और उससे आप और मैं दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, तो कटौती का प्रस्ताव वापस होना चाहिए। आपने कहा जंगल में सड़ती हुए लकड़ी। मान्यवर, वन पंचायतों के माध्यम से इसके लिए आदेश दे दिये गये हैं कि जहां कहीं भी लकड़ी पड़ी हो तो वन पंचायतें इसे अवगत कराकर उसका डिस्पोजल कर दें। आपने बिन्दु उठाया बीट गार्ड का। इसकी जो व्यवस्था है, उसे हम सुदृढ़ करना चाहते हैं और इसमें यह व्यवस्था सुदृढ़ होगी और साथ-साथ बड़ी संख्या में लम्बे समय से जो दैनिक वेतन भोगी काम कर रहे हैं, उनको भी इसमें समाहित किया जायेगा। आपने टनकपुर-हल्द्वानी सड़क का जिक्र किया। इसके लिए हम इसी बजट में धन की व्यवस्था कर रहे हैं। बजट में इसका उल्लेख किया गया है। कोटद्वार-लालढांग मार्ग की आपने बात कही है, इसे भी पूरा कर दिया जायेगा। रामनगर-कोटद्वार मार्ग की आपने बात कही है। सर्वोच्च न्यायालय में वह मामला विचाराधीन है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सप्ताह का समय मांगा है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था उस समय आपने की थी, उसी को आधार

मानते हुए इस सड़क का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। ताकि जो नुकसान उस समय हो चुका है उसकी भरपाई हो सके।

वन अधिनियम के बारे में मैंने बार-बार कहा है कि इस योजना में जो लिखा-पढ़ी होती है उसकी जिम्मेदारी प्रस्तावक विभाग की है। प्रस्तावक विभाग यदि इसमें देरी करता है तो यह उसकी गलती मानी जायेगी। हमने इस तरह के किसी प्रस्ताव को नहीं रोका है। आपने यहां पर जिक्र किया जो वन विकास निगम के रूप में कार्य कर रहा है और इसके लिए हम स्थानीय ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उसमें यह यात्रा पर्यटक सुधार गृह भी शामिल है। इस दिशा में गंगोत्री में पार्किंग के लिए दो वन पंचायतों के साथ हमारी बात हुई और उसमें से एक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। यह बड़ी योजना थी। इसलिए यह मैंने आपको बताई है। श्रीमन्, जहां तक जलाने की लकड़ी की बात है तो उसके लिए डिपो बनाये जाने की बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं। यदि वन पंचायतें इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाती हैं (व्यवधान) वन पंचायतें तो हमारे कस्बों में होती ही हैं। यदि वन पंचायतें इसे अपने माध्यम से कराने को तैयार हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे।

माननीय सदस्य द्वारा जड़ी-बूटी के बारे में चिन्ता जताई गई तो उसका उत्पादन उद्यान विभाग ही करेगा और उसकी बिक्री सहकारिता विभाग ही करेगा। वन विभाग उसका सप्लायर रहेगा कि इन जड़ी-बूटियों को मंडी में लाने के लिए रवन्ना देने का कार्य वन विभाग का है, जिससे कि उस व्यापारी को मंडी में माल लाने में कोई परेशानी न हो, वो उसे आसानी से ला सके। मान्यवर, इसमें बहुत ही उत्साहवर्द्धक परिणाम हमारे सामने आये हैं। आज की तारीख में एक-डेढ़ साल में ही हमारे काम प्रारम्भ करने के बाद से 51 जड़ी-बूटियां इन मंडियों में आई हैं। पहले यह मात्र 6-7 तरह की ही थी लेकिन उत्साहवर्द्धक परिणाम के रूप में यह पहले वर्ष 14-15 की रही और इस वर्ष यह संख्या 51 की हो गई है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य त्रिफला और अन्य बूटियों की बात कर रहे थे, इसे बढ़ाने के लिए और रोजगार परक वृक्षारोपण के लिए आपने पिछले साल 10 करोड़ रुपया दिया था और इस वर्ष 20 करोड़ रुपया दे रहे हैं। यही नहीं इसके साथ ही पौष्टिक फलों आदि के वृक्षारोपण का कार्य भी इसमें सम्मिलित है।

मान्यवर, एक बात और आपके द्वारा कार्य के बारे में कही गई तो टॉप ए०आई०पी० का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है, फिर मिडिल ए०आई०पी० और फिर ग्राउंड ए०आई०पी० जिसमें घास आदि का कार्य होता है तो यह ग्राउंड ए०आई०पी० का कार्य वन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। वन विभाग टॉप पर कार्य करता है जिसमें देवदार, चीड़, साल आदि का कार्य होता है। इस कार्य को वन पंचायतों के माध्यम से कराने का प्रयास किया जायेगा। इससे जो शत-प्रतिशत

आमदनी होगी उसके लिए ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं। 30 प्रतिशत हिस्सा राजस्व का होगा और 70 प्रतिशत का अधिकारी वह आदमी होगा जिसके माध्यम से वह कार्य कराया जा रहा था। अभी माननीय सदस्य महेन्द्र भट्ट जी ने एक बात उठाई, अगर उन्हें पत्रांक पता है तो उसमें आगे क्या कार्यवाई हो रही है क्या चल रही है वह भी उन्हें पता ही होगा वैसे यह अंतिम स्तर में है।

मान्यवर, हमने वन रक्षकों को हथियार दे दिये हैं और बहुत भारी मात्रा में वह हथियार दिये गये हैं, अब हमने इसे आर्म्ड फोर्स बना दिया है हम निश्चित रूप से इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही प्रकरण में सरिस्का में सी0बी0आई0 को जाँच सौंपी कि वहां पर क्या हो रहा है इसकी जाँच सी0बी0आई0 करें। इसका जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारी आर्म्ड फोर्स है वह सारी की सारी हथियार लेकर घर चले जायें। आर्म्ड फोर्स में अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। जब ये ही लोग अपना काम छोड़कर घर चले जायेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस चीज का अन्दाजा सबको लगाना चाहिए। इसमें अनुशासन तो बहुत आवश्यक है ही।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय जंतवाल जी से पूछ लीजिए कि क्या वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, अन्यथा मैं उनके प्रश्नों का भी जवाब दे देता हूँ।

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि शहरी वृक्षारोपण की क्या स्थिति है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जिस प्रदेश की 65 प्रतिशत भूमि वन भूमि हो उस प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हमको उदार नीति अपनानी होगी। जहां तक शहरों में वृक्षारोपण की बात है, मान्यवर, नगर विकास के बारे में आप जितने चिन्तित हैं, उतना ही चिन्तित मैं भी हूँ। सड़कों के किनारे जो पेड़ हमारी शोभा हुआ करते थे, आज उन्हीं पेड़ों को काट कर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है यदि हम इस बारे में बैठकर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, चमोली जनपद में एक स्थान पांचरिया है, जहां से बद्रीनाथ और हेम कुण्ड साहब का रास्ता है, वहां पर जो वन विभाग का गेस्ट हाऊस है, इसमें मात्र 2 कमरे हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, नन्द प्रयाग में जो वन विभाग का गेस्ट हाऊस है, यदि आप एक बार उसमें रूक जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्या हालत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस तरह के जो गेस्ट हाऊस हैं, उनको हमने चयनित किया और इनमें से अधिकांश वन विश्राम गृह, जो खराब स्थिति में थे, उनको हमने पिछले साल ठीक कराया है। इस सम्बन्ध में हमने लोगों से योजनाएं भी मांगी हैं, अगर यह आंकलन पूरा हो जाएगा तो एक नई रोजगार परक योजना से जोड़ कर इनको ठीक कराएंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय जंतवाल जी से पूछ लिया जाय कि क्या वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, अन्यथा मंत्री जी उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले माननीय मंत्री जी उनके प्रश्नों के जवाब दे दें, यदि माननीय जंतवाल जी उनके उत्तरों से संतुष्ट हो जाएंगे तो कटौती प्रस्ताव वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही माननीय जंतवाल जी ने नियम 58 में एक सूचना लगायी थी, जिसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि प्रयोगात्मक स्तर पर तो यह अच्छी बात है, लेकिन सिद्धान्ततः जो जड़ी–बूटी की मंडियां स्थापित करने में व्यवहारिक कठिनाईयां आएगी, उनको भी सम्मिलित करते हुए नीति बनायी जाएगी, तो अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से भिज्ञ हैं कि जो लोग जड़ी–बूटी के विपणन का कार्य कर रहे हैं, चाहे हल्द्वानी की मण्डी की बात हो या रामनगर की, इन व्यापारियों की मोनोपॉली है। मान्यवर, जो काश्तकार अपनी निजी भूमि पर जड़ी–बूटी उगा कर अच्छी कीमत में बेच सकता था, आज उसको नीलामी करके जड़ी–बूटियां बेचनी पड़ रही हैं। इन लोगों ने नैक्सस बना लिया है। तेजपाती की जो कीमत पहले वन भूमि की उपज के रूप में मिलती थी, अब उसकी पचास फीसदी भी नहीं मिल रही है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इसका भी समाधान करने की कृपा करेंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहां तक काश्तकारों को क्या मूल्य मिलना चाहिए, इसकी बात है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक इसके विपणन का कार्य वन विभाग, भेषज संघ और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा हो रहा था। हमने प्रयास किया है कि इसको एक जगह कर सकें। मान्यवर, मण्डियों में कौन सी फसल कितने रुपये में बिकी इसकी पूरी जानकारी मेरे पास है, यदि आप कहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इससे रेट में कितना फर्क आया है, वह पता चल जाएगा। अभी तक हमें पता नहीं था कि कौन सी चीज कितने रुपये में बेची जा रही है। मण्डियों के माध्यम से बिक्री कराने से स्थानीय व्यापारियों का तो हित होगा ही, किसानों की भी समस्याओं का निदान हो जाएगा।

मान्यवर, हमें माननीय सदस्यों के सुझाव का लाभ मिलेगा और मिला भी है। हमारा कोई अड़ियल रवैया नहीं रहता है। मान्यवर, माननीय जंतवाल जी ने ईंधन की बात कही कि इसमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पिता का पुत्र हूँ जिसने पेट्रोलियम मंत्री के रूप में पूरे हिमालयी क्षेत्र में ईंधन पर सब्सिडी दी थी। ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी थी। उस वक्त हरिद्वार के बाद जब यह गैस सिलेण्डर उत्तरकाशी चमोली में पहुँचता था तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती थी, उस वक्त ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी उपलब्ध कराई थी। मान्यवर, उसके बाद तो बहुत पानी बह गया बाद के आने वाले लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, चीड़ के पत्तों से ईंधन की सुविधा प्राप्त हो सकती है, कुछ ने बताया कि कुछ खाद बनाई जा सकती है। मैंने उन एन०जी०ओ० जी से कहा कि आप बना कर लाइये। यहां पर दिखाईए यदि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो इस पर विचार करूंगा किन्तु बाद में वे लौटकर नहीं आए। मान्यवर, पिरूल से कोयला बनाने की बात भी यहाँ पर माननीय सदस्यों ने बतायी किन्तु पिरूल से कोयला बनाने की प्रक्रिया है उससे विभाग तथा मैं स्वयं भी संतुष्ट नहीं हुआ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने कोयला बनाया था।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वह कोयला बिका नहीं। एक तो उसके बनाने में जो कम्पोनेंट एड किये जाते हैं वह लोकल मिलते नहीं हैं। मान्यवर, आज वनों के द्वारा बहुत से नौजवानों को रोजगार दिया गया है। आज 70 प्रतिशत लोगों को वनों पर आधारित रोजगार दिया जा रहा है। मान्यवर, जहां तक फारेस्ट कवर की बात है, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जल विद्युत निगम के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में जी०आई०एस० मैप बनाने पर विचार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने साथियों के सुझावों का हमेशा आभारी रहा हूँ और उनके द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप काम करने की पूरी कोशिश करूंगा।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं किन्तु फिर भी अब तक हुई प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2832554 हजार (दो सौ तिरासी करोड़ पच्चीस लाख चौवन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2994401 हजार (दो सौ निन्यानबे करोड़ चवालीस लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इस मद में तीन विभाग शामिल हैं। एक सामान्य प्रशासन है इसमें दो छोटी–छोटी मदें हैं। जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र की व्यवस्था है उनको सम्मानित करने के लिए कुछ धनराशि देने का प्राविधान है। मान्यवर, वर्तमान वर्ष (वित्तीय) में एक लाख तीस हजार आठ सौ का आवंटन किया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक नया प्रयोजन किया है, आई०एम०ए० के प्रतिभावान कैडिट को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार शौर्य सैन्य अकादमी देहरादून गौरव ऑफ ट्राफी देने का प्रस्ताव है। 50 हजार की व्यवस्था सरकार के आय–व्ययक में है। मान्यवर, इस ट्राफी की स्वीकृति सैन्य मुख्यालय से अपेक्षित है। दूसरा बिन्दु राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, मान्यवर, यदि पढ़ा हुआ मान लिया जाय तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, राजस्व, किसी भी प्रदेश का राजस्व एकत्रित करने का प्रमुख साधन है। मान्यवर, यहां पर आज और पहले भी पटवारी की स्थिति के बारे में व्यापक चर्चा

हुई। उत्तरांचल में सम्पूर्ण राजस्व का लेखाजोखा का दायित्व पटवारी का काम है। मान्यवर, जब मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उसमें एक बात आयी कि हमने सभी तहसीलों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया है। मान्यवर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज तक पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि सम्बन्धी अभिलेख अभी तक कम्प्यूटर में दर्ज नहीं है। मान्यवर, 39 नई तहसीलों और 6 उप तहसीलों में कर्मचारी नहीं हैं। मान्यवर, वहां पर न तो तहसीलदार हैं, न नायब तहसीलदार हैं, न कानूनगो हैं और न ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। तहसीलों का ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है।

मान्यवर, उत्तरांचल का जो महत्वपूर्ण विभाग है उसकी स्थिति दयनीय है मान्यवर, पहली बार देखा जिन चौकियों का आदेश दिया वह चौकिया आज तक नहीं बनीं। मान्यवर, पटवारी चौकियों में नहीं रहता है, जहां चौकियां हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है उस दिशा में विभाग ने ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, राजस्व वादों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, 19 जनपदों, 6 मण्डल, 241 उच्च न्यायालय, 99 उच्चतम न्यायालय में वाद निलम्बित हैं। मान्यवर, सरकार द्वारा वादों के निलम्बन के लिए इस दिशा में पहल होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। मान्यवर, स्वैच्छिक चकबन्दी के विषय में आपने एक कमेटी बना दी और उसमें राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया, वह लाल बत्ती में घूम रहा है, लेकिन उसमें कोई चर्चा प्रारम्भ नहीं हुई है।

मान्यवर, उत्तरांचल में अवैध भूमि क्रय का खुलेआम कार्य हो रहा है। मान्यवर, ऋषिकेश के खदरी खड़कमाफ श्यामपुर में अवैध रूप से विगत कई वर्षों से भूमि की खरीद–फरोख्त एवं अवैध निर्माण का कार्य शासन प्रशासन की जानकारी के बाद भी सतत चलता आ रहा हैं मान्यवर, भूमि संख्या 19/1/3 नया नम्बर 509–505–506–507–508 जिसका कुल रकबा 1.0377 हेक्टेयर है। माननीय न्यायालय ने इस भूमि को चिन्हीकरण न होने से उक्त भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे। मान्यवर, माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुये कुछ प्रभावी लोग इस भूमि को आज भी खरीद बेच रहे हैं। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार की अवैध भूमि पर निश्चित रूप से कोई निर्णय लेंगे और जितने भी खरीद–फरोख्त के मामले हुये हैं उसकी जाँच करायेंगे। मान्यवर, अनेकों गांव राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, जैसे बापू ग्राम का मामला है, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का विषय है, वहां अनेकों लोग रह रहे हैं, वहां मांग चल रही है कि उसे राजस्व ग्राम घोषित करें, इसके लिए आपकी ओर से क्या प्रयास चल रहे हैं? मान्यवर, 299 करोड़ 44 लाख एक हजार रुपये की जो मांग की है, अगर आप पटवारियों की स्थिति, तहसीलों की स्थिति, अभिलेखों को ठीक प्रकार से रख–रखाव की स्थिति पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बजट की आवश्यकता है, वरना एक रुपया भी अधिक है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सूचना देता हूँ, कि डीडीहाट को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आन्दोलन चल रहा है और वह आन्दोलन सर्वदलीय है। मान्यवर, हमारे वरिष्ठ नेता श्री जीत सिंह बोरा जी आमरण अनशन पर बैठे हैं उनकी हालत नाजुक है, हमने अपने महामंत्री श्री हरीश पाठक जी को स्थिति का जायजा लेने को वहां भेजा है और कहा है कि आप शाम तक रिपोर्ट दें। मान्यवर, डीडीहाट को जिला बनाने में क्या हो रहा है, क्यों आन्दोलन हो रहा है और सरकार कब तक निर्णय लेगी, मा० मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इसका जवाब दें।

मान्यवर, आज जो सुबह प्रकरण आया था नियम 56 में कि प्रदेश के गांवों को राजस्व विभाग से हटाकर पुलिस विभाग के सुपुर्द किये जाने की प्रकिया चल रही है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, भले ही आकड़े कुछ भी रखे हों। मेरा कहना है कि राजस्व क्षेत्रों को पुलिस क्षेत्रों में किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, नरेन्द्र नगर के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने सिफारिश भी की थी, सरकार इस पर विचार करे।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल बहुत बड़ा जनपद है। कई वर्षों से अलग जिला बनाये जाने की मांग वहां की जनता कर रही है। पिछले साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि अलग जिला बनाया जायेगा, अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया है, वहां पर शीघ्र जिला बनाया जाय। मान्यवर, पौड़ी जिले में पटवारी क्षेत्रों की संख्या 234 है, लेकिन उनमें से इस समय 75 पटवारी क्षेत्रों का निर्माण हो पाया है। मेरा सुझाव है कि पटवारी क्षेत्रों को शीघ्र बनाया जाये।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, रानीखेत को जिला बनाये जाने की बात उत्तर प्रदेश के समय में भी हुई थी। उ०प्र० राजस्व परिषद में भी इस पर विचार हुआ था। अभी परिसीमन चल रहा है। जिला बनाये जाने में रानीखेत का नाम भी सम्मिलित करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, पाली पछाऊँ को भी जिला बनाया जाये। जिसमें द्वाराहाट रानीखेत गिकियासैंण सल्ट क्षेत्र को शामिल किया जाय।

*श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री महेन्द्र प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसमें मुख्य रूप से 11 बिन्दु राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ीकरण के हैं, नव सृजित भवनों के लिए 9 करोड़ रुपया, पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपया, कलेक्ट्रेट के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये, आपदा राहत हेतु 95 करोड़ रुपये, आपदा रखरखाव हेतु 100 करोड़ रुपये, इन पर कटौती प्रस्ताव पर बल देने हेतु मैं अपनी बात रख रहा हूँ। राजस्व विभाग की विभागीय संरचना का जो इस पुस्तिका में ब्यौरा दिया गया है, वह नव सृजित तहसीलें हैं। इन भवनों का निर्माण हेतु पैसे की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, उत्तरांचल में बहुत सारी तहसीलों में जो व्यवस्थायें हैं, वह कानूनगो देख रहा है। कहीं पर भी रजिस्टर क्लर्क नहीं है। कानूनगो ही सब देख रहा है। मान्यवर, उत्तरांचल में 75 तहसीलों में 48 पद सृजित हैं जिनमें से मात्र 15 कार्यरत हैं। मान्यवर, इसलिए मैं इसमें कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए अपनी बात कह रहा हूँ।

उत्तरांचल में जो पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तरांचल की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले वहां कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु भी पैसे की व्यवस्था की गयी है। आज नियम 58 में एक प्रकरण पर चर्चा हो रही थी राजस्व पुलिस के बारे में और सरकार ने उसका जवाब दिया कि यह माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मान्यवर, मेरे जनपद के जिलाधिकारी ने पत्र भेजा कि सरकार ने इसमें अपना मन बनाया है कि पक्की सड़कों के दायें और बायें दोनों ओर 5–5 किलोमीटर का क्षेत्र रेग्यूलर पुलिस को दे दिया जाये। आप कृपया इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दें। मान्यवर, यदि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सरकार ने इसे रेग्यूलर पुलिस को देने का मन कैसे बना लिया। मान्यवर, शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के अधीन उत्तरांचल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही थी तो उसे समाप्त करने का निर्णय सरकार ने क्यों किया? अब सरकार कह रही है कि हम राजस्व पुलिस का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार का भी और पूर्व सरकारों को भी यह प्रयास रहा है कि उत्तरांचल में सड़कों का जाल बिछाया जाये।

मान्यवर, आज उत्तरांचल में कोई ऐसा भू–भाग नहीं है जहां 2–3 किलोमीटर में कोई पक्की सड़क न हो। इसका मतलब तो यह हुआ कि सारे प्रदेश को रेग्यूलर पुलिस को सौंप दिया जायेगा। जिस पटवारी के रहने के लिए आप चौकी बना रहे हैं, श्मशान घाट के ऊपर चौकियां बना दी हैं।

नोट– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय आपदा प्रबन्धन का है। आपदा राहत कोष के लिए 95 करोड़ रुपये और आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पेयजल योजनाओं, स्कूल, भवनों आदि के मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, यह जो 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है इसका दुरूपयोग हो रहा है। मात्र अपने लोगों को खुश करने के लिए इस मद से खड़ंजा, सड़क, नाली आदि का निर्माण कराया जा रहा है। अभी 5–6 महीने पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 6 लोग घायल हुए तथा 12 लोगों की मृत्यु हो गयी थी और मान्यवर, इस दुर्घटना का कारण सड़क का टूटी होना था। यह सड़क और भी कई जगहों पर टूटी हुई है। जिलाधिकारी के माध्यम से एक पत्र आया कि माननीय प्रभारी मंत्री जी ने चाहा है कि जो 1 करोड़ 20 लाख की धनराशि आवंटित है तो आपके क्षेत्र में आपदा से जो सड़कें आदि टूटी हों उनकी सूची उपलब्ध करा दें। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा था और कहा कि यदि आपदा प्रबन्धन के पैसे का सही ढंग से उपयोग करना है तो अल्मोड़ा में अब तक इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जो भी 1 करोड़ 20 लाख का यह पैसा है इसे इस सड़क के रख रखाव के लिए दिया जाना चाहिए। अगर पूरा पैसा मिलता है तो जो दैवीय आपदा से त्रस्त लोगों को राहत देने वाली बात है तो इससे बड़ी राहत नहीं हो सकती है। मैंने अनुरोध किया था मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कें दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको बना देना चाहिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी कभी दुःख होता है। जहां एक ओर आपदा प्रबन्धन विभाग राज्य की क्षति ग्रस्त परिसम्पत्तियों के रख रखाव की बात करता है वहीं दूसरी ओर सड़क जैसी चीज नहीं बनती हैं। मान्यवर, आज इस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि आज भी सचिवालय में लोग भीड़ लगाकर लाइन में खड़े हैं और 10 प्रतिशत एडवांस में लेकर उन्हें काम दिये जा रहे हैं। यह मेरा खुला आरोप है इसकी जांच करा ली जाय। यदि कहीं जांच में मेरी बात सत्य नहीं पाई गई तो सदन जो भी दंड देगा उसके लिए मैं तैयार हूं।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बनाने की मांग इसलिए नहीं उठाई गई थी कि जैसा वह उत्तर प्रदेश में था वैसा ही रहे, यहां के लोगों का विकास हो ऐसी कल्पना से यह राज्य बना है। यह नहीं कि इस राज्य में जो पैसा आये उसका खुला दुरूपयोग हो। मान्यवर, मेरे जनपद अल्मोड़ा में आज भी 80 प्रतिशत क्षेत्र राजस्व का है, मात्र शहर को छोड़ दिया जाय तो पूरा जनपद राजस्व पुलिस के ही अन्तर्गत आता है। जब से जिलाधिकारी का यह पत्र मुझे मिला मैं इसे लेकर गांव–गांव घूमा लेकिन हर गांव से यही बात आई कि हमारे गांव में पुलिस नहीं आनी चाहिए, हम राजस्व पुलिस से खुश हैं और राजस्व पुलिस हमारी सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रही है। मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय महेन्द्र भट्ट जी ने रखा है उस पर बल देता हूं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो 29 नई तहसीलें और 6 उप तहसीलें बनाई गई हैं वहां पर आज भवन नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं, सक्षम अधिकारी नहीं हैं। इसकी व्यवस्था सरकार को शीघ्र करनी होगी ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके और इन नई तहसीलों और उप तहसीलों का फायदा वहां के आदमी, आम आदमी उठा सकें इस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जनपदों में जो डी०एम० के और एस०डी० एम० के स्टेनो होते हैं, वे अकेले ही सारा काम करते हैं। अभी कल ही उनकी हड़ताल खत्म हुई है तब तक ये लोग अकेले ही काम कर रहे थे, लेकिन उनको पदोन्नति नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि उनका पदनाम ही ऐसा है जिसके लिए उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती है। तो मान्यवर, सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुये उनके पदनाम परिवर्तित कर उन्हें पदोन्नत करने की प्रक्रिया की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें आप काफी बोल चुके हैं, समाप्त करें।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, सरकार द्वारा जो चकबंदी की व्यवस्था की है जो 18 साल से बन्द पड़ी थी खटीमा तहसील में जो दाखिल खारिज नहीं हो पा रही थी वह खारिज हो रही हैं इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इसके लिए इस एक्ट में जो धारा 8 ए जोड़ी गई है उसमें लिखा गया है कि विवाद दाखिल खारिज होंगे, जो व्यवस्थायें आज की जा रही हैं उससे 5 से 10 प्रतिशत तक के दाखिल खारिज हो जायेंगे यह पूरी तरह से खत्म होने चाहिए। मेरा आग्रह है कि इसे खत्म करने के लिए और अच्छे प्रयास सरकार करें। मान्यवर, दूसरी बात और सामने आई है जो वहां पर खसरा खतौनी रखे गये हैं आज उनकी हालत यह हो गई है कि वह हाथ लगाते ही फट जाते हैं। वे कागज गल चुके हैं उनमें कोई काम ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी व्यवस्था हो जिससे वे कागज सुरक्षित रहें और दाखिल खारिज अच्छे तरीके से हों। विवादग्रस्त जो मामले हैं ऐसे मामलों की संख्या खटीमा में बहुत अधिक है, इन्हें जल्द खत्म कराने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाय, ऐसा मेरा आग्रह है।

मान्यवर, इसके अलावा जो खटीमा का तहसील भवन है वह बहुत पुराना है वह ब्रिटिश टाइम से है। 1923, पता नहीं उससे पहले भी 1918 का है शायद, वह आज खंडहर हो चुका है।

मान्यवर, वहां पर स्टॉफ के बैठने के लिए तथा तहसीलदार के बैठने के लिए जगह नहीं है। स्टॉफ के रेजीडेंस भी खण्डहर बन गए हैं। इसके लिए 25 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है लेकिन वह अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी भी उपस्थित हैं। मान्यवर, वहां पर 1200 एकड़ का राजकीय कृषि फार्म है, जिसमें से 46 एकड़ भूमि ज्यूडिशियरी के लिए दी गयी है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर तहसील के लिए भूमि देकर भवन का निर्माण कराया जाय। मैंने पूर्व में माननीय कृषि मंत्री जी से भी आग्रह किया था, राजस्व मंत्री जी से भी आग्रह कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूँ, मान्यवर, खटीमा को जिला बनाने के लिए वहां पर वर्षों से आन्दोलन चल रहा है। मान्यवर, खटीमा सीमान्त क्षेत्र है, इसको अवश्य जिला बनाया जाना चाहिए। अन्त में मैं आपदा प्रबन्धन के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां विगत 26 नवम्बर को जबरदस्त बारिश हुई थी, जिसके कारण एक पुल टूट गया था, वह आज तक नहीं बन पाया है। वहां पर आज गाड़ी नहीं चल पा रही है। यदि उस पुल को जल्दी बना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि चकबन्दी अधिनियम की धारा 4-2 और 4-क के तहत 20 साल पहले जो गजट हुआ था, वह किस कारण से दोबारा गजट कर दिया गया है। जिन गांवों का गजट पहले हुआ था फिर से उन्हीं गांवों का गजट हो गया है। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अब सारे अभिलेख राजस्व से चकबन्दी विभाग में पहुंच गए हैं। पहला गजट हुए 20 साल हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कौशिक जी, यह बात आ चुकी है, कोई और बात कहनी हो तो कहें।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, दोनों बातें अलग हैं। मान्यवर, यदि कोई अपनी जमीन बेचना चाहता है, तो चूंकि अभिलेख राजस्व से चकबन्दी में चले गये हैं, इसलिए दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। 20 साल से यह चकबन्दी में आया था, अब फिर से गजट कर दिया है। पहले कहा था कि इसके लिए ग्राम सभाओं से प्रस्ताव लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मान्यवर, जहां पर 20 साल से चकबन्दी हो रही है, वहां पर इसे बन्द कर दिया जाना चाहिए। यदि यह अभी भी जारी रहेगी तो इससे बहुत नुकसान होगा। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इसका उत्तर अवश्य दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र टिहरी के बारे में कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य श्री फूल सिंह बिष्ट जी का भी यह क्षेत्र है। टिहरी जनपद के लोगों ने सबसे बड़ी कुर्बानी इस देश और प्रदेश के हित में की है। हमारे यहां प्रताप नगर का क्षेत्र है। मान्यवर, अक्टूबर माह में टिहरी बांध में पानी भरना शुरू हो जाएगा, यह जानकारी टिहरी विकास प्राधिकरण ने भी दी है और शासन ने भी यह जानकारी दी है। बहुत जल्दी प्रताप नगर एक टापू बन जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि इस प्रदेश में किसी नये जिले का सृजन होता है तो सबसे पहले प्रताप नगर को जिला बनाया जाना चाहिए।

मान्यवर, छोटा राज्य है। छोटी–छोटी प्रशासनिक इकाईयां होनी चाहिए। दूसरा चकराता को भी तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी यह आपका प्रस्ताव रख रहे हैं। आप उनसे सहमत हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, प्रीतम सिंह जी भी सहमत हैं, और माननीय फूल सिंह जी भी सहमत हैं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनपद हरिद्वार के लक्सर विधान सभा क्षेत्र में खानपुर ब्लॉक क्षेत्र पड़ता है। यह अब उत्तरांचल का हिस्सा है, पहले यह मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के हिस्से में था। मान्यवर, उत्तरांचल बनने के बाद जो राजस्व अभिलेख थे, चकबंदी से सम्बन्धित उसमें से लक्सर ब्लॉक के तो यहां आ गये, किन्तु खानपुर के चकबंदी से सम्बन्धित विवाद आज भी मुजफ्फरनगर में सुने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आशा करता हूँ कि शासन इसका संज्ञान लेकर वहां के चकबन्दी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उत्तरांचल राज्य में मंगवाने की कोशिश करेगा।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ऊखीमठ में 1960 में निर्मित तहसील की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। वहां पर आवासीय भवन भी उसी समय का बना हुआ है, किन्तु उसके बाद जो वहां पर दैवीय आपदा आई उसकी मार वहां के लोगों को झेलनी पड़ी। बजट में उसके रिपेयर/निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं

की गई है। मान्यवर, बजट में उसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए। वह भवन कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, भवन बहुत ही जर्जर हालत में है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महेन्द्र भट्ट जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व मंत्री जी द्वारा बजट भाषण की जो पुस्तिका वितरित की उसको मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसमें कुछ बातें अच्छी भी लगीं। परन्तु तहसीलों में आज बहुत ही भ्रष्टाचार की स्थिति है। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई न कोई प्रयास किये जाने चाहिए। मान्यवर, गदरपुर में 1995 में तहसील भवन किराये के मकान पर चल रहा है। यह भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। मकान का मालिक उस तहसील भवन को खाली करने की मांग कर रहा है। उस भवन के एक–दो कमरे बन्द भी कर दिये गये हैं, जबकि बगल के क्षेत्र चकरपुर में एक तहसील आराम से बन सकती है। उस भवन में कभी भी कर्मचारियों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने 311 में नोटिस दी थी। तो आपने कहा था कि राजस्व विभाग की चर्चा के दौरान अपनी बात को रख लीजियेगा। मान्यवर, तहसील गदरपुर को बाजपुर परगना के साथ जोड़ा जा रहा है। जिसका विरोध गदरपुर के समस्त लोग कर रहे हैं।

मान्यवर, यदि जिला ऊधमसिंह नगर के तहसील गदरपुर को परगना बाजपुर में सम्मिलित किया जायेगा तो क्षेत्र की जनता को इससे काफी असुविधा होगी। क्षेत्र में इस मामले को लेकर आन्दोलन है। मान्यवर, इसी कारण गदरपुर मार्केट को बन्द भी किया गया, यह क्षेत्र की जनता की आन्दोलन की शुरूआत है। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है, इसे न बदला जाय।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, जिले बंट रहे हैं। उत्तरकाशी को भी बांटने का कार्य हो रहा है। मान्यवर, उत्तरकाशी सबसे बड़ा जिला है। मान्यवर, उत्तरकाशी दो भाग में बंटता है राड़ी और पुरोला। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जब भी नया जिला बने तो राड़ी को जिला बनाया जाय। दूसरा निवेदन है कि उत्तरांचल में सबसे बड़ी तहसील पुरोला है, इस तहसील की रिपेयरिंग होनी चाहिए, वर्तमान में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मान्यवर, मोहरी तहसील का सृजन किया गया है वहां पर पद भरे जाने चाहिए ऐसा मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं अपने विद्वान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो सबसे प्रमुख बात यहां पर आयी वह माननीय महेन्द्र भट्ट जी द्वारा रखी गयी। मान्यवर,

जहां तक मैं उनकी बात को समझा पहले उन राजस्व गांवों को बागो खत्तों के रूप से जानते थे, बाद में जिले में चले गये। मान्यवर, जनवरी 2004 में उत्तरांचल राज्य ने यह प्रस्ताव भेजा था कि जो वन का क्षेत्र है इस तरह के गांवों को राजस्व गांवों का दर्जा दे दिया जाय और केन्द्र सरकार ने एक घोषणा फरवरी में की जब उन्होंने मध्य प्रदेश के बहुत सारे आदिवासी जगहों को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अपने संज्ञान में ले लिया। मान्यवर, हम प्रस्ताव भेज चुके हैं, यह जानकारी में रहे, यह सही है। मान्यवर, जहां तक खदरी खड़कमाफी श्यामपुर का सवाल है भूमि संख्या 505 से 509 तक इसकी जो जानकारी माननीय सदस्य के पास है, जिसकी जानकारी माननीय सदस्य ने दी है। मैं इस प्रकरण पर सी०बी०सी०आई०डी० की जांच की घोषणा करता हूं। मान्यवर, आज आदरणीय हरक सिंह जी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि तीन जिले हमने ही बनाये थे, जिसमें हमें बहुजन समाज पार्टी का सहयोग मिला था। मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन लागू है इसके बाद ही इन प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन का कोई आदेश बाध्यकारी नहीं है। मान्यवर, परिसीमन आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि जब तक डिलिमिटेशन पूरा नहीं होता, आप नई इकाई बनाने से यथा सम्भव बचें। सरकार चाहे तो तुरन्त डीडीहाट को जिला घोषित कर सकती है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अभी माननीय भट्ट जी ने भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की बात कही तो भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण जून 2005 तक पूर्ण करने की योजना है। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा सभी तहसीलों के लिए धनराशि तहसीलों के स्टॉफ की स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं। मान्यवर, 452 पद सृजित हो चुके हैं। मान्यवर, स्वैच्छिक चकबन्दी प्रक्रिया की बात आई तो स्वैच्छिक चकबन्दी प्रक्रिया हेतु भूमि सुधार परिषद् का गठन कर दिया गया है तथा जनपद अल्मोड़ा व जनपद पौड़ी में 2–2 ग्रामों को नमूने के तौर पर स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु लिया जा रहा है। हमारे भूमि सुधार परिषद् में किस प्रकार की व्यवस्था बनती है, इस बात का अध्ययन किया जा रहा है। मान्यवर, माननीय कैलाश जी ने नायब तहसीलदारों के पदों की बात की तो लोक सेवा आयोग से 50 नए नायब तहसीलदार पदों पर भर्ती की जा रही है। लोक सेवा आयोग के द्वारा जल्द ही नायब तहसीलदारों का चयन कर दिया जायेगा। मान्यवर, जहां तक राजस्व पुलिस क्षेत्र को रेग्यूलर पुलिस को सौंपने का कोई सामान्य निर्णय नहीं हुआ है। मान्यवर, राजस्व पुलिस के क्षेत्र में सुबह चर्चा हो चुकी है। मान्यवर, आपदा प्रबन्धन के बारे में गम्भीर चीज श्री कैलाश शर्मा जी ने कही,

अगर उसकी जानकारी उपलब्ध करायेंगे तो जो कार्यवाही हो सकेगी जांच के बाद तो हम निश्चित रूप से करेंगे। मान्यवर, एक चीज की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शासन द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश दिये गये थे, शासनादेश में भी था कि आपदा प्रबन्धन की धनराशि को विधायकवार आवंटन न किया जाए, और योजनाओं के आधार पर हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, वैसे शासन स्तर से यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं। आपदा प्रबन्धन की धनराशि को केवल वर्तमान परिस्थितियों के लिए किया जाता है। यदि नए कार्य प्रस्तावित हों तो उन्हें निरस्त करने के निर्देश डी०एम० को दिये गये हैं।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह डी०एम० हरिद्वार को दिया है या शासन के द्वारा कराया गया है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, शासन के द्वारा किया गया है। मान्यवर, अभिलेखों की रक्षा की आवश्यकता है तो उनका निश्चित रूप से ध्यान रखा जायेगा। मान्यवर, चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अविवादित दाखिल खारिज की व्यवस्था अधिनियम में संशोधन द्वारा कर दी गयी है। माननीय मदन जी ने हरिद्वार की ओर ध्यान आकर्षित किया तो मैं इस प्रकरण को दिखवा लूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वहां दाखिल खारिज कैसे होगा?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कहा कि जो अविभाजित है, उसकी व्यवस्था कर दें। इसके आदेश जारी हो चुके हैं। माननीय कुँवर जी ने खानपुर ब्लॉक क्षेत्र की बात की तो उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को लिखा जा चुका है। शीघ्र ही अभिलेख प्राप्त कर लिया जायेगा।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, खटीमा तहसील के लिए 25 लाख, पिछले बजट में था।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो जूडीशियरी के लिए पैसा दिया है। हमने मात्र 20 बीघा जमीन दी है, आप कहीं अलग–अलग वन भूमि देख लें।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, हर सदस्य जमीन के लिए कह रहा है, इससे यह स्थिति आ जायेगी कि कहीं कृषि के लिए जमीन नहीं मिलेगी।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, अब रोड बन गई है, पानी भरा हुआ है, जहां पानी भर जाता है उसी को दे दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपने कहा जो आपदा प्रबन्ध को जो पैसा गया है, वह विधायकों में नहीं बंटना चाहिए। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो वर्ष 2004–05 के लिए जो बजटेड किया गया है वह आपदा प्रबन्धन में गया है, इस हेतु मंत्री मण्डल की मीटिंग में कुछ लड़ाई चली या नहीं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आपदा प्रबन्ध का प्रयोग आपदा प्रबन्धन में किया जायेगा। विधायक लड़ते नहीं हैं, आपस में बांट लेते हैं। प्रेमानन्द जी ने जो सवाल किया था उसके लिए पूरी जानकारी प्राप्त की है इसमें उप तहसील की स्थिति बहुत कम है, दो–दो तहसीलों को जोड़कर उनमें एक उप जिलाधिकारी काम देख रहा है। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें सदस्यों का सुझाव और सहयोग अपेक्षित है और इस बजट को पास करने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

श्री अध्यक्ष–

श्री महेन्द्र भट्ट जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, इसमें कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं आया है। हमारे सारे प्रकरण राजस्व और वन विभाग से हैं। मान्यवर, पोखरी में तहसील भवन का निर्माण वन भूमि के कारण रुका हुआ है। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रस्ताव की स्थिति ज्ञात कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2994491 हजार (दो सौ निन्यानबे करोड़ चवालीस लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई")–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1483717 हजार (एक सौ अड़तालीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग के बारे में बड़े–बड़े दावे किये गये हैं किताबों में। ऐसा लगता है कि जैसे विभाग ने सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिये हों लेकिन जब हम वास्तव में इसे देखते हैं तो पाते हैं बड़ी–बड़ी रंगीन किताबें तो बहुत अच्छी हैं, इसमें आंकड़े भी अच्छे दिये गये हैं लेकिन जब ठीक तरह से इनका हम अध्ययन करते हैं तो इसमें बहुत सी कमियां भी पाते हैं। (व्यवधान) आप भी सुन लें आप भी तो यहां के विधायक हैं।

श्री अध्यक्ष–

मानीय राणा जी कृपया शान्त रहें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ये जो किताबें हैं कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका 2004–05, प्रगति प्रतिवेदन 2004–05 एवं कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका तथा "सपना हुआ साकार।" मैं इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें उत्तरांचल को जैविक कृषि प्रदेश बनाने की बात कही गयी है। मान्यवर, इसमें शत–प्रतिशत कई आंकड़ें गलत दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने या तो इसे अच्छी तरह से पढ़ा नहीं या फिर वह कि कोई इसे गौर से पढ़ेगा नहीं, यह सोचकर ये पुस्तकें छपा दी गयी हैं। इस पुस्तक में लिखा है कि राज्य की पहली निर्वाचित सरकार ने भूमि सुधार परिषद का गठन किया है। जब माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे तो बताएंगे कि क्या गठन किया है? मेरी तो जानकारी है कि इसका गठन हुआ ही नहीं है और यदि इसका गठन हुआ भी है तो वह कहां है? उसका अध्यक्ष कौन है? आगे इसमें कहा गया है कि कृषकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कृषक मित्र परिषद् का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष भी यहीं इसी सदन में होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अभी तक कोई भी मीटिंग कृषक मित्र परिषद् की हुई है? यह कोई उत्तर प्रदेश की तरह बहुत बड़ा प्रदेश तो है नहीं कि इसका पता ही न चलता। हमारा तो 13 जिलों का प्रदेश है। इसकी कितनी मीटिंग हुई और उससे क्या–क्या लाभ कृषकों को हुआ है? मा0 मंत्री जी इसे बताने का कष्ट करें।

मान्यवर, यह तो मैंने केवल उदाहरण के लिए बताया है। राज्य में उच्च गुणवत्ता के बीजों की एक प्रयोगशाला रूद्रपुर में एवं एक श्रीनगर में स्थापित की गयी है। मान्यवर, यह सफेद झूठ है। यह रूद्रपुर में तो हो सकती है लेकिन श्रीनगर में यह प्रयोगशाला नहीं खोली गयी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसकी इन्क्वाइरी करा ली जाये। तो इस तरह से गलत आंकड़े देना ठीक नहीं है, यह गलती है या फिर माननीय मंत्री जी ने यह सोच लिया कि बजट साहित्य को कोई पढ़ेगा नहीं? आखिर यह गलती हुई क्यों, इसे आपको देखना चाहिए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त 2–3 चीजें और आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 25 पर लिखा गया है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन तथा ट्राइबल सब प्लॉन के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का लक्ष्य कृषि विविधीकरण योजना से दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब 31 मार्च, 2004 को कृषि विविधीकरण योजना बन्द कर दी गई तो इसका लाभ आप अब कैसे दे पायेंगे? ऐसी ही कई और छोटी–छोटी बातें हैं। इसमें कहा

गया कि बीजोत्पादन किया जायेगा तथा अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों को दिया जा रहा है। लेकिन मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी में है कि उत्तरांचल बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सीमान्त तथा लघु कृषकों को निरोग, शोधित एवं शुद्ध बीजों को उपलब्ध कराने के बजाय रोगग्रस्त बीज, लोकल अनाज खरीद कर गुप्त ढंग से नकली टैग बोरों पर चस्पा करके बेचे जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं शत–प्रतिशत सुनिश्चित बात यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि जब बजट पर चर्चा होती है तो उसका आधार यह होता है कि विपक्ष सरकार को अटेंशन करे, सचेत करे, यह विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है तथा जो भी सुझाव यहां पर विपक्ष द्वारा दिये जाते हैं उन्हें मंत्री जी को सम्मिलित भी कर लेना चाहिए। इसीलिए यहां पर माननीय सदन में सार्थक चर्चा की जाती है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके विभाग में यह क्या हो रहा है? दूसरी बात यह कि माननीय मंत्री जी द्वारा एक ओर कहा जा रहा है कि गुणवत्ता बढ़ाकर हम इन बीजों को एक्सपोर्ट करने वाले हैं और उत्पादन शक्ति को बढ़ायेंगे, दूसरी ओर आपका विभाग लोकल अनाज पर नकली टैग लगाकर किसानों को बेच रहा है।

माननीय मंत्री जी मेरी सुस्पष्ट जानकारी में है आप अगर उस अधिकारी का नाम ले लो, कहते हैं तो मैं नाम भी ले सकता हूँ। और इसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई है। तो इस प्रकार से नकली बीजों पर उन्नत बीजों का टैग लगाकर किसानों को दिया जा रहा है और किसान उनका विश्वास करके उन बीजों को ले जा रहे हैं तो क्या यह उन किसानों के साथ विश्वासघात नहीं किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी इसकी इंक्वायरी आप अवश्य करा लें।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक और बिन्दु आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। इसी पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 15 पर लिखा गया है, वैली मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो कि केन्द्र पोषित योजना है और यह योजना 1970 से चल रही है। राज्य बनने के बाद उत्तरांचल सरकार के माध्यम से वन विभाग रीवर वैली डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु वन विभाग को पैसा मिलता है और यह धन उसे कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है क्यों कि कृषि विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। श्रीमन्, पहले यह धनराशि केन्द्र सरकार से सीधे वन विभाग को मिल जाती थी लेकिन अब इसे कृषि विभाग के माध्यम से वन विभाग को दिया जा रहा है। लेकिन इसका क्या लाभ सामने आया। 1970 से अब तक तो सारी वैली हरी–भरी हो जानी चाहिए थी। 1970 से इसमें करोड़ों रुपया आ गया होगा। एक–दो करोड़ तो इसमें हर साल आते ही हैं और इस वर्ष भी इसमें 3 करोड़ रुपया आया है, तो इस पैसे का क्या हुआ? क्या इसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं? इसे देखना आवश्यक है।

मान्यवर, मैं सदन में स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि कृषि विभाग और वन विभाग ने मिलकर इसमें घालमेल किया और इसका दुरुपयोग किया है। मैं सदन

में आरोप लगा रहा हूँ कि इसमें लाखों रुपयों का घालमेल दोनों विभागों द्वारा किया गया है। मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और इस सदन के विधायकों की एक कमेटी इसके लिए बने जो सर्वदलीय समिति हो और वह इसकी जांच करे। इसमें सारे दलीय नेता भी शामिल किये जा सकते हैं या हर दल से 2–2 लोगों के नाम मांग लिये जांय जो इस प्रकरण की जांच करे, मैं यह मांग करता हूँ।

मान्यवर, कम से कम प्रदेश की जनता जाने तो सही कि यह हो क्या रहा है। यह बहुत गम्भीर आरोप लगाया है। यह बहुत बड़ा घोटाला है, यह बहुत बड़ा घालमेल दो विभागों का है। माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचने के लिए ही मैंने यह दो–तीन बातें बतायी हैं।

मान्यवर, अब मैं माननीय मंत्री जी को एक–आध सुझाव देना चाहता हूँ। क्या कल्चरेबिल वैस्ट लैण्ड डेवलपमेंट की योजना आपने बनायी है? इस कल्चरेबिल वैस्ट लैण्ड को कृषि भूमि बनाना पूरे देश की सरकारों की प्राथमिकता है। मंत्री जी ने कहा कि "कृषि भूमि को बार–बार लोग मांग रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा ही किया गया तो एक दिन यहां पर महुआ बोने के लिए जमीन नहीं बचेगी, बासमती बोने की तो बात ही दूर है।" यदि इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया तो यह स्थिति आ सकती है। यदि माननीय मंत्री जी ने कल्चरेबिल वैस्ट लैण्ड का डेवलपमेंट कर कृषि योग्य बनाने की योजना बनायी है, तो माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इसको बताएंगे और यदि नहीं बनाई है तो इस पर ठीक तरह से राय मशविरा करके इसके विषय में सेन्टर से इसकी योजना को मंगा कर लागू करेंगे तो उत्तरांचल राज्य में कृषि का विकास अवश्य होगा। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पेटेन्ट एक्ट की रोशनी में उत्तरांचल राज्य में उत्पादित बीजों को पेटेंट कराने की क्या योजना आपने बनायी है? वह बनायी जानी चाहिए थी, यदि यह नहीं बनाएंगे तो यहां पर बासमती तो क्या महुआ भी नहीं होगा। आपने कहा कि हमने जैविक उत्पाद परिषद् का गठन किया है और इसका उपाध्यक्ष, सचिव, कृषि विभाग, उत्तरांचल शासन को बनाया है।

मेरी जानकारी में आया है कि इनका पुनर्गठन कर दिया गया है। यदि यह सही है तो इसे विधानसभा में आना चाहिए था। मेरे पास आपका एक उत्तर है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो विधान सभा को भी गुमराह कर रहे हैं। आपने जो जैविक उत्पाद परिषद् का गठन किया है, उसमें आप सारी बासमती खा गए हैं, कौन खा गया है, यह तो नहीं कह रहा हूँ। मैं यहां पर बता रहा हूँ कि किस तरह से खा गए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब से जैविक विकास परिषद् बना है, 31 लाख 96 हजार 62

रुपये की बासमती का कोई हिसाब किताब यहां पर नहीं है। मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि आप चाहें तो इसकी जांच करा सकते हैं। मैं कृषि विभाग पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किन्तु इसमें बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कौन ऐसा कर रहा है? यह पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? (व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो जैविक उत्पाद परिषद् बना है, इसके द्वारा 2482.22 कुन्टल चावल 60 लाख 11 हजार 140 रुपये में खरीदा गया और सिर्फ 3 लाख 75 हजार 85 रुपये की बासमती जर्मनी को भेजी गयी। मान्यवर, बासमती का चावल 23 लाख 40 हजार का बेचा गया। मान्यवर, 601140.00.00 की बासमती खरीदी गई। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन में हमारे द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। मैं उत्तर की कापी भी ले आया हूँ। यानी की 28 लाख की बेची और 60 लाख की खरीदी। मान्यवर, कौन है यह जैविक उत्पाद परिषद् का चेयरमैन/अध्यक्ष? आप हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या कोई अन्य सदस्य है? कोई अधिकारी तो होगा, कोई सचिव होगा। मान्यवर, इसके सदस्य कौन-कौन हैं? आज तक उन्हें किसने छूट दी? मान्यवर, यह तो उत्तरांचल में "डाका" डालने का काम हुआ। जो बासमती के व्यवसाय में हमें इतनी हानि हुई। इसके लिए कौन उत्तरदायी है। बहुत गम्भीर चार्ज मैं लगा रहा हूँ, सरकार पर।

मान्यवर, इससे पहले इसी सदन ने चार करोड़ घपले का चार्ज डास्प योजना में लगाया था। चार करोड की किताबें एवं कम्प्यूटर खरीदे गये, कृषि विभाग में डास्प योजना के अन्तर्गत। यह आरोप मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मेरी सरकार से कोई दुश्मनी है या किसी अधिकारी को डिमॉरलाइज करने वाली बात नहीं है। इसकी इन्क्वाइरी होनी चाहिए, इन्क्वाइरी करके देख तो लीजिए। खुले आम उत्तरांचल को आज लूटा जा रहा है। एक कहावत है "मुफ्त का चंदन घिस मेरे लल्लन" यह कहावत यहां चरितार्थ हो रही है। मान्यवर, यह छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे आरोप बहुत गम्भीर हैं, इसकी इन्क्वाइरी होनी चाहिए। आप भी कभी विपक्ष में आयेंगे, अब आने वाले हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इसकी जांच सरकार अवश्य करेगी। मान्यवर, मैक्रो कृषि के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। सरकार इस बात को खुद मान रही है। मान्यवर, मैं तो चाहूँगा सभी दलों के विधायकों की एक समिति बनाकर इन घोटालों की जांच की जाए। सरकार एक इतिहास कायम करे। यदि सरकार आज सदन के माध्यम से जांच का प्रस्ताव सदन में नहीं लाती है तो आप एक इतिहास कायम करते हुए पीठ से जांच के आदेश देने की कृपा करें। सरकार के साथी शायद मेरी सत्य बातें नहीं सुन पा रहे हैं और बैठ जाओ-बैठ जाओ का आग्रह कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में तापमान के आधार पर फसलों का उत्पादन किया जाता है वहां पर प्रत्येक जिले में किस मौसम में क्या तापमान रहेगा उसके हिसाब से फसलों का उत्पादन किया जाता है, इससे हर मौसम में हर फल एवं सब्जी प्राप्त होती है, यही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश में इसके लिए एक रोस्टर बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सरकार यहां पर भी एक रोस्टर बनाये और उसी के मुताबिक फसल या सब्जी बोयें इससे उत्पादन ज्यादा होगा।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों को बीजों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। परन्तु यह 50 प्रतिशत से भी आगे बढ़ गया। मान्यवर, यह बीज पहाड़ों पर नहीं जाता है, बिल पहाड़ों के काट दिये जाते हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस 50 प्रतिशत के पैसों को बचा लिया जाय, इससे विकास नहीं हो रहा है, बल्कि रूक रहा है। मान्यवर, इसमें तीसरी जो बात कही गयी है– "किसान टू किसान एक्सचेंज" यह मेरी समझ में नहीं आ रही है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको स्पष्ट करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, मैं अपने सहयोगी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले उन्होंने कहा, मुझे फक्र है, उन्होंने कहा कि " सपना हुआ साकार"। मुझे वह दिन याद आ रहा है जब 40 के दशक के बीच अकाल पड़ चुका था तो नेहरू जी ने कहा "एवरीथींग एल्स कैन वेट नॉट एग्रीकल्चर"। मान्यवर, इस तीन वर्ष के कार्यकाल में एक इतिहास कायम हुआ कृषि के मामले में। जब हम सत्ता में आये, मुझे कृषि मंत्री का सौभाग्य मिला। मंत्री बनने के बाद मैंने आंकड़े देखे तो हमने 13 लाख मै0 टन अनाज पैदा किया था, इसके बाद हमने 18 लाख मै0 टन अनाज पैदा किया, जबकि प्रदेश की आवश्यकता केवल 14 लाख मै0 टन है। मान्यवर, मुझे आज भी वह दिन याद है जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने 18 घंटे लगातार ऊर्जा के लोगों की बैठक ली थी। मान्यवर एक रात तो यह थी कि लंच कर जो डिनर 12 बजे होगा।

मान्यवर, पहले छः घंटे बिजली प्रदेश में मिलती थी, आज चौबीसों घंटे बिजली मिल रही है। मान्यवर, इसी का फायदा है कि हम 18 लाख मै0 टन अनाज पैदा कर रहे हैं। मान्यवर, जहां तक कृषक मित्र की बात कही गयी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहां पर इसके माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं। मान्यवर, इस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसके सदस्य मुख्य सचिव भी हैं और सभी माननीय मंत्री भी इसके सदस्य हैं। मान्यवर, जहां तक पेस्टीसाइड की बात है

तो इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने इस तीन वर्ष के कार्यकाल में केवल दो ही पेस्टीसाइड लैब स्वीकृत नहीं की, केवल रूद्रपुर और पौड़ी की बात कह रहे हैं आप, बल्कि हमने प्रत्येक जनपद में मृदा परीक्षण करने के लिए एक-एक लैब स्थापित की है। मान्यवर, जहां तक ....

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, आपने पौड़ी में कहा, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने पौड़ी नहीं श्रीनगर के बारे में कहा है, पौड़ी जनपद के अन्दर श्रीनगर है, आप स्थान के बारे में कहें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)-

मान्यवर, अभी दो पैस्टीसाइड लैब थे, उत्तर प्रदेश में एक लैब फरीदाबाद में है और आज रूद्रपुर में पूरा हो चुका है और श्रीनगर और पौड़ी में बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, जहां तक कृषि विविधीकरण योजना की बात की तो योजना खत्म नहीं है। मान्यवर, कृषि विविधीकरण योजनायें खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन प्रदेश में कृषि विविधीकरण तो होगा। मान्यवर, बैंक बीज की बात कही जो मुझे फक्र है। मान्यवर, तराई बीज निगम के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज पूरे हिन्दुस्तान में बीज निगम, पंतनगर का बीज बिका है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, आपने मेरे क्षेत्र में स्वाइल सीड कॉर्पोरेशन की बात कही है, आपने बहुत तारीफ कर दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप बाद में स्पष्ट करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)-

मान्यवर, तीन साल मुझे हो चुके हैं। रोज आपसे मुलाकात भी होती है, पर कभी आपने कोई शिकायत नहीं की। मान्यवर, आप तो संरक्षक हैं, आप उसी क्षेत्र के हैं। मान्यवर, हमारे विद्वान साथियों की जिज्ञासा रही कि फारमर टु फारमर क्या है। मान्यवर, भारत सरकार की ड्राफ्ट एक्शन पॉलिसी के अनुरूप फारमर टु फारमर एक्सटैन्शन कार्यक्रम 2005-06 से कृषि तकनीक हस्तान्तरण योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा रहा है। मेले, गोष्ठियों, कार्यशालाओं, अध्ययन भ्रमण, क्षेत्रीय प्रदर्शन सम्बन्धी विविध व्ययों के साथ इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 2005-06 के लिए रू0 1.50 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है। माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की दिमाग की बात है। उन्होंने पंत नगर यूनिवर्सिटी जाकर कहा कि लैब के अन्दर बन्द होकर काम न करें। मान्यवर, यह है फारमर टु फारमर पॉलिसी।

(मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताना चाहता हूँ जहां हमारे विद्वान सहयोगी साथियों ने हमारा मार्गदर्शन किया, आज फक्र की बात है कि इसी हाउस में बैठते रोज बहिर्गमन हो रहा था। जो गन्ने का 100 करोड़ भुगतान देय था, उनका भुगतान हमने कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार का जो 1996–97 का भुगतान था वह कर दिया है। आज इस सरकार के ऊपर किसी का गन्ने का भुगतान बकाया नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धि की है, गन्ने के क्षेत्र में उपलब्धि की है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ जैविक बासमती की बात थी। इस पर एक माह पूर्व चर्चा हुई थी। नया प्रदेश बना कमियां रहती हैं, अब तो ठीक है, न अखबार नवीसों को दिक्कत है न विद्वान साथियों को दिक्कत है। मान्यवर, हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि जलागम की है।

यह 405 करोड़ की परियोजना है, इसकी अवधि सात वर्ष है। यह परियोजना 18 विकासखण्डों के 461 ग्राम पंचायतों में चलायी जायेगी। आज हमारी सरकार ने तीन वर्ष का इतिहास कायम किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 31 लाख की बासमती का हिसाब दे दें, यह तो खुला गबन है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, आपके रानीखेत को जिला बनाने की वकालत मैं करूंगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पहले कृषि रक्षा इकाई होते थे, दूर दराज में होते थे, उनकी कटौती कर दी गई है। मान्यवर, विकास खण्ड स्तर पर एक ही होता है। सरकार को इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। दूर–दराज से इन्हें भेजना पड़ता है। दूसरा मान्यवर, मैंने जिन–जिन बातों को यहां पर उठाया, माननीय मंत्री जी ने उन्हें छुवा तक नहीं है। मैंने बासमती की बात उठायी, यह इन्क्वायरी का विषय है। 31 लाख की धनराशि कोई छोटी–मोटी धनराशि नहीं होती है। मैंने तो आपके सम्मुख केवल कुछ बातें रखी हैं जिसमें आपका आश्वासन आना चाहिए था कि हम इसकी जांच कराएंगे। मैंने तराई बीज निगम के बारे में कहा, माननीय मंत्री जी को शायद इसका ज्ञान भी नहीं है। तराई बीज निगम के दानों में जौ और गेंहूँ के दाने पाये गये हैं। कई जगह से यह बीज लौट कर आया है। (हंसी) यह बहुत गम्भीर बात है। तराई बीज निगम के सैम्पिल मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी उसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? कम से कम सरकार की तरफ से आना चाहिए कि विधान सभा के सदस्यों की

एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करायी जाये। आखिर सरकार इससे क्यों बचना चाहती है। मान्यवर, मैंने जितने भी सुझाव दिये, माननीय मंत्री जी ने किसी का भी जवाब नहीं दिया है। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1483717 हजार (एक सौ अड़तालीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन, डा० नारायण सिंह जन्तवाल, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री महेन्द्र भट्ट की कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इसमें से जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे नलकूपों के कमाण्ड ऐरिया को कम करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं तथा जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खडगोली में अनुसूचित जाति बस्ती सयारपानी एवं मानपानी में व्याप्त पेयजल संकट के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

देहरादून में स्थित विभिन्न मलिन बस्तियों में मकानों के ऊपर से बिजली की ढीली तारों के गुजरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर, स०वि०स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

[भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 79 में विद्युत लाईनों की भवनों से न्यूनतम सुरक्षित दूरी की व्यवस्था दर्शित है। मकानों के ऊपर से लाईन की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) सुरक्षित दूरी (क्लीयरेंस) भवन के उच्चतम बिन्दु से 2.5 मीटर

होनी चाहिये जबकि क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) सुरक्षित दूरी नजदीक बिन्दु से न्यूनतम 1.2 मीटर होनी चाहिये। विद्युत विभाग द्वारा किसी भी लाईन का निर्माण इन शर्तों की पालना करते हुये बनाया जाता है।

सूचना में सन्दर्भित बस्तियां बाद में बसाई गई हैं जबकि विद्युत लाईनें पहले से बनी हैं। विद्युत लाईनों के निर्माण के समय उक्तानुसार सुरक्षा मानकों के अनुसार यथोचित दूरी रखना अनिवार्य है। कुछ लोगों द्वारा बाद में सुरक्षा की अनदेखी कर नये मकान आदि निर्माण कर लिये जाते हैं अथवा भवनों का विस्तार कर लिया जाता है। नियमानुसार ऐसे भवनों को हटाया जाना आवश्यक है। ऐसे प्रकरणों में लाईनों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिये स्थान की उपलब्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उत्तरांचल पॉवर कॉरपोरेशन लि0 एक वाणिज्यिक संस्था है, अतः यदि स्थान उपलब्ध हो भी जाता है तो उ0पा0का0लि0 द्वारा शिफ्टिंग चार्जेज प्राप्त होने पर ही लाईन अन्यत्र स्थानान्तरित की जा सकती है। जहां तक कई स्थानों पर तारें ढीली एवं जर्जर होने का बिन्दु है वहां स्थल विशिष्ट की जानकारी होने पर लाईनों को यथा आवश्यकता कसवाने एवं बदलवाने की कार्यवाही की जाती है।]

उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध श्री नारायण पाल स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

[उत्तरांचल राज्य गठन के पूर्व से ही राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन राज्य अतिथि गृह, नैनीताल तथा उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में निम्नवत् श्रेणी–'ग' एवं 'घ' के अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी कार्यरत् रहे हैं:–

क्र0सं0	राज्य अतिथि गृह	श्रेणी 'ग' के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिक	श्रेणी घ के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिक
1.	नैनीताल	02	18
2.	उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली	03	07

राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में कार्यरत् श्रेणी–'ग' एवं 'घ' के दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों द्वारा योजित रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जारी आदेशों तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्रेणी–'ग' के अन्तर्गत दैनिक वेतन पर कार्यरत् कार्मिकों के विनियमितीकरण नियमावली, 1998 के अनुसार राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में कार्य कर रहे श्रेणी–'ग' के उपरोक्त 02 कार्मिकों का विनियमितीकरण वरिष्ठता के आधार पर चयनोपरान्त दिनांक 16 नवम्बर, 2004 को कर दिया गया है। उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में कार्यरत् श्रेणी–'ग' के 03 कार्मिकों के सम्बन्ध में, यह निर्णय न हो पाने के कारण कि उक्त कार्मिक उत्तरांचल को आवंटित किये जाने

नोट: [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं, अथवा उत्तर प्रदेश को, विनियमितीकरण पर विचार नहीं किया जा सका। अब उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में कार्यरत् कार्मिकों का आवंटन उत्तरांचल को कर दिया गया है, अतः आरक्षित पदों को देखते हुए, रिक्तपद उपलब्ध होने पर, उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में कार्यरत् श्रेणी-'ग' के 03 दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण पर शीघ्र विचार किया जायेगा।

जहाँ तक चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन पर कार्यरत् कार्मिकों का प्रश्न है, श्रेणी-'घ' के अन्तर्गत, दैनिक वेतन पर कार्यरत् कार्मिकों के विनियमितीकरण के लिए उत्तरांचल में अभी कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है, जिसके कारण समूह घ के पदों पर कार्यरत् दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। यद्यपि श्रेणी-'घ' के कार्मिकों के सम्बन्ध में चयन समिति का गठन कर, विनियमितीकरण पर विचार किया जा चुका है और इन्हें विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त भी पाया गया है, किन्तु श्रेणी 'घ' के कार्मिकों के विनियमितीकरण की उत्तरांचल में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण, विनियमितीकरण नहीं किया जा सका। राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में दैनिक वेतन पर कार्यरत् समूह 'घ' के कार्मिकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका भी दायर की गयी है और वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में वाद लम्बित है। राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा विभाग स्तर पर समूह 'घ' के अन्तर्गत दैनिक वेतन पर कार्यरत् कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में समूह 'ग' के कार्मिकों के लिए प्रचलित नियमावली (उ0प्र0 समूह 'ग' विनियमितीकरण नियमावली, 1998) के अनुरूप नियमावली के गठन की कार्यवाही की जा रही है, जैसे ही विभाग स्तर पर अथवा उत्तरांचल में श्रेणी 'घ' के कार्मिकों के विनियमितीकरण की नीति निर्धारित हो जायेगी, उसी के अनुरूप दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों का विनियमितीकरण कर दिया जायेगा।

समान कार्य, समान वेतन के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के अब उत्तरांचल के लिए आवंटन हो जाने पर यथाशीघ्र राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में कार्यरत् दैनिक वेतन कर्मियों के अनुरूप वेतन स्वीकृत कर दिया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 07 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून। महेश चन्द्र

सचिव

दिनांकः 01 अप्रैल, 2005 विधान सभा, उत्तरांचल।

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14–15 पर)

प्राइवेट बस बाडी निर्माताओं से प्राप्त बस बाडी की दरों का तुलनात्मक विवरण

क0	फर्म का नाम		टाटा 166"	टाटा 190"	टाटा 205"	टाटा 218"	लेलैण्ड 210"	लेलैण्ड 203"	लेलैण्ड 193"	सेल्स टैक्स	रिमार्क
1.	दि दर्शा व्हील मूवर्स चंडीगढ़	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	320000 38400 358400	350000 42000 392000	395000 47400 442400	418000 50160 468160	410000 49200 459200	405000 48600 453600	397000 47640 444640	12%	सीट के साथ
		बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	296270 35552 331822	323790 38855 362645	360740 43289 404029	382500 45900 428400	379000 45480 424480	374740 44969 419709	367000 44040 411040		बिना सीट
2.	मै0 अमेरिया ब्रदर्स जयपुर	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	230000 23000 253000	265000 26500 291500	275000 27500 302500	315000 31500 346500	285000 28500 313500	280000 28000 308000	275000 27500 302500	10%	बिना सीट
3.	मै0 भारत इंजी0 वर्क्स पठानकोट	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	225900 27108 252988	262500 31500 294000	275000 33000 308000	305000 36600 341600	280000 33600 313600	275000 33000 308000	235000 28200 263200	12%	बिना सीट
4.	मै0 मोहिन्दी कोच फैक्ट्री जयपुर	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	230000 23000 253000	270000 27000 297000	280000 28000 308000	302000 30200 332200	285000 28500 313500	280000 28000 308000	275000 27500 302500	10%	बिना सीट
5.	मै0 भारत मैटल एण्ड फैब्रीकेटर्स जयपुर	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	230000 23000 253000	270000 27000 297000	280000 28000 308000	302000 30200 332200	285000 28500 313500	280000 28000 308000	275000 27500 302500	10%	बिना सीट
6.	मै0 कैपिटल बॉडी एण्ड हैरवाडी बिल्डिंग, दिल्ली	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	430000 51600 481600	455000 54600 509600	475000 57000 532000	495000 59400 554400	510000 61200 571200	490000 58800 548800	470000 56400 526400	12%	सीट के साथ
		बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	360000 43200 403200	375000 45000 420000	390000 46800 436800	400000 48000 448000	415000 49800 464800	405000 48600 453600	390000 46800 436800	4%	बिना सीट

क्र0	फर्म का नाम		टाटा 186''	टाटा 190''	टाटा 205''	टाटा 218''	लेलेण्ड 210''	लेलेण्ड 203''	लेलेण्ड 193''	सेल्स टैक्स	रिमार्क
7.	मै० सार्थी ट्रान्सपोर्ट लि० जयपुर	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	303935 12157 316092	364325 14573 378898	390335 15613 405948	424535 16981 441516	434834 17393 452227	414816 16593 431408	385115 15405 400520	4%	सीट के साथ
		बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	224951 8998 233949	252851 10114 262865	261851 10474 272325	309551 12382 321933	319541 12782 332323	274541 10982 285523	264551 10582 275133		बिना सीट
8.	मै० एच०एम०एम० अम्बाला	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	270000 32400 302400	285000 34200 319200	285000 34200 319200	310000 37200 347200	310000 37200 347200	295000 35400 330400	285000 34200 319200	12%	बिना सीट
9.	मै० राज ऑटोमोबाइल लखनऊ	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	379999 19000 398999	384999 19250 404249	394999 19750 414749	399999 20000 419999	421999 21100 443099	414999 20750 435749	404999 20250 425249	5%	बिना सीट
10.	मै० एशिया बॉडी बिल्डर्स एवम मैनुफैक्चर्स, जयपुर	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	269000 26900 295900	279000 27900 306900	282000 28200 310200	290000 29000 319000	295000 29500 324500	292000 29200 321200	290000 29000 319000	10%	बिना सीट
11.	मै० नसार कोच फैक्टरी जयपुर	बेसिक दर सेल्स टैक्स कुल दर	269000 26900 295900	279000 27900 306900	282000 28200 310200	290000 29000 319000	295000 29500 324500	292000 29200 321200	290000 29000 319000	10%	बिना सीट

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0–37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

उत्तरांचल परिवहन निगम के गठन दिनांक 31–10–2003 के पश्चात् परिवहन निगम के विभिन्न डिपो को प्राप्त नई साधारण एवं डीलक्स बसों के आवंटन की स्थिति

क्र0सं0	डिपो/क्षेत्र का नाम	मार्ग का नाम	आवंटित बसों की सं0	बसों का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	देहरादून "ब" डिपो	देहरादून–दिल्ली	08	साधारण
			08	
2.	देहरादून 'पर्वतीय'	देहरादून–मसूरी–दिल्ली	04	साधारण
		देहरादून–मसूरी–सहारनपुर	02	साधारण
		देहरादून–नैनीताल	02	साधारण
		देहरादून–बागेश्वर	02	साधारण
			10	
3.	देहरादून ग्रामीण	देहरादून–जयपुर	02	डीलक्स
		देहरादून–धर्मशाला	01	डीलक्स
		देहरादून–हल्द्वानी	01	डीलक्स
		देहरादून–चण्डीगढ	02	डीलक्स
		देहरादून–दिल्ली	19	डीलक्स
		देहरादून–दिल्ली	03	साधारण
		देहरादून–कालसी–दिल्ली	02	साधारण
		देहरादून–सहारनपुर–दिल्ली	01	साधारण
		देहरादून–पौंटा–दिल्ली	02	साधारण
			33	
4.	रुड़की डिपो	रुड़की–देहरादून–दिल्ली	03	साधारण
		रुड़की– ऋषिकेश–दिल्ली	07	साधारण
		रुड़की–हरिद्वार–चण्डीगढ	01	साधारण
			11	
5.	हरिद्वार डिपो	हरिद्वार–जयपुर–पुष्कर	02	साधारण
		हरिद्वार–शिमला–कपाड़िया	03	साधारण
		हरिद्वार–चण्डीगढ़–कोटद्वार	02	साधारण

1	2	3	4	5
		हरिद्वार–दिल्ली–ऋषिकेश	03	साधारण
		हरिद्वार–दिल्ली–ऋषिकेश	02	डीलक्स
			12	
6.	ऋषिकेश डिपो	ऋषिकेश–दिल्ली–श्रीनगर	02	साधारण
		ऋषिकेश–दिल्ली–घनसाली	02	साधारण
		ऋषिकेश–दिल्ली–गोपेश्वर	02	साधारण
		ऋषिकेश–दिल्ली–उत्तरकाशी	02	साधारण
		ऋषिकेश–दिल्ली–श्रीनगर	02	साधारण
		ऋषिकेश–कानपुर	02	साधारण
		ऋषिकेश–दिल्ली–	05	डीलक्स
		ऋषिकेश–दिल्ली–	02	साधारण
			19	
7.	कोटद्वार डिपो	कोटद्वार–दिल्ली–श्रीनगर	04	साधारण
		कोटद्वार–सिद्धबाल–दिल्ली	02	साधारण
		कोटद्वार–चण्डीगढ़	01	साधारण
		कोटद्वार–फरीदाबाद	01	साधारण
		कोटद्वार–जालन्धर	02	साधारण
		कोटद्वार–दिल्ली–बिजनौर	02	साधारण
		कोटद्वार–दिल्ली–नजीबाबाद	06	साधारण
			18	
8.	टनकपुर डिपो	टनकपुर–हरिद्वार	01	साधारण
		टनकपुर–देहरादून	02	साधारण
		टनकपुर–चण्डीगढ़	02	साधारण
		टनकपुर–पौंटा साहिब	02	साधारण
		टनकपुर–शिमला	02	साधारण
		टनकपुर–अमृतसर	01	साधारण
		टनकपुर–होशियारपुर	05	साधारण
		टनकपुर–दिल्ली	03	साधारण
		टनकपुर–बेरीबाग	02	साधारण
			20	
9.	लोहाघाट डिपो	लोहाघाट–देहरादून	02	साधारण

1	2	3	4	5
		लोहाघाट–धारचूला–दिल्ली	03	साधारण
		लोहाघाट–दिल्ली	04	साधारण
			09	
10.	पिथौरागढ़ डिपो	पिथौरागढ़–धारचूला–टनकपुर–दिल्ली	06	साधारण
		पिथौरागढ़–मुनस्यारी–दिल्ली	05	साधारण
		झूलाघाट–दिल्ली	01	साधारण
		गंगोलीहाट–दिल्ली	03	साधारण
		धारचूला–देहरादून	03	साधारण
			18	
11.	रानीखेत डिपो	रानीखेत–देहरादून	02	साधारण
		रानीखेत–रामनगर–देहरादून	02	साधारण
		रानीखेत–लखनऊ	02	साधारण
		रानीखेत–रामनगर–दिल्ली	02	साधारण
		रानीखेत–भनई–दिल्ली	02	साधारण
			10	
12.	अल्मोड़ा डिपो	अल्मोड़ा–दिल्ली	02	साधारण
		अल्मोड़ा–देहरादून	02	साधारण
		अल्मोड़ा–धारचूला–देहरादून	04	साधारण
		रीमा–दिल्ली	03	साधारण
			11	
13.	भवाली डिपो	नैनीताल–देहरादून	04	साधारण
		नैनीताल–मसूरी	02	साधारण
		नैनीताल–दिल्ली	02	साधारण
		भनई–दिल्ली	02	साधारण
			10	
14.	रुद्रपुर डिपो	हरिद्वार–हल्द्वानी	01	साधारण
		रुद्रपुर–पटियाला–बनबसा	02	साधारण
		रुद्रपुर–दिल्ली–हल्द्वानी	05	साधारण
			08	
15.	हल्द्वानी डिपो	हल्द्वानी–चण्डीगढ़	06	साधारण
		हल्द्वानी–चण्डीगढ़	02	डीलक्स

1	2	3	4	5
		लोहाघाट–धारचूला–दिल्ली	03	साधारण
		लोहाघाट–दिल्ली	04	साधारण
			09	
10.	पिथौरागढ़ डिपो	पिथौरागढ़–धारचूला–टनकपुर–दिल्ली	06	साधारण
		पिथौरागढ़–मुन्स्यारी–दिल्ली	05	साधारण
		झूलाघाट–दिल्ली	01	साधारण
		गंगोलीहाट–दिल्ली	03	साधारण
		धारचूला–देहरादून	03	साधारण
			18	
11.	रानीखेत डिपो	रानीखेत–देहरादून	02	साधारण
		रानीखेत–रामनगर–देहरादून	02	साधारण
		रानीखेत–लखनऊ	02	साधारण
		रानीखेत–रामनगर–दिल्ली	02	साधारण
		रानीखेत–गनई–दिल्ली	02	साधारण
			10	
12.	अल्मोड़ा डिपो	अल्मोड़ा–दिल्ली	02	साधारण
		अल्मोड़ा–देहरादून	02	साधारण
		अल्मोड़ा–धारचूला–देहरादून	04	साधारण
		रीना–दिल्ली	03	साधारण
			11	
13.	भवाली डिपो	नैनीताल–देहरादून	04	साधारण
		नैनीताल–मसूरी	02	साधारण
		नैनीताल–दिल्ली	02	साधारण
		गनई–दिल्ली	02	साधारण
			10	
14.	रुद्रपुर डिपो	हरिद्वार–हल्द्वानी	01	साधारण
		रुद्रपुर–पटियाला–बनबसा	02	साधारण
		रुद्रपुर–दिल्ली–हल्द्वानी	05	साधारण
			08	
15.	हल्द्वानी डिपो	हल्द्वानी–चण्डीगढ़	05	साधारण
		हल्द्वानी–चण्डीगढ़	02	डीलक्स

1	2	3	4	5
		हल्द्वानी–जालन्धर	02	साधारण
		हल्द्वानी–दिल्ली	01	साधारण
			11	
16.	काठगोदाम डिपो	काठगोदाम–चण्डीगढ़	02	साधारण
		पंचाल–दिल्ली	02	साधारण
		काठगोदाम–दिल्ली	01	साधारण
		हल्द्वानी–दिल्ली	02	साधारण
		हल्द्वानी–देहरादून	01	साधारण
		कांडापड़ाव–दिल्ली	03	साधारण
		काठगोदाम–नैनीताल–देहरादूनपूर्वान्ह	पूर्वान्ह	04
डीलक्स				
		काठगोदाम–नैनीताल–दिल्ली	02	उपनगर
			17	
17.	काशीपुर डिपो	रामनगर–चण्डीगढ़	02	साधारण
		रामनगर–दिल्ली	04	साधारण
		बैजरो–दिल्ली	03	साधारण
		मानिला–दिल्ली	02	साधारण
		जौरासी–दिल्ली	03	साधारण
		सराईखेत–दिल्ली	02	साधारण
		देघाट–दिल्ली	03	साधारण
			19	

साधारण बसें–204

डीलक्स बसें–40

कुल बसें–244

पुस्तकालय 781

पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 13 विधा०/309–23–06–2007–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।